प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

(खण्ड-8)

जुलाई 2019 से अगस्त 2021 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

(दिसम्बर 2021 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-8

जुलाई 2019 से अगस्त 2021 सत्र

के

प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2021

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्री रमेश महाजन	--	उप सचिव
	श्री एस.एन. गौर	--	अवर सचिव
	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	शिष्टाचार अधिकारी
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री प्रवीण जैन	--	सहायक ग्रेड-2
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार जुलाई 2019 से अगस्त 2021 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

भोपाल :
दिनांक : 13 दिसम्बर, 2021

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	जुलाई, 2019 सत्र	--	--	1-2
2.	दिसम्बर, 2019 सत्र	--	--	3-4
3.	मार्च-अप्रैल 2020 सत्र	--	--	5-9
4.	सितम्बर 2020 सत्र	--	--	10-14
5.	दिसम्बर 2020 सत्र	--	--	15-18
6.	फरवरी-मार्च 2021 सत्र	--	--	19-106
7.	अगस्त 2021 सत्र	--	--	107-139

जुलाई, 2019

दिनांक 9 जुलाई, 2019

नवीन जिला निवाड़ी में विभागों के जिला कार्यालयों की स्थापना
[सामान्य प्रशासन]

1. परि.अता.प्र.सं. 16 (क्र. 327) श्री अनिल जैन : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नवगठित जिला निवाड़ी में किन-किन विभागों के जिला कार्यालयों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा शेष जिला कार्यालयों की प्रशासनिक स्वीकृति कब तक जारी की जायेगी? **(ख)** प्रश्नांश (क) में स्वीकृत जिला कार्यालयों में क्या पदों की स्वीकृति एवं पदस्थापना की जा चुकी है, यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? **(ग)** क्या कार्यालय कलेक्टर निवाड़ी एवं भू-अभिलेख शाखा निवाड़ी के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदों की पूर्ति की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? पद-पूर्ति कब तक की जावेगी? **(घ)** नवीन जिला निवाड़ी के किन-किन विभागों द्वारा जिला कार्यालयों के विभिन्न पदों की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रश्न दिनांक तक नहीं भेजे गये हैं? नवीन जिला निवाड़ी में वित्त विभाग से जिन जिला कार्यालयों में पदों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है उनके द्वारा जिला निवाड़ी में कब तक विभागीय कार्यालय प्रारंभ किये जावेंगे?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** एवं **(ख)** 37 विभागों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष विभागों की जानकारी निरंक है। **(ग)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जानकारी उत्तरांश (क) एवं (ख) के **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित** है।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

एसी./एस.टी./ओ.बी.सी. के रिक्त पदों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

2. अता.प्र.सं.58 (क्र. 3305) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के अंदर विभिन्न विभागों में वर्तमान में एस.सी./एस.टी./ ओ.बी.सी. के श्रेणीवार कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में क्या म.प्र. के विभिन्न विभागों में लगभग 1,36,000 पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभी तक उक्त पद को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** क्या म.प्र. शासन द्वारा उक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये हैं तो क्या सरकार द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाकर आरक्षित पदों को भरने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश जारी किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों में वर्तमान में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रथम श्रेणी में 418, द्वितीय श्रेणी में 1184, तृतीय श्रेणी में 12365, चतुर्थ श्रेणी में 2263 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रथम श्रेणी में 912, द्वितीय श्रेणी में 2171, तृतीय श्रेणी में 26395, चतुर्थ श्रेणी 4744 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रथम श्रेणी में 240, द्वितीय श्रेणी में 918, तृतीय श्रेणी में 5432, चतुर्थ श्रेणी 1170 पद रिक्त हैं। **(ख)** जी, नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों की पूर्ति के निर्देश सर्व संबंधितों को दिए गए हैं। **(ग)** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से की जा रही है। विशेष भर्ती अभियान वर्ष 2002 से चलाया जा रहा है जो लगातार जारी है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निलंबित कर्मचारियों की रोकी गई वेतनवृद्धि

[सामान्य प्रशासन]

3. अता.प्र.सं.63 (क्र. 3378) श्री राहुल सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग की कर्मचारी आचरण संहिता के अनुसार निलंबित कर्मचारी की बहाली के उपरांत उनकी रोकी गई असंचयी प्रभाव की वेतनवृद्धि अधिकतम कितने वर्षों तक रोकी रखी जा सकती है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत म.प्र. शासन के अधीनस्थ ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी निलंबन के बाद बहाली पश्चात असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रूकी हुई है? ऐसे सभी विभागों के कर्मचारियों की सूची एवं समयावधि का उल्लेख करके बतावें कि उनकी कितने वर्षों से असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रूकी हुई है? **(ग)** क्या म.प्र. शासन ऐसे कर्मचारियों की रूकी हुई वेतनवृद्धि स्वीकृत कर जारी करने की ओर कार्य करने जा रही है? जिससे कर्मचारियों को वापिस मूलधारा में लाया जा सके?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** असंचयी प्रभाव से रोकी गई वेतन वृद्धि दण्डादेश में उल्लेखित अवधि तक रोकी जा सकती है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में रोकी गई वेतन वृद्धि नियत समय के पश्चात खोल दी जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिसम्बर, 2019

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

वेतनमानों की अवमानना के प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं होना
[सामान्य प्रशासन]

1. अता.प्र.सं.23 (क्र. 263) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति व संविलियत सेवायुक्तों के वेतनमान संबंधी अवमानना के कितने प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग के संज्ञान में हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत क्या सामान्य प्रशासन से संबंधित विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1050 दिनांक दिसम्बर 2014, क्रमांक 563 दिनांक 20 फरवरी, 2015, क्रमांक 2535 दिनांक 28 जुलाई 2015 एवं क्रमांक 2226 दि. 15 दिसम्बर 2015 का उत्तर में इन सेवायुक्तों को वेतन संरक्षक का लाभ देने का उल्लेख किया है? यदि हाँ, तो वर्षों से लंबित प्रकरण में आदेश कब तक प्रसारित करेंगे?

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** 25 प्रकरण। **(ख)** जी हाँ संविलियत कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 3-06/ 2016/1/3, दिनांक 23 अगस्त, 2016 के अंतर्गत निर्धारित वेतनमान देय है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अद्यतन शासकीय वेबसाइट एवं ई-आफिस प्रणाली
[सामान्य प्रशासन]

2. परि.अता.प्र.सं. 91 (क्र. 1148) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता सदस्य के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–5628, दिनांक–10/03/2017 के संदर्भ में विभाग द्वारा वेबसाईट अद्यतन करने विषयक जारी पत्र क्रमांक–एफ11-1/2019/1/9, दिनांक 18/02/2019 के पालन में क्या वर्तमान में सभी विभागों की वेबसाईट अद्यतन हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? **(ख)** क्या विभाग द्वारा पत्र क्रमांक–एफ11-11/2018/1/9, दिनांक 28/06/2019 से प्रदेश के विभागों एवं जिला कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिये गए हैं? यदि हाँ, तो यह निर्देश क्या हैं और किस प्रक्रिया के तहत ई-आफिस प्रणाली लागू की जायेगी? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में मप्र शासन के समस्त जिला कार्यालयों में विभाग द्वारा नियत 31/12/2019 से ई-आफिस प्रणाली लागू करने के लिए प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? कार्यालय/विभागवार बतायें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले के जिला कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली लागू करने के लिए क्या-क्या संसाधनों की आवश्यकता हैं और क्या आवश्यक संसाधन वर्तमान में उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो विवरण बताएं। यदि नहीं, तो ई-ऑफिस प्रणाली नियत समय पर किस प्रकार लागू होगी? कार्यालयवार बतायें।

मुख्यमंत्री : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी हाँ। निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। प्रक्रिया के संबंध में निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** शासकीय कार्यालयों/विभागों में शासकीय सेवकों की ई-मेल आई.डी. नस्तियों का पी.डी.एफ. बनाये जाकर हार्डवेयर की पहचान कर स्टेटस अद्यतन कराये जाने संबंधी एवं ई-ऑफिस प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण की कार्यवाही सतत् जारी है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है।] **(क)** जी हाँ। (विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़, जनजाति कल्याण विभाग को छोड़कर क्योंकि इस विभाग अंतर्गत संभाग तथा जिलों में कार्यालय नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

ट्राईबल सब-प्लान की योजना
[आदिमजाति कल्याण]

3. परि.अता.प्र.सं. 126 (क्र. 1780) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01.01.2018 से प्रश्न दिनांक तक ट्राईबल सब-प्लान के तहत कितनी राशि पी.डब्ल्यू.डी. को जारी की गयी। पी.डब्ल्यू.डी. ने उक्त राशि का किन मदों एवं प्रयोजनों में कहां एवं कितना-कितना खर्च किया? उक्त राशि में से कितनी राशि मनावर विधानसभा क्षेत्र में किन मदों एवं प्रयोजनों में कहां एवं कितना-कितना खर्च किया? प्रति सहित बताएं। **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा मनावर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की सड़कों के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र सं. 491/एमपी-एमएलए/2019 एवं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी को पत्र सं. 490/एमपी-एमएलए/2019 दिनांक 1 सितंबर 2019 पत्र लिया गया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने के कारण एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। पत्रानुसार प्रस्ताव विचाराधीन है।

मार्च-अप्रैल, 2020

दिनांक 17 मार्च, 2020

माफिया दमन की कार्यवाही

[गृह]

1. परि.अता.प्र.सं. 67 (क्र. 567) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश सरकार द्वारा माफिया दमन के लिए अभियान चलाया गया है? यदि हाँ, तो इस अभियान के तहत क्या-क्या कार्यवाही किन शासनादेशों और विभागीय निर्देशों से किस प्रकार की जानी थी और मार्गदर्शी शासनादेश एवं विभागीय निर्देश उपलब्ध कराएं? **(ख)** प्रश्नांश (क) पन्ना और कटनी जिले में प्रश्न दिनांक तक माफिया दमन अभियान के तहत क्या-क्या कार्यवाही, किस सक्षम प्राधिकारी के किन-किन आदेश से कब-कब प्रस्तावित की गयी और की गयी कार्यवाही किस आधार पर की गयी थी? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के तहत क्या माफिया दमन अभियान के चलते जिला एवं अनुविभाग स्तर पर दल गठित किए गए है? यदि हाँ, तो उल्लेखित जिलों में गठित दलों में कौन-कौन शासकीय सेवक सम्मिलित थे और इनके द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? दल एवं जिलावार बताएं। **(घ)** क्या पन्ना और कटनी जिलों में गठित दलों एवं जिला प्रशासन को माफिया दमन अभियान के चलते शिकायतें भी प्राप्त हुयी हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी शिकायतें कब-कब एवं किस प्रकार प्राप्त हुयी और किस-किस शिकायत की जांच कर क्या कार्यवाही की गयी है तथा किन-किन शिकायतों की जांच और कार्यवाही किन कारणों से नहीं हो सकी है? प्रकरणवार बताएं। **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांकित जिलों में माफिया दमन अभियान में शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण बताएं। यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ, प्रश्नांश से संबंधित उपलब्ध आदेश/निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। जिला प्रशासन कटनी से जानकारी निरंक है। **(घ)** पन्ना जिले में माफिया दमन के अन्तर्गत किसी राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश जारी की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है। कटनी जिले की जानकारी निरंक है। **(ड.)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' में समाहित** है।

दिनांक 18 मार्च, 2020

मिशन परियोजनाओं में कार्यरत अमले की नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

2. ता.प्र.सं. 13 (क्र. 1003) श्री महेश परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तदर्थ नियुक्ति कब, कहाँ, कैसे और किस प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है? इस

संबंध में कौन-कौन से प्रावधान किस किस पर लागू हैं? इस संबंध में पूर्व और वर्तमान के सर्कुलर उपलब्ध कराएं। **(ख)** मिशन (परियोजनाओं) के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी नीति निर्देश एवं प्रावधान तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के समस्त परियोजनाओं में नियुक्ति संबंधी निर्देश तैयार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के कौन-कौन से सर्कुलरों का पालन करना होता है? क्या सभी मिशन एवं परियोजनाएं नियुक्ति के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन लिए बिना स्वतंत्र रूप से नीति, निर्देश, नियम बना सकती है? यदि हाँ, तो किस निर्देश के परिपालन में यह कार्यवाही की जाती है? **(ग)** मिशन और परियोजनाओं में नीति, निर्देश संबंधी मसौदा तैयार करने पर नियुक्ति के मामले में क्या GAD से अनुमोदन प्राप्त करना होता है? यदि हाँ, तो किन-किन सर्कुलरों के अंतर्गत करना होता है? सर्कुलरों की प्रतियों सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ग)** वर्तमान में शासन की परियोजनाओं, मिशनों में सीधी भर्ती किये जाने के लिए पूर्व के एवं वर्तमान में प्रचलित नियम क्या हैं? क्रमवार प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।

सामान्य प्रशासन मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** शासन के विभिन्न विभाग/परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता के कारण विभिन्न विभागों में काफी पहले से तदर्थ नियुक्ति की जाती रही है। राजपत्रित पदों पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति की कार्यप्रणाली एवं वेतन निर्धारण के संबंध में परिपत्र क्रमांक 352/770/1/3/82, दिनांक 29 अप्रैल, 1982 एवं क्रमांक सी 3-2/83/3/1, दिनांक 16 अगस्त, 1983 के निर्देश हैं। प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख)** मिशन (परियोजना) के अन्तर्गत नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही विभागों द्वारा अपने नीति-निर्देशों के तहत की जाती है। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास/स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास/नगरीय विकास एवं आवास/उच्च शिक्षा/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार।** शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एवं **(घ)** उत्तरांश "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 20 मार्च, 2020

उज्जैन संभाग की सड़कों की जानकारी
[लोक निर्माण]

3. अता.प्र.सं.56 (क्र. 1437) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में 01 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया? कितनी सड़कों का निर्माण होना शेष है? कितनी सड़कें निर्माण के लिये प्रस्तावित हैं? समस्त जानकारी जिलेवार, तहसीलवार, ग्रामवार उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार निर्मित, निर्माणाधीन, प्रस्तावित सड़कों के लिये कौन–कौन से शासकीय सर्वे नंबर में से सड़कें निकाली गई या निकाली जाना है? कितने निजी कृषकों की भूमि सर्वे नंबर का अधिग्रहण किया गया

अथवा किया जाना है? अधिग्रहित की गई भूमि के कितने भूमि धारकों को मुआवजा प्रदान किया गया? कितने भूमि धारकों को मुआवजा देना बाकी है? समस्त जानकारी जिलेवार, तहसीलवार, ग्रामवार, सर्वे क्रमांकवार उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जानकारी अनुसार क्या कृषकों को समय पर मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण कृषकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है और कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। **(ख)** जानकारी राजस्व विभाग से सम्बंधित होने के कारण सात जिलों के कलेक्टरों को इस विभाग के सम्बंधित कार्यपालन यंत्रियों द्वारा पत्र लिखे गये हैं, **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** इस विभाग में उपलब्ध **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' अनुसार। **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** लोक निर्माण विभाग के शासकीय भूमि एवं कृषि भूमि के सर्वे नम्बर का संधारण नहीं किया जाता है। 01 जनवरी 2017 से फरवरी 2020 तक भूमि मुआवजा दिये जाने वाले कृषकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** जिनका मुआवजे का भुगतान शेष है, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खेल और युवा कल्याण विभाग में भर्ती
[खेल और युवा कल्याण]

4. परि.अता.प्र.सं. 83 (क्र. 1573) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खेल विभाग में वर्ष 2017 में जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों के पद पर भर्ती में कुछ अधिकारियों के खेल प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो किस-किस अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी? शिकायत का विवरण उपलब्ध कराया जावें। **(ग)** क्या प्राप्त शिकायत की जांच को रफा-दफा करने हेतु सी.आई.डी. को जांच सौंपी गई, जबकि खेल प्रमाण पत्रों की जांच खेल विभाग स्वयं कर सकता था? **(घ)** क्या वर्ष 2017 में नियुक्त समस्त जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों की शैक्षणिक व खेल प्रमाण पत्रों की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करवाकर योग्य उम्मीदवारों को न्याय प्रदान करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? **(ड.)** क्या फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी जाने वाले अभ्यार्थी के प्रमाण पत्रों की जांच के चलते प्रतीक्षा सूची के योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है? यदि हाँ, तो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की जावेगी। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [**(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** श्री कमल किशोर आर्य, जिला प्रशिक्षक फुटबॉल जिला सीहोर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त

हुई थी। शिकायतकर्ता श्री मनोज कनौजिया सह-सचिव, म.प्र. फुटबाल संघ सीहोर द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर श्री कमल किशोर आर्य द्वारा नेशनल का नकली प्रमाण-पत्र लगाकर म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिला खेल अधिकारी की नौकरी में चयन होने की शिकायत की थी। एक अन्य शिकायतकर्ता श्री दिनेश सिसौदिया के द्वारा श्री अरविंद सिंह राणा, श्री शैलेन्द्र सिंह जाट एवं सुश्री संतरा निमामा, जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों के विरूद्ध फर्जी (जाली) सर्टिफिकेट के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। **(ग)** जी नहीं। प्राप्त शिकायतों की जांच खेल और युवा कल्याण विभाग स्वयं कर सकता था, परन्तु सत्यता एवं वास्तविक जानकारी, जांच आदि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से कराने के लिए ही वह शिकायत अपराध अनुसंधान विभाग (सी.आई.डी.) पुलिस मुख्यालय भोपाल को भेजी गई थी। **(घ)** जी हाँ। सी.आई.डी. पुलिस मुख्यालय भोपाल से जांच होने में काफी विलंब होने की संभावना को देखते हुए, प्रमाण-पत्रों की जांच शीघ्र एवं निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय से जांच हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा की जावेगी। अवधि बताया जाना संभव नहीं है। **(ड.)** जी हाँ। उपरोक्त 'ख' में दर्शित शिकायतों एवं पुलिस महानिरीक्षक जोन भोपाल द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल (ग्रामीण) रेंज भोपाल से कराई गई जांच में आये विभिन्न तथ्यों से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती ऐसे संदेहास्पद प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले लोगों की गंभीरता से एस.टी.एफ. के जांच प्रतिवदेन के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही कार्यवाही संभव हो सकेगी। वर्तमान में जांच एस.टी.एफ. द्वारा ही की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गोपनीय चरित्रावली के प्रतिवेदन
[खेल और युवा कल्याण]

5. अता.प्र.सं.78 (क्र. 1579) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में प्रतिवेदन अधिकारी अथवा समीक्षक अधिकारी एक से अधिक बार अभिमत नहीं दे सकता? **(ख)** यदि हाँ, तो किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में प्रतिवेदन अथवा समीक्षक अधिकारी द्वारा एक से अधिक बार अभिमत देने अर्थात 2 बार वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखने वाले अधिकारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है? **(ग)** क्या खेल विभाग में पदस्थ युवक कल्याण अधिकारी की वर्षान्त 31/03/2012, 31/03/2013 एवं 31/03/2014 की गोपनीय चरित्रावली में प्रतिवेदक अधिकारी की हैसियत से संयुक्त संचालक, क्षेत्र और युवा कल्याण म.प्र. द्वारा दो बार अभिमत दिया गया है तथा यह नियमों के विरूद्ध है? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) अनुसार अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही नियमों के विरूद्ध है? यदि हाँ, तो क्या प्रकरण से जांच कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** किसी अधिकारी ने एक ही अवधि के लिये 02 बार अपना अभिमत दिया है तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्यावाही की जाती है। **(ग)** जी हाँ। संचालक खेल से प्राप्त जानकारी एवं उपलब्ध अभिलेख अनुसार प्रतिवेदक अधिकारी संयुक्त संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा श्री बी.एस. यादव, उप संचालक खेल और युवा कल्याण (तत्कालीन युवक कल्याण अधिकारी) की वर्ष 2012, 2013, 2014 की गोपनीय चरित्रावली अंकित की गई तथा पुन: श्री बी.एस. यादव के वर्ष 2012, 2013, 2014 की गोपनीय चरित्रावली तत्कालीन संचालक एवं वर्तमान में महानिदेशक/अध्यक्ष, म.प्र. पुलिस हाउसिंग एवं अधोसरंचना विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के पत्र दिनांक 24.01.2020 द्वारा प्राप्त हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 896/2866/2019/1/9, दिनांक 14.08.2020 के निर्देशों के विपरीत है। **(घ)** प्रश्नांश "ग" के अनुक्रम में प्रकरण में जांच की जाकर प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सितम्बर, 2020

दिनांक 21 सितम्बर, 2020

आरक्षण रोस्टर का पालन न करने पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. अता.प्र.सं.34 (क्र. 183) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला पंचायत सतना में सचिवों के वर्गवार कुल कितने पद हैं, उनमें वर्गवार कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? जनपदवार पदस्थ सचिवों की वर्गवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं तथा क्या सचिवों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया हैं? **(ख)** जिला पंचायत सतना के सचिवों की वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के आरक्षण रोस्टर की प्रति उपलब्ध कराएं। क्या आरक्षण रोस्टर का पालन कर सचिवों की नियुक्ति की गई है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त रोस्टर अनुसार वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितने सचिवों की नियुक्ति की गयी है? वर्गवार नाम सहित बताएं। **(घ)** जिला पंचायत सतना में वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में सचिवों की अनुकम्पा नियुक्ति किस अधिकारी द्वारा की गयी है, नियुक्ति हेतु जांच समिति में कौन-कौन सदस्य थे और किस-किस पद पर पदस्थ थे? **(ड.)** क्या जिला पंचायत सतना में संविदा कर्मी एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की समिति बना कर आरक्षण नियमों का पालन किये बिना नियुक्ति की गयी है? यदि हाँ तो आरक्षण नियमों के उल्लंघन के लिये दोषी को कब तक दंडित किया जावेगा? कब तक जांच कर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी संकंलित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" अनुसार** है। आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना के पत्र क्रमांक/जि.पं./पंचा.प्रको./2020-21/3827 सतना, दिनांक 17.12.2020 में लेख है कि सचिवों की नियुक्ति मे आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। **(ग)** वर्ष 2019-20 में 09 सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार** है। वर्ष 2020-21 में कोई नियुक्ति नहीं की गई। **(घ)** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की गई है। जांच समिति में निम्न अधिकारी नियुक्त थे:- 1. श्री सुशील कुमार मिश्रा-लेखाधिकारी जिला पंचायत सतना 2. श्री गौरव शर्मा-परियोजना अधिकारी/प्र.अ. स्थापना जिला पंचायत सतना 3. श्री एस.के. गर्ग-स्टेनो ग्राफर जिला पंचायत सतना **(ड.)** जांच कर आगामी कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा।

अवैधानिक नामांतरण
[गृह]

2. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 390) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले के तहसील रघुराजनगर के अंतर्गत ग्राम रामस्थान में सरकारी

जमीनों के अवैधानिक नामांतरण उच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के उल्लंघन करते हुए ओवर लोडिंग करने की शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक सतना एवं एस.डी.एम. रघुराजनगर को दिनांक 22/06/2019 को तथा नगर पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी कोलगवां को दिनांक 23/06/2019 को 13 बिंदुओं का आवेदन देकर जांच की मांग की गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो आवेदन के विषय में उल्लेखित खनिज एवं भू-माफिया, ट्रांसपोर्टर, हाईवा मालिकों से एग्रीमेंटकर्ता तथा शासकीय जमीनों के अवैधानिक नामांतरण करने वाले पटवारी द्वारा जिन्हें कलेक्टर सतना ने निलंबित कर आरोप पत्र दे दिया है, उक्त लोगों के विरूद्ध राज्य शासन एफ.आई.आर. करने के निर्देश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** ग्राम रामस्थान की शासकीय जमीन जो गरीबों को आवंटित थी, ऐसी जमीनों को पाठक परिवार कैला परिवार, अमीरे कोल एवं प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री के मैनेजर ने अपने नाम अवैधानिक नामांतरण कराया है, ऐसे भू-माफिया के विरूद्ध आज दिनांक तक एफ.आई.आर. क्यों नहीं करायी गयी है, जबकि उक्त माफियाओं की आराजी को एस.डी.एम. रघुराजनगर द्वारा दिनांक 02/02/2019 एवं 08/03/2019 को पुन: शासकीय दर्ज करा दी गयी है? इनके विरूद्ध कब तक एफ.आई.आर. करा दी जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) (ग) सही है तो पुलिस अधीक्षक सतना एवं स्वयं आवेदनकर्ता के 13 बिंदुओं के अवलोकन पश्चात नगर निगम अधीक्षक सतना एवं थाना प्रभारी कोलगवां को दोषियों के विरूद्ध जिन्होंने कूट रचना कर शासकीय जमीनों को खुद-बुर्द करने का प्रयास किया, एग्रीमेंट कर ओवर लोडिंग किया, ऐसे भू-माफिया, खनिज माफिया एवं ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एफ.आई.आर. कराने के निर्देश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** ग्राम रामस्थान की प्रश्नाधीन भूमिया का बंटन किया गया था बंटितियों द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 सांत (ख) के नियमों के विपरीत अंतरण पाए जाने से भूमि को म.प्र. शासन घोषित किया गया, भूमियां के नामतंरण में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर दो पटवारियों को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच प्रकरण के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** ग्राम रामस्थान की जो शासकीय भूमिया का बंटन किया गया था उन बंटितियों द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना विक्रय किया गया, विक्रय भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना, पाए जाने से भू-राजस्व संहितों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए भूमि शासकीय दर्ज की गई है। अतः एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है। **(घ)** जांच पूर्ण होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक 22 सितम्बर, 2020

पांचवीं अनुसूची के प्रावधान
[आदिमजाति कल्याण]

3. ता.प्र.सं. 1 (क्र. 96) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची, अनुच्छेद 244 (1) के तहत

अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों के संरक्षण, सुरक्षा, कल्याण, उन्नति के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं एवं अधिसूचित क्षेत्रों के किन-किन संसाधनों पर किस आदेश, निर्देश, पत्र, परिपत्र या अधिसूचना के तहत जनजातियों को कौन-कौन से अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं? प्रति सहित ब्यौरा दें। **(ख)** अप्रैल 2017 से प्रश्नांकित दिनांक तक आदिम जाति मंत्रणा परिषद की कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं? उक्त बैठकों में क्या-क्या प्रस्ताव पारित किए गए? कौन-कौन से प्रस्ताव लंबित हैं? प्रस्ताव लंबित होने का कारण स्पष्ट करें। **(ग)** क्या गैर-जनजाति व्यक्ति आदिम जाति मंत्रणा परिषद् का सदस्य बनाया जा सकता है? यदि हाँ, तो संविधान के किस नियम के तहत? प्रति सहित ब्यौरा दें। **(घ)** अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक संविधान के अनुच्छेद 244 (1) पांचवीं अनुसूची के तहत शासन द्वारा 89 ट्राईबल विकासखंडों के लिए क्या-क्या फैसले लिए गए? किन-किन योजनाओं/प्रयोजनों के लिए क्या अधिसूचना, आदेश, निर्देश, पत्र, परिपत्र जारी किए गए?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [**(क)** भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुच्छेद 244 (1) के तहत अधिसूचित क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों के संरक्षण, सुरक्षा, कल्याण, उन्नति के लिए किए गए प्रावधानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** अप्रैल 2017 के पश्चात आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की दो बैठक दिनांक 21.03.2018 एवं 09.01.2020 को आयोजित की गई। कार्यवाही विवरण की प्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। कार्यवाही विवरण में पारित निणर्यों का पालन करना सतत प्रक्रिया होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(घ)** संविधान के अनुच्छेद 244 (1) पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आदिम जाति मंत्रणा परिषद् का गठन किया गया है आदेश की प्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है। बैठक में पारित निर्णयों/कार्यवाही की प्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "इ" अनुसार** है।

दिनांक 23 सितम्बर, 2020

प्रदेश में निजी बसों का संचालन

[परिवहन]

4. परि.अता.प्र.सं. 102 (क्र. 687) श्री कुणाल चौधरी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में निजी यात्री बसें जो प्रदेश के अन्दर मार्च के प्रथम सप्ताह में परमिट प्राप्त कर चल रही थी, कुल संख्या तथा जिलेवार संख्या बतावें तथा अंतर्राज्यीय परमिट शुदा बसों की संख्या जिलेवार बतायें। **(ख)** उपरोक्त दोनों प्रकार की बसें किस दिनांक से किस दिनांक तक बंद रही? इसका कारण क्या है? इन सारी बसों से प्रतिदिन यात्रा करने वाली अनुमानित संख्या बतावें तथा उक्त सारी बसों की फरवरी माह तथा मार्च माह की टैक्स की राशि बतायें। **(ग)** उक्त सारी बसों के न चलने के कारण क्या हैं? इनके टैक्स माफ करने की

मांग किस माह तक की है? इस अनुसार कुल टैक्स राशि अनुमानित क्या है? सरकार टैक्स माफ क्यों नहीं कर रही है? **(घ)** क्या बसों के बंद होने से कुल मिलाकर प्रतिदिन 30 लाख यात्री के मान से जनता पिछले पांच माह से परेशान है? यदि हाँ, तो मंत्री जी को निजी जिम्मेदारी मानकर त्याग-पत्र नहीं देना चाहिये?

राजस्व मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रदेश के अंदर माह फरवरी 2020 में जिलेवार अस्थाई/स्थाई/अंतर्राज्यीय परमिटों की कुल संख्या 13885 है। **(ख)** उपरोक्त दोनों प्रकार की बस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा यात्री बसों के संचालन के संबंध में दिनांक 24.03.2020 से 31.08.2020 के मध्य जारी आदेशों के पालन में, शर्तों के अनुरूप प्रदेश में पूर्ण/आंशिक रूप से बसों का संचालन बंद रहा। प्रतिवेदन अवधि में जारी परमिटों पर संचालित वाहनों की औसत बैठक क्षमता के मान से प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग पाँच लाख सत्तर हजार होती है। माह फरवरी-मार्च 2019-2020 के टैक्स राशि की गणना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(ग)** कोविड-19 के संक्रमण से आमजन के बचाव को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। टैक्स माफ करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 446 दिनांक 11.11.2020 के अनुसार माह 01 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त का संपूर्ण एवं माह सितम्बर 2020 का आधा अर्थातः साढे पाँच माह के मोटरयान कर में छूट प्रदाय की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के कारण बसों का संचालन बंद रहा जो कि यात्रियों एवं जनसाधारण को संक्रमण से बचाने के लिये किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली बसों की जानकारी
[परिवहन]

5. परि.अता.प्र.सं. 104 (क्र. 692) श्री जितू पटवारी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या लाकडाउन अवधि में 150 करोड़ खर्च कर प्रवासी श्रमिकों को लाने तथा अन्य राज्य के प्रवासी श्रमिकों को भेजने के लिये 27 हजार बसें लगाई गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) उत्तर यदि हाँ, तो उक्त दस्तावेजों की प्रति देवें जिसके आधार पर खर्च तथा बसों की संख्या की गणना की गई? **(ग)** क्या गरोठ से भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ ने 4 जून को व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को फाइल देकर प्रवासी श्रमिकों की बसों में लाखों के भ्रष्टाचार की शिकायत की थी? यदि हाँ, तो उस शिकायत की प्रति देवें तथा शिकायत पर की गई कार्यवाही बतावें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) की शिकायत के एक माह बाद भी संबंधित परिवहन अधिकारी पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्या प्रवासी श्रमिकों के परिवहन के नाम पर 150 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ?

राजस्व मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** लॉकडाउन अवधि में जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा दिये गये अधिग्रहण आदेश के क्रम में जिला परिवहन

अधिकारियों द्वारा बसों का अधिग्रहण कर प्रवासी श्रमिकों लाने तथा अन्य राज्य के प्रवासी श्रमिकों को भेजने के लिए बसों की व्यवस्था प्रतिवेदित है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग)** माननीय विधायक श्री देवीलाल धाकड़ विधानसभा क्षेत्र क्र. 227 गरोठ जिला मंदसौर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित शिकायत की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखो परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। उक्त शिकायत पर परिवहन विभाग द्वारा अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंदसौर के पद पर पदस्थ श्री ज्ञानेन्द्र वैश्य का कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2577/स्था/ओएस/टीसी/2020 दिनांक 25/06/2020 के द्वारा मंदसौर कार्यालय से परिवहन आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) ग्वालियर में संलग्न किया गया है। जिला कलेक्टर मंदसौर के आदेश क्रमांक 503/राहत/2020 मंदसौर दिनांक 15/06/2020 के द्वारा श्री रामचन्द्र राव शिन्दे, सहायक वर्ग 03 अति क्षेत्रीय परिहवन कार्यालय मंदसौर को निलंबित किया जाकर मुख्यालय जिला कलेक्टर कर्यालय मंदसौर में रखा गया है। **(घ)** यह कहना सही नहीं है कि संबंधितों के विरूद्ध एक माह के अंदर कार्यवाही नहीं हुई है। अपितु प्रश्नांश 'ग' के उत्तर अनुसार कार्यवाही की गई है। जी नहीं।

दिसम्बर, 2020

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेमिनार का आयोजन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

1. अता.प्र.सं.60 (क्र. 270) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2004 से 2018 तक कितनी ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेमिनार का आयोजन हुआ? इनमें कुल कितने निवेश प्रस्ताव आये? कितनों का क्रियान्वयन हो रहा है? **(ख)** वर्ष 2004 से 2018 तक निवेश आकर्षित करने कितनी विदेश यात्राएं कब-कब और किन-किन देशों में की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) यदि हाँ तो क्या प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार मिला है? किन देशों से प्रदेश में कितना निवेश आया?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [**(क)** वर्ष 2004 से 2018 तक 05 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। इन आयोजन में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी एकत्र की जा रही है। **(ख)** वर्ष 2004 से 2018 तक प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु की गई विदेश यात्राओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में परियोजना क्रियान्वयन संबंधी अद्यतन जानकारी एकत्र की जा रही है। प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु की गई विदेश यात्राओं का उद्देश्य मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की अपार संभावनाओं एवं विभिन्न आकर्षक निवेश नीतियों से वैश्विक निवेशकों को अवगत कराना एवं विदेश में मध्यप्रदेश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुये आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रचारित करने के प्रयोजन से की जाती है। इसके अंतर्गत सम्भावित निवेशकों के साथ सेमीनार तथा वन-टू-वन मीटिंग का आयोजन किया जाता है। यद्यपि विदेशी पूंजी निवेश संबंधी विषय भारत सरकार के कार्य क्षेत्र अंतर्गत आता है तथापि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में लगभग रू. 8589.30 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है।] **(क)** वर्ष 2004 से 2018 तक 05 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। इन आयोजन में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में परियोजना क्रियान्वयन संबंधी अद्यतन स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु की गई विदेश यात्राओं का उद्देश्य मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की अपार संभावनाओं एवं विभिन्न आकर्षक निवेश नीतियों से वैश्विक निवेशकों को अवगत कराना एवं विदेश में मध्यप्रदेश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुये आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रचारित करने के प्रयोजन से की जाती है। इसके अंतर्गत सम्भावित निवेशकों के साथ सेमीनार तथा वन-टू-वन मीटिंग का

आयोजन किया जाता है। यद्यपि विदेशी पूंजी निवेश संबंधी विषय भारत सरकार के कार्य क्षेत्र अंतर्गत आता है तथापि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में लगभग रू. 8589.30 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है।

दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

उपयंत्री के विरूद्ध शिकायत की जांच
[जल संसाधन]

2. अता.प्र.सं.19 (क्र. 114) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नोत्तरी दिनांक 21-09-2020 में मुद्रित प्रश्न संख्या 20, प्रश्न क्रमांक 118 के प्रश्नांश (ख) में प्राप्त 03 शिकायतों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' तथा परिशिष्ट ''1'' से ''6'' कुल पृष्ठ 10 अनुसार है, दिया गया है तो प्रपत्र ''अ'' में उल्लेखित शिकायत क्रमांक 1 जो आयुक्त शहडोल संभाग को प्राप्त हुई, उस शिकायत के संबंध में अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल शहडोल ने पत्र क्रमांक 1452/स्था./2019, दिनांक 06-09-2019 से जो जानकारी आयुक्त संभाग शहडोल को सहपत्रों सहित भेजी है, उसकी एक प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग उमरिया म.प्र. द्वारा दिनांक 25-07-2020 को जो जानकारी शिकायत क्रमांक 264/2019 के संबंध में एस.पी. ई.ओ.डब्ल्यू. रीवा को भेजी है, जिसके बिन्दु क्रमांक 5 में जो अचल संपत्ति क्रय की है, उसके लिए राशि की व्यवस्था कहां से कराना बताया है और कुल कितनी कीमत की भूमि, भवन, वाहन, रायफल क्रय करने के पूर्व स्वीकृति देने के पूर्व राशि उपलब्धता की जांच की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बताएं तथा यह भी बताएं कि उक्त उपयंत्री द्वारा कुल कितनी कीमत की अचल संपत्ति क्रय किया है तथा उनको कुल कितना वेतन अचल संपत्ति क्रय दिनांक तक प्राप्त हुआ? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित उपयंत्री को निलंबित कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश ''क एवं ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]

3. अता.प्र.सं.70 (क्र. 587) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मंत्रि-परिषद् आदेश आइटम क्रमांक 31 दिनांक 29/05/2018 के

आदेशानुसार विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या दिनांक 05/06/2018 को जारी नीति-निर्देश अनुसार उपरोक्त विषय में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1994 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी मिशन परियोजनाओं का संचालन किया है? उक्त मिशन परियोजनाओं के कितने स्वीकृत पदों से स्कूल शिक्षा विभाग में किन-किन पदों का संविलियन, नियमितीकरण एवं क्रमोन्नति किन-किन आदेश-निर्देश, परिपत्रों के परिपालन में की गयी है? उनकी प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराते हुए समस्त कार्यवाही की नस्ती उपलब्ध करायें। **(घ)** स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) व (ख) के परिपालन में कब तक नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने के 1.14.1 कंडिका व 1.15 कंडिका में नीति-निर्देश अनुसार प्रतिस्थापन की कार्यवाही पूर्ण कर प्रशासकीय सेटअप व भर्ती नियमों में परिवर्तन किया जाएगा की जानकारी उपलब्ध कराते हुए नोटशीट सहित सम्पूर्ण नस्ती प्रस्तुत करें। **(ड.)** संविलियन एवं नियमितीकरण के प्रावधान जोड़ने के लिए मिशन की कार्यकारिणी की बैठक कब आहूत की जाएगी और उपरोक्त बिन्दुवार निर्णय कब लिए जाएंगे? सभी कक्षों की संकलित जानकारी उपलब्ध कराएं।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी नहीं। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 5.6.2018 को जारी निर्देशानुसार विभाग के सेटअप में संविदा के लिए कोई पद चिन्हित नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रदेश में वर्ष 1994 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2017-18 तक सर्वशिक्षा अभियान मिशन कक्षा 1 से कक्षा 8 तक लागू थी तथा 01 अप्रैल, 2018 से मार्च, 2030 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान नर्सरी से 12वीं तक के लिए लागू की गई है। राज्य शिक्षा सेवा में सर्वशिक्षा अभियान परियोजना के पद जो एक्स केडर में अथवा समाहित किये गये है, के संबंध में शासनादेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(घ)** समग्र शिक्षा अभियान मिशन में 5 जून, 2018 की कण्डिका 1.14.1 अनुसार पूर्व से ही व्यवस्था है। जारी संविदा सेवा नियम व अन्य पत्रों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ड.)** संविलियन एवं नियमितीकरण के प्रावधान जोड़ने के लिए मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति अधिकृत न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

4. परि.अता.प्र.सं. 133 (क्र. 903) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 के द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुसार सभी विभागों को उनके यहां संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किये जाने का प्रावधान किया गया था एवं इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित

परिवर्तन/संशोधन करना था? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज पर्यन्त तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें। **(ग)** क्या राज्य शिक्षा केन्द्र (सर्वशिक्षा अभियान) अंतर्गत संविदा पर कार्यरत बी.आर.सी./बी.एस.सी. को नियमित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ग) के प्रकाश में संविदा पर कार्यरत बी.आर.सी./बी.ए.सी. को कब तक नियमित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण बताएं।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 5.6.2018 को जारी निर्देशानुसार विभाग के सेटअप में संविदा के लिए कोई पद चिन्हित नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। अपितु माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा डब्ल्यू.पी.क्रमांक 5371/2010 (एस) में याचिकाकर्ता के द्वारा बी.आर.सी. पद के नियमितीकरण के संबंध में किये गये क्लेम को दो माह में निराकृत कर स्पीकिंग आदेश जारी किये जाने का आदेश दिनांक 21.7.2016 को पारित किया गया है तब तक माननीय न्यायालय का पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16.09.2010 यथास्थिति रखे जाने का निर्णय है। डब्ल्यू.पी. क्रमांक 5371/2010 (एस) में पारित निर्णय के परिपालन में भिण्ड जिले के विकासखण्ड रौन में संविदा आधार पर पदस्थ श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बी.आर.सी. के पद पर यथावत कार्य कर रहे हैं। **(घ)** राज्य शिक्षा सेवा के गठन में नवीन संरचना में 3286 ए.ई.ओ.के स्वीकृत पदों में बी.आर.सी.सी के 322 पदों को समायोजित किया गया है। अतः बी.आर.सी.सी. पद के स्थान पर ए.ई.ओ.के पदपूर्ति की कार्यवाही लोक शिक्षण संचालनालय से की जाना है। संविदा पर कार्यरत बी.आर.सी./बी.ए.सी. को ए.ई.ओ. के पद पर नियमित किये जाने का प्रकरण नीतिगत निर्णय होने से प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

फरवरी-मार्च, 2021

दिनांक 23 फरवरी, 2021

भुगतान में टी.डी.एस. कटौत्रा न करने संबंधित
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. ता.प्र.सं. 4 (क्र. 524) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्र.क्र. 435 दि. 28-12-2020 के **(ग)** उत्तर अनुसार टी.डी.एस. कटौत्रा राशि देयक में उल्लेखित न होने के कारण कटौत्रा नहीं करना बताया है जबकि कटौत्रा करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है न कि देयक प्रस्तुतकर्ता की। ऐसे उत्तर देने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा? **(ख)** उपरोक्तानुसार वर्णित परिशिष्ट-''ब'' में दर्शायी गई समस्त फर्मों के बिलों की प्रमाणित प्रति देवें। इनका टी.डी.एस. कटौत्रा कब तक किया जाएगा? **(ग)** यदि नहीं, तो कारण बतावें। किस लिये इन्हें आयकर विभाग से बचाया जा रहा है?

पंचायत मंत्री : [**(क)** टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किये जाने के संबंध में उल्लेखित है कि माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51 के सेक्शन ''बी'' के नियमानुसार प्रति बिल रूपये 2.5 लाख से अधिक लेन देन पर टी.डी.एस. कटौत्रा करने का प्रावधान है। जनपद स्तर पर जनपद द्वारा 2.50 से अधिक की सीमा के कुछ देयकों का भुगतान किया गया है। जिसमें आलू, प्याज, तेल एवं दाल सामग्री शामिल है। उक्त सामग्री का टी.डी.एस., कटौत्रा किये जाने के योग्य नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्व सहायता समूहों/संकुल संगठन से मास्क एवं स्थानीय दुकानदारों से राशन/किराना सामग्री आदि का क्रय किया गया है। इसलिए टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 435 दिनांक 28.12.2020 के उत्तर अनुसार जिम्मेदार संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार भुगतान पर टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किये जाने का कारण निम्नानुसार है :- मनरेगा अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत मास्क का निर्धारित दर रूपये 10 प्रति नग के आधार पर क्रय किया गया इस कारण टी.डी.एस. का कटौत्रा नहीं किया गया है। 2. ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्व-सहायता समूहों से मास्क एवं स्थानीय दुकानदारों से राशन, किराना, आलू प्याज, दाल, साबुन तेल आदि का क्रय किया जाकर बेसहारा गरीब प्रवासी मजदूरों को सहायतार्थ वितरण किया गया तथा प्रवासी मजदूरों के ठहरने एवं गन्तव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के द्वारा की गई, जिसके कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया। 3. स्थानीय स्तर पर जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दुकानों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न राशन सामग्री एवं सब्जियों का क्रय किया गया है। जिसके कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। 4. माल एवं सेवाकार अधिनियम 2017 की धारा 51 के सेक्शन ''बी'' के प्रावधान अनुसार प्रति बिल रूपये 2.5 लाख से अधिक लेन-देन पर टी.डी.एस.

कटौत्रा करने का नियम उल्लेखित है। चूंकि ग्राम पंचायतों द्वारा 2.5 लाख एवं उससे अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिस कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। अत: आयकर विभाग से बचाने की कोई मंशा नहीं है।] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

मल्चिंग फिल्म के नाम पर आर्थिक अनियमितता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

2. परि.अता.प्र.सं. 71 (क्र. 575) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2019-2020 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के उद्यानिकी विभाग को मल्चिंग फिल्म के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश में संरक्षित खेती करने के उद्देश्य से कितनी राशि दी गई थी? **(ख)** उक्त आवंटित राशि किस प्रक्रिया के तहत किसानों को दी जानी थी एवं इसके विरूद्ध किस प्रक्रिया के तहत राशि दी गई? **(ग)** उक्त आवंटित राशि किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों के बैंक खातों में कितनी-कितनी राशि डाली गई है? जिलेवार किसानों के नाम, बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड सहित संपूर्ण ब्यौरा दें। **(घ)** उपरोक्तानुसार क्या उक्त आवंटित राशि किसानों के खाते में न डालकर अधिकारियों ने एम.पी. एग्रो के अधिकारियों से मिलीभगत कर राशि निजी कंपनी के खातों में डाल दी? इसके लिए कंपनी ने फर्जी बिल, फर्जी चालान, फर्जी क्रेडिट नोट और फर्जी बैंक स्टेटमेंट का उपयोग किया जाकर आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है? **(ड.)** यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि आर्थिक भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग के उप सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर प्रतिवेदन मांगा था? यदि हाँ, तो किस-किस जिले से प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं? इस आर्थिक अनियमितता के संबंध में जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत किन-किन दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु भारत सरकार की केन्द्रांश राशि रूपये 2.21 करोड़ दी गई है। **(ख)** भारत शासन के परिपत्र दिनांक 27.07.2016 एवं विभागीय पत्र दिनांक 25.06.2019 के अनुसार एम.पी.एग्रो के माध्यम से आदान सामग्री के रूप में अनुदान दिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। एम.पी. एग्रो द्वारा प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित दिशा-निर्देशानुसार सामग्री का सत्यापन उद्यानिकी अधिकारियों, एम.पी. एग्रो. के अधिकारियों द्वारा किये जाने एवं कृषक द्वारा संतुष्टि प्रदाय करने के पश्चात ही भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** जी नहीं। विभाग के प्रमुख सचिव, द्वारा समस्त संभागायुक्त को पत्र लिख कर प्रतिवेदन मंगाया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में संभागायुक्त इंदौर, उज्जैन, रीवा, भोपाल, ग्वालियर एवं कलेक्टर जिला बैतूल, होशंगाबाद से प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। संभागायुक्त इंदौर के जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुये एम.पी. एग्रो द्वारा मेसर्स ज्योति इंटर प्राईजेज इंदौर एवं

मेसर्स एस.बी. पॉली प्रोडक्ट रायपुर को दण्डात्मक कार्यवाही की गई है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार** है।

दिनांक 24 फरवरी, 2021

विधायक निधि राशि के आहरण में लापरवाही
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

3. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 19) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने मंदसौर शहर हेतु दिनांक 23.01.2015 को 2 लाख तथा दिनांक 25.01.2019 को अपने संशोधित अनुशंसा से 2.79, कुल 4.79 लाख की राशि राधास्वामी सत्संग मार्ग (विश्राम गृह के पास) हेतु अनुसंशित की थी? क्या इस मार्ग का कार्य पूर्ण होकर सड़क निर्माणकर्ता ठेकेदार को इसका भुगतान हो गया है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं, क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। उक्त सड़क निर्माता को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता की विधायक निधि में वर्ष 2014-15 सामन्य मद मांग संख्या 60-4515-00-800-0101-8284-51-000 के तहत बी.सी.ओ. टू बी.सी.ओ. 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को राशि समर्पित की गयी थी? यदि हाँ तो राशि लोक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं होने के क्या कारण रहे? **(ग)** क्या सांख्यिकी विभाग द्वारा उक्त सड़क की राशि बी.सी.ओ. टू बी.सी.ओ. 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को जारी करना थी, किन्तु योजना एवं सांख्यिकी विभाग एवं PWD विभाग के आपसी तालमेल के आभाव में समय पर राशि का आहरण नहीं करने के कारण राशि लेप्स हो गयी जिससे सम्बन्धित सड़क निर्माता को भुगतान नहीं हो सका? यदि हाँ तो जवाबदार अधिकारी-कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** प्रश्नांश (क) सम्बन्धित सड़क निर्माता को शीघ्र भुगतान हो इसके लिए वर्तमान कार्यवाही से अवगत करायें।

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। उक्त मार्ग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत संविदाकार को कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मन्दसौर द्वारा दिनांक 17.02.2021 को भुगतान कर दिये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी हाँ। कार्य प्रारंभ नहीं होने से राशि का उपयोग नहीं किया जा सका एवं संबंधित ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा सका। **(ग)** उत्तर ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** संविदाकार को राशि भुगतान की जा चुकी है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्थानीय विधायक को भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना
[सामान्य प्रशासन]

4. परि.अता.प्र.सं. 50 (क्र. 629) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक के रूप में आमंत्रित नहीं किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग,

मुख्य सचिव, कलेक्टर विदिशा एवं संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारियों को पत्र क्रमांक 4672 दिनांक 15.07.2020, पत्र क्रमांक 4807 दिनांक 28.08.2020, पत्र क्रमांक 4370 दिनांक 25.04.2020, पत्र क्रमांक 5193 दिनांक 07.01.2021, पत्र क्रमांक 5184 दिनांक 04.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 5237 दिनांक 16.01.2021 लिखकर, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग की थी? **(ख)** क्या शासन विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगातार स्थानीय विधायक को आमंत्रित न कर भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रमों के लिये दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। प्रश्नकर्ता द्वारा उल्लेखित छः पत्रों में से चार पत्र प्राप्त हुए हैं। शेष दो पत्र क्रमांक 4807 दिनांक 28.08.2020 एवं 4370 दिनांक 25.04.2020 आना नहीं पाये गये हैं। **(ख)** कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा द्वारा पूर्व में ही पत्र क्रमांक 9848/जन-शिका./2019, दिनांक 31.08.2019 के माध्यम से माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही तथा शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है। इसके उपरांत भी यदि कोई जिला अधिकारी या विभाग प्रमुख पालन नहीं कर रहा है तो कार्यवाही हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।

सी.एम.एच.ओ. उज्जैन का निलम्बन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. अता.प्र.सं.59 (क्र. 643) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्री महावीर खण्डेलवाल सी.एम.एच.ओ. उज्जैन के विरूद्ध अपराध क्र.206@2010 भा.दं.सं. की धारा 304ए के तहत निलंबित किया गया था? यदि हाँ तो उक्त आदेश की प्रति देवें। क्या 3 वर्ष पश्चात बिना किसी ठोस कार्यवाही के निलम्बन से कौन से नियमों के अंर्तगत बहाल किया गया है? **(ख)** क्या श्री खण्डेलवाल के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद शासन के किन नियमों के अंतर्गत ऐसे अधिकारी को बहाल किया गया है? क्या इनकी बहाली में सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के 26 फरवरी 2007 के संशोधित प्रावधानों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो इसमें कौन दोषी है? **(ग)** प्रश्नांश (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या इसी अवधि में उन्हें पदोन्नत किया गया है? जबकि इनके विरूद्ध धारा 304ए में आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है? क्या शासन नियम विरूद्ध कार्य करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए श्री खण्डेलवाल को पदावनत करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 06-11-2002 के पैरा-05 अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत निलंबन से बहाल किया गया है। **(ख)** डॉ. महावीर खण्डेलवाल, चिकित्सा अधिकारी द्वारा माननीय मध्यप्रदेश उच्च

न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर में क्रिमनल अपील क्रमांक 2680/2014 दायर की गई थी, जिसमें पारित न्यायालयीन निर्णय दिनांक 25-06-2014 द्वारा इनके विरूद्ध प्रचलित प्रकरण को अपास्त किये जाने के कारण निलंबन से बहाल किया गया है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधायक स्वेच्छानुदान की लेप्स राशि
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

6. अता.प्र.सं.73 (क्र. 707) श्री विजयपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत वर्ष 2019-2020 में कुल कितनी स्वेच्छानुदान राशि दी गई? **(ख)** उक्त वित्तीय वर्ष में किन हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि वितरण की गई है? उसकी नामवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या क्षेत्रीय विधायक द्वारा जो प्रस्ताव दिये गये थे उनकी राशि लेप्स हो गई है? कितनी राशि लेप्स हुई है? उसकी जानकारी उपलब्ध करावें। साथ ही लेप्स हुई राशि पुन: कब तक आवंटित कर दी जायेगी?

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान राशि रुपये 15.00 लाख के विरूद्ध राशि रुपये 14.01745 लाख का बजट आवंटन वित्त विभाग से प्राप्त हुआ था। शेष राशि रुपये 0.98255 लाख वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुपूरक बजट के माध्यम से वित्त विभाग से प्राप्त हुई है। अत: वर्ष 2019-20 के लिये राशि रुपये 15.00 लाख का बजट प्राप्त हो गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र, सोहागपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधायक स्वेच्छानुदान योजनान्तर्गत राशि रुपये 15.00 लाख के विरूद्ध राशि रुपये 14.01745 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। माननीय विधायक सोहागपुर की अनुशंसा अनुसार प्राप्त आवंटन के विरूद्ध राशि रुपये 14.20 लाख की स्वीकृति जारी की गई जो कि प्राप्त आवंटन से राशि रुपये 0.18255 लाख अधिक थी। तत्कालिक आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार अधिक राशि जिले की अन्य विधान सभाओं हेतु प्राप्त आवंटन से व्यय की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 का शेष आवंटन राशि रुपये 0.98255 लाख अनुपूरक बजट वर्ष 2020-21 में प्राप्त होने के फलस्वरूप अधिक व्यय राशि रुपये 0.18255 लाख को समायोजित कर वर्ष 2019-20 के कुल आवंटन रुपये 15.00 लाख (अनुपूरक बजट में प्राप्त राशि सहित) के विरूद्ध रुपये 15.00 लाख की स्वीकृति जारी कर दी गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सार्वजनिक समारोह में विधायक को आमंत्रित करने संबंधी दिशा-निर्देशों
[सामान्य प्रशासन]

7. परि.अता.प्र.सं. 79 (क्र. 809) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर अंतर्गत होने वाले शासकीय विभाग से संबंधित

सावर्जनिक समारोह/कार्यक्रम में विधायक को आमंत्रित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों पर निलंबन या अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रावधान भी हैं? यदि हैं, तो क्या प्रावधान है? **(ग)** क्या दिनांक 25 जनवरी 2021 को जनपद पंचायत खिलचीपुर क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन तथा लोकार्पण के कार्यक्रम आयोजित हुए थे जिनमें तीन ग्राम पंचायत (नाटाराम, भाटखेड़ा व गुनाखेड़ी) में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली सुदूर सड़क के लिए भूमि पूजन सम्पन्न हुआ था तथा इसी दिनांक को क्या पंचायत विभाग से सम्पादित हुए निर्माण कार्य अंतर्गत एक पंचायत (हलाहेड़ी) में सामुदायिक भवन और एक अन्य पंचायत (ब्यावराकलां) में स्वच्छता परिसर का लोकार्पण कार्यक्रम भी सम्पन्न हुआ था? **(घ)** यदि हाँ तो क्या पांचों कार्यक्रमों में विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर से निर्वाचित वर्तमान विधायक महोदय को आमंत्रित किया गया था? यदि नहीं, तो क्या संबंधित ग्रामीण यांत्रिकी विभाग (आर.ई.एस.) तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में माननीय विधायकगणों को आमंत्रित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। **(ख)** जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 19-76/2007/1/4 दिनांक 05 अगस्त 2017 में इसका उल्लेख है। **(ग)** दिनांक 25 जनवरी 2021 को माननीय सांसद राजगढ़, जिला भाजपा अध्यक्ष एवं मण्डल अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला राजगढ़ के विकासखण्ड खिलचीपुर ग्राम पंचायत नाटाराम, भाटखेड़ा, गुनाखेड़ी में भ्रमण किया गया। संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्तर पर शासन योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों, सुदूर सम्पर्क सड़क योजना, सी.सी. रोड निर्माण स्वच्छता परिसर आदि का भूमिपूजन कार्यक्रम सम्पन्न करवाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत हालाहेड़ी में निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। ग्राम पंचायत ब्यावराकलां में स्वच्छता परिसर का लोकार्पण न होकर भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी, उपयंत्री आदि उपस्थित रहे। उक्त ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम जनपद पंचायत खिलचीपुर अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा राजगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं थे। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर किये गये हैं, जिसकी सूचना ग्राम पंचायतों द्वारा यथा समय जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को नहीं दी गई। **(घ)** चूंकि उक्त पंचायतों में माननीय सांसद एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ग्रामीण भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिसकी जानकारी ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा ग्रामीण यांत्रिकी विभाग राजगढ़ को नहीं दिये जाने एवं जनपद पंचायत अथवा ग्रामीण यांत्रिकी विभाग राजगढ़ द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाने से किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अधिकारियों द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्रों का जवाब न दिया जाना
[सामान्य प्रशासन]

8. अता.प्र.सं.98 (क्र. 928) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-76स/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22 मार्च 2011 एवं पत्र दिनांक 17 अगस्त 2016 के आदेश अनुसार क्षेत्रीय माननीय सांसद/माननीय विधायक के पत्रों के उत्तर देने के निर्देश हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा 01 जनवरी 2020 से 30 दिसम्बर 2020 तक कब-कब कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लहार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार/रौन को कब-कब पत्र लिखे? उक्त पत्रों के उत्तर कब-कब उपरोक्त अधिकारियों ने प्रश्नकर्ता को दिए? **(ग)** उपरोक्त सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन न करने वालों को पुन: निर्देशित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का संबंधितों द्वारा पालन किया जाता है। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु पुन: पत्र क्रमांक 19-76/2007/1/4 दिनांक 02/07/2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

दिनांक 25 फरवरी, 2021

शासन की सुरक्षित भूमियों की जानकारी
[राजस्व]

9. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 414) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में शासन और सार्वजनिक निस्तार के लिए वर्ष 1958-59 की खतौनी के आधार पर जो भूमि सुरक्षित थी, उसका खसरा नम्बर रकबा स्पष्ट बताएँ तथा इसके बाद से अभी तक यदि किसी व्यक्ति, संस्था को स्थानांतरित किया गया है, तो कैसे और किन प्रावधानों और नियमों के तहत यह जमीन आवंटित की गई है? **(ख)** क्या अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों को भी इसमें से भूमि आंवटित की गई? यदि हाँ, तो खसरा नम्बर एवं हितग्राही के नाम सहित बताएं। यदि उनका विक्रय या अंतरण हुआ है तो किस कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसा किया? विवरण दें। **(ग)** क्या अधिकारियों से मिलीभगत कर नक्शा तरमीम में हेराफेरी की गई जिससे दूरदराज बहुत कीमती जमीनों को शहरी मुख्य मार्गों से लगी जमीन बताकर जमीन की अदला बदली के कितने आदेशों को निरस्त किया गया था, उनकी प्रतियां उपलब्ध करावें एवं वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, यह भी बताएं। **(घ)** यदि शासकीय भूमि को इस तरह खुर्दबुर्द किया गया है तो क्या सरकार सचिव स्तर के अधिकारी से इसकी जांच कराकर उक्त भूमि को वापस लाने का कार्य करेगी एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी एवं भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हाँ तो समय-सीमा बताएं।

राजस्व मंत्री : [**(क)** कटनी जिला अंतर्गत शासन और सार्वजनिक निस्तार के लिए वर्ष 1958-59 की खतौनी से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी वृहद स्वरूप की है। उक्त **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** जी हाँ, **जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)** प्रकरण संज्ञान में आने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।] **(क)** कटनी जिला अंतर्गत शासन और सार्वजनिक निस्तार के लिए वर्ष 1958-59 की खतौनी से प्रश्न दिनांक तक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

पॉवरमेक कम्पनी द्वारा रेत भण्डारण
[खनिज साधन]

10. अता.प्र.सं.49 (क्र. 859) श्री संजीव सिंह : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले में कार्यरत पॉवरमेक कम्पनी के द्वारा कहाँ-कहाँ रेत भण्डारण हेतु, कितने घनफुट की परमिशन ली गई? **(ख)** उक्त भण्डारण का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया? **(ग)** किन-किन गाड़ियों से किन-किन रेत खदानों से भण्डारण किया गया? गाड़ियों के नम्बर सहित सम्पूर्ण विवरण देवें।

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** भिण्ड जिले में कार्यरत पॉवरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड को 05 स्थलों पर रेत भण्डारण की अनुज्ञप्ति खदान से खनिज निकासी क्षमता के आधार पर दी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित** है। **(ख)** उक्त भण्डारण स्थल का भौतिक सत्यापन दिनाँक 17/07/2020, 19/07/2020 एवं 20/07/2020 को प्रभारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग ग्वालियर एवं चंबल, राजस्व निरीक्षण, खनि निरीक्षक एवं हलका पटवारी के द्वारा किया गया है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित** है। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर दर्शित** है।

गेहूं परिवहन की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

11. अता.प्र.सं.105 (क्र. 1215) श्री बाला बच्चन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में बड़वानी, खरगोन जिलों में उपार्जन केन्द्रों से गेहूं का परिवहन किनके द्वारा करवाया गया? वाहन नंबर, परिवहनकर्ता (टेंडर चयनित) नाम सहित वर्षवार, जिलावार देवें। **(ख)** इन परिहवनकर्ताओं ने उपार्जन स्थल से भंडारण स्थल तक जो गेहूं पहुंचाया उसकी मात्रा, दूरी की जानकारी प्रति वाहनानुसार जिलावार देवें। **(ग)** इसके लिये इन्हें कितना भुगतान किया गया? परिवहनकर्ता नाम, राशि दर सहित प्रत्येक आवागमन की जानकारी के साथ देवें। **(घ)** संबंधित का अकाउंट नंबर, T.D.S. कटौत्रे की जानकारी भी साथ में देवें। यदि T.D.S. नहीं काटा गया तो इसका कारण भी बतावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में बड़वानी, खरगोन जिलों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं का परिवहन उपार्जन केन्द्रों से परिवहनकर्ता के माध्यम से कराया गया। परिवहन कार्य में लगाए गए परिवहनकर्ताओं का नाम, वाहन नंबर, वर्षवार, जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। टी.डी.एस. काटा गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय भूमि पर निजी कब्जा
[राजस्व]

12. अता.प्र.सं.122 (क्र. 1315) श्री जितू पटवारी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर तथा उज्जैन संभाग में जमीन के उन सर्वे नम्बर की सूची देवें जो शासकीय थी तथा जिन पर निजी नाम पर दर्ज होने को लेकर विवाद प्रचलन में था तथा माननीय उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय अथवा न्यायालय तहसीलदार के आदेश पर निजी नाम से नामांतरण स्वीकृत किया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित न्यायालय तहसीलदार के निर्णय को किस-किस प्रकरण में जिला न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी गई? ऐसी कुल जमीन कितनी है तथा उसकी वर्तमान कलेक्टर गाइड-लाइन से कीमत क्या है? **(ग)** प्रश्नांश (क) में ऐसी जमीन की सूची देवें जिनमें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई? जमीन की कुल मात्रा तथा वर्तमान कलेक्टर गाइड-लाइन अनुसार मूल्य बताएं। **(घ)** क्या शासकीय जमीन को निजी नाम पर करने के विवाद में उच्चतम न्यायालय तक प्रकरण दर्ज कराना चाहिये? यदि हाँ, तो बतावें कि इंदौर उज्जैन संभाग में पिछले 10 वर्षों में ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिन्हें अगले सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई तथा उन जमीनों की कुल मात्रा तथा वर्तमान मूल्य कितना है?

राजस्व मंत्री : [**(क)** उज्जैन संभाग के जिला देवास की तहसील हाटपिपल्या का सर्वे न. 942/1,947/5,946/1 रकबा 3.13 हेक्टेयर पर उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के पिटीशन क्रमांक 20880/18 मे पारित निर्णय दिनांक 02.08.2019 के पालन में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। देवास की तहसील सतवास का सर्वे न. 329 रकबा 0.393 हेक्टेयर पर एस.एल.पी.सी.सी. नम्बर 21738-39/15 माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पिटीशन क्रमांक 21738/2015 मे पारित आदेश दिनांक 14.12.2015 के पालन में नामान्तरण का प्रकरण प्रचलित है। इंदौर संभाग के जिला झाबुआ की तहसील मेघनगर कस्बा मेघनगर का सर्वे न. 557 रकबा 1.635 हेक्टेयर शासकीय विकास खण्ड नजूल मद की भूमि मे से भू-खण्ड क्र. 28 सी क्षेत्रफल 40x60 = 2400 वर्गफीट व खण्ड क्र. 30 सी क्षेत्रफल 40x60 = 2400 वर्गफीट भूमि का माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 झाबुआ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश थांदला जिला झाबुआ के दीवानी वाद प्रकरण क्र- 2ए/98 पारित निर्णय दिनांक 28/07/1999 द्वारा

प्रदाय की गई डिक्री के आधार पर न्यायालय तहसीलदार मेघनगर के राजस्व प्रकरण क्र./0071/अ-6 (2)/2017-18 पारित आदेश दिनांक 21-01-2019 द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि सर्वे न. 557 में से भू-खण्ड क्र. 28 सी क्षेत्रफल 40x60 = 2400 वर्गफीट व भू-खण्ड क्र. 30 सी क्षेत्रफल 40x60 = 2400 वर्गफीट भूमि का निजी व्यक्ति के नाम नामांतरण स्वीकृत किया। उज्जैन संभाग के जिला रतलाम व उज्जैन तथा इंन्दौर संभाग के जिला इंदौर की **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** एवं **(ग)** की **जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)** जिला देवास की तहसील हाटपिपल्या की भूमि के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. (सी) नं. 3460 लगाई गई है। जिला झाबुआ की तहसील मेघनगर की भूमि के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत की गई थी जो पारित निर्णय दिनांक 30.06.2016 से निरस्त की गई। अन्य जिलों की **जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** इंदौर संभाग के जिला झाबुआ की तहसील मेघनगर कस्बा मेघनगर के सर्वे न. 557 रकबा 1.635 हेक्टेयर शासकीय विकास खण्ड नजूल मद की भूमि मे से भू-खण्ड क्र. 28 सी क्षेत्रफल 40x60 = 2400 वर्गफीट व खण्ड क्र. 30 सी क्षेत्रफल 40x60 = 2400 वर्गफीट भूमि का माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 झाबुआ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश थांदला जिला झाबुआ के दीवानी वाद प्रकरण क्र- 2ए/98 पारित निर्णय दिनांक 28/07/1999 द्वारा प्रदाय की गई डिक्री के आधार पर न्यायालय तहसीलदार मेघनगर के राजस्व प्रकरण क्र./0071/अ-6 (2)/2017-18 पारित आदेश दिनांक 21-01-2019 द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि सर्वे न. 557 मे से भू-खण्ड क्र. 28 सी क्षेत्रफल 40x60 = 2400 वर्गफीट व भू-खण्ड क्र. 30 सी क्षेत्रफल 40x60 = 2400 वर्गफीट भूमि का निजी व्यक्ति के नाम नामांतरण स्वीकृत किया। जिला इंदौर में जो शासकीय जमीन थी तथा जिनके निजी नाम दर्ज को लेकर विवाद प्रचलन में था उनके माननीय उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय अथवा न्यायालय तहसीलदार के आदेश पर निजी नाम दर्ज किए जाने संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। इन्दौर संभाग के शेष जिलों की जानकारी निरंक है। उज्जैन संभाग के जिला देवास की तहसील हाटपिपल्या के सर्वे न. 942/1,947/5,946/1 रकबा 3.13 हेक्टेयर का माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के पिटीशन क्रमांक 20880/18 मे पारित निर्णय दिनांक 02.08.2019 के पालन में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। देवास की तहसील सतवास के सर्वे न. 329 रकबा 0.393 हेक्टेयर का एस.एल.पी.सी.सी. नम्बर 21738-39/15 माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पिटीशन क्रमांक 21738/2015 मे पारित आदेश दिनांक 14.12.2015 के पालन में नामान्तरण का प्रकरण प्रचलित है। जिला उज्जैन की तहसील कोठीमहल, उज्जैन नगर एवं तराना के तकायामी भूमि व नगर भूमि सीमा के अंतर्गत प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। रतलाम जिले में तहसील रतलाम शहर के सर्वे नम्बरों की जानकारी निम्नानुसार है :-

सर्वे क्र.	रकबा	न्यायालय के आदेश
43/1131/मिन-1	0.760	माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. 7963/2009 में पारित आदेश दिनांक 6.1.2011 एवं अवमानना याचिका क्र. 262/12 में प्रदाय निर्देश दिनांक 21.3.2013 एवं न्यायालय कलेक्टर रतलाम के प्रकरण क्र.3/अ-20/12-13 आदेश दिनांक 1.4.2013 के पालन में तहसीलदार रतलाम के प्र.क्र. 31/अ-6/2012-13 आदेश दिनांक 1.6.2013 के पालन में नामान्तरण स्वीकृत किया गया।
141/2	3.500	माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 रतलाम के प्रकरण क्र. 39/अ-82 में पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 6.4.1987 के पालन में न्यायालय तहसीलदार महोदय रतलाम के प्रकरण क्र. 64/अ-6/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 4.2.2008 से नामान्तरण स्वीकृत किया गया।
137/1/ख/2 137/1/ख/3	0.020 0.039	माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की याचिका क्र.8443/15 में पारित आदेश दिनांक 3.8.2016 एवं पुनर्याचिका क्र. 400/15 के क्रम में अवमानना क्र. 157/2016 के पालन में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्र.8365/13 में पारित आदेश दिनांक 11.9.2013 के अनुसार, न्यायालय तहसीलदार रतलाम के प्रकरण क्र. 3/अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 14.9.2015 एवं प्रकरण क्र. 10/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29.9.2016 अनुसार नाम दर्ज किया गया।

उज्जैन संभाग के शेष जिलों की जानकारी निरंक है। **(ख)** इन्दौर संभाग के जिला इंदौर में सभी प्रकरणों में शासन विरूद्ध निर्णय होने की स्थिति में उपयुक्त न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर चुनौती दी गई है जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। इन्दौर संभाग के शेष जिलों की जानकारी निरंक है। उज्जैन संभाग के जिला उज्जैन में प्रश्नांश (क) के संदर्भ मे सभी प्रकरणों में शासन विरूद्ध निर्णय होने की स्थिति में शासकीय अधिवक्ता के अभिमत प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही की गई है। ऐसी कुल भूमि 16.342 हेक्टेयर है जिसका वर्तमान कलेक्टर गाइड-लाइन से मूल्य ₹134380320/- (तेरह करोड़ तिरतालिस लाख अस्सी हजार तीन सौ बीस) है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। उज्जैन संभाग के शेष जिलों की जानकारी निरंक है। **(ग)** इन्दौर संभाग के जिला इन्दौर के सभी प्रकरणों में शासन विरूद्ध निर्णय होने की स्थिति में उपयुक्त न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर चुनौती दी गई है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। इन्दौर

संभाग के शेष जिलों की जानकारी निरंक है। उज्जैन संभाग के जिला उज्जैन में प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संभी प्रकरणों में शासन विरूद्ध निर्णय होने की स्थिति में उपयुक्त न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर चुनौती दी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। जिला रतलाम की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सर्वे	रकबा	गाइड-लाइन
1	43/1131	0.760 हे.	90 लाख
2	37/1/ख-2	0.020 हे.	140 लाख
3	137/1/ख-3	0.039 हे.	87 लाख
	किता 3	1.170 हे.	317 लाख

उज्जैन संभाग के शेष जिलों की जानकारी निरंक है। **(घ)** इन्दौर संभाग के जिला इन्दौर के सभी प्रकरणों में शासन विरूद्ध निर्णय होने की स्थिति में उपयुक्त न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर चुनौती दी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। जिला झाबुआ की तहसील मेघनगर की भूमि के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत की गई थी, जो पारित निर्णय दिनांक 30-06-2016 से निरस्त की गई। इन्दौर संभाग के शेष जिलों की जानकारी निरंक है। उज्जैन संभाग के जिला देवास की तहसील हाटपिपल्या की भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP (C) NO 3460 लगाई गई है। जी हाँ जिला उज्जैन के प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रकरणों में शासन विरूद्ध निर्णय होने की स्थिति में उपयुक्त न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर चुनौती दी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। जिला रतलाम के शेष प्रश्नांश की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सर्वे	रकबा	गाइड-लाइन
1	43/1131	0.760 हे.	90 लाख
2	137/1/ख-2	0.02 हे.	140 लाख
3	137/1/ख-3	0.039 हे.	87 लाख
योग-किता-3		**1.170 हे.**	**317 लाख**

उज्जैन संभाग के शेष जिलों की जानकारी निरंक है।

दिनांक 26 फरवरी, 2021

अवैध रेत भण्डारण एवं अनियमितताओं की जानकारी

[गृह]

13. अता.प्र.सं.44 (क्र. 856) श्री संजीव सिंह : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले में कार्यरत पॉवरमेक कम्पनी के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक भिण्ड को रेत भण्डारण में हुई अनियमितताएं/धोखाधड़ी के खिलाफ कोई शिकायत की गई? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त शिकायत के पालन में पुलिस के द्वारा ठेका निरस्ती या अन्य कोई कार्यवाही की गई?

(ग) यदि हाँ, तो कम्पनी एवं किन-किन लोगों पर किस-किस दिनांक, कौन कौन सी धारा के तहत कार्यवाही की गई? बताएं।

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** आवेदक देवेश शर्मा द्वारा दिया गया शिकायत पत्र जिला खनिज अधिकारी, जिला भिण्ड को तथ्यात्मक जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु भेजा गया है जो जिला खनिज अधिकारी, जिला भिण्ड के कार्यालय में कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक 1 मार्च, 2021

छात्र/छात्राओं के गणवेश हेतु कपड़ों की खरीदी
[स्कूल शिक्षा]

14. परि.अता.प्र.सं. 7 (क्र. 193) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बालाघाट जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं (कक्षा 1 से 8) हेतु म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्व. सहायता समूहों को गणवेश हेतु कपड़ा एवं अन्य अनुषांगिक सामग्री, बटन, धागा, जिप, बकरम, हुक, नाड़ा डोरी, आदि, खरीदी एवं सिलाई कार्य हेतु आवंटन प्रदाय किया गया है? **(ख)** यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस स्व. सहायता समूह ने कब-कब कोटेशन/निविदा आमंत्रित किया? उसकी प्रति दें। निविदा/कोटेशन कब-कब खोला गया एवं तुलनात्मक पत्रक बनाये गये? उसकी प्रति दें। किस-किस दिनांक को बैठक कर किस-किस फर्म/संस्था की कितने-कितने दर स्वीकृत की गयी? संस्था/फर्म द्वारा डाले गये कोटेशन/निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्र, क्रय कार्य आदेश, अनुबन्ध पत्र, कपड़ा एवं अनुषांगिक सामग्री कब प्रदाय की गयी? उपरोक्त सभी की दस्तावेजों सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** गणवेश हेतु कपड़ा एवं अनुषांगिक सामग्री खरीदी उपरान्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं को अलग-अलग गणवेश सिलाई हेतु कितनी-कितनी राशि शेष बची/बचेगी? **(घ)** शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु स्व. सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय एवं कपड़ा एवं अन्य अनुषांगिक सामग्री खरीदी हेतु म.प्र. डे राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन, शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश की प्रति वित्तीय वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक की उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** बालाघाट जिले में 162 स्व-सहायता समूहों द्वारा संधारित दस्तावेजों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ग)** गणवेश हेतु कपड़ा एवं अनुशामिक सामग्री खरीदी उपरांत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं को अलग-अलग गणवेश सिलाई के पश्चात बचत की राशि की संभावना समूहों की क्षमता एवं कार्य की प्रक्रिया के

आधार पर होगी, जिसका आंकलन समूहवार किया जाना वर्तमान में संभव नहीं होगा। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है।

घुमक्कड़ जातियों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

15. अता.प्र.सं.79 (क्र. 1803) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के कल्याण हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? योजनाओं की छायाप्रति उपलब्ध करावें। 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि किस किस जिले को आंवटित की गई है? योजनावार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में 1 अप्रैल 2014 से विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति ग्रामों, मजरा/टोलों में कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई है तथा किन-किन हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है? योजनावार एवं ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति किन-किन ग्रामों में निवास करती है तथा कौन-कौन सी जाति विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति में सम्मिलित हैं? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के कल्याण हेतु कौन-कौन से कार्य किये जावेंगे?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [**(क)** विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण हेतु संचालित योजनाएं **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। हितग्राही मूलक योजनाओं की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। 01 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक चाही गई **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** प्रश्नांश "क" के संदर्भ में चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स","द" एवं "ई" अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" के संदर्भ जातिगत सर्वे नहीं होने से जिलेवार/ग्रामवार जानकारी उपलब्ध नहीं है। सामान्य जानकारी के आधार पर विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बाहुल्य ग्रामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "फ" अनुसार** है। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति में सम्मिलित जातियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "भ" अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश "ग" के संदर्भ में विकासखण्डवार कल्याण कार्यक्रम निर्धारित नहीं है, विभाग द्वारा संचालित समस्त योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।] **(क)** विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण हेतु संचालित योजनाएं **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। हितग्राही मूलक योजनाओं की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। 01 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

दिनांक 2 मार्च, 2021

कोविड महामारी के दौरान वाहनों पर हुए व्यय की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

16. अता.प्र.सं.63 (क्र. 1861) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में कोविड महामारी के दौरान जिन वाहनों को डीजल/पेट्रोल उपलब्ध कराया गया, उन पेट्रोल पंपों द्वारा दिए बिलों की प्रमाणित प्रति देवें। **(ख)** इन पेट्रोल पंप मालिकों को जिन खातों में भुगतान किया गया, उनके अकाउंट नंबर भी फर्म नाम/मालिक नाम सहित देवें। इनके काटे गये टी.डी.एस. की राशि भी साथ में दर्शावें। यदि टी.डी.एस. नहीं काटा गया हैं, तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? **(ग)** जिन वाहनों को इसके लिए अनुबंधित किया गया, उन्हें इसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया? वाहनवार, राशि, अकाउंट नंबर, टी.डी.एस. कटौत्रे सहित देवें। वाहन स्वामी का नाम भी साथ में देवें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है।** साथ ही प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत सेंधवा को टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किये जाने के संबंध में पत्र क्रमांक 1 दिनांक 06.01.2021 जारी किया गया था, जिसके अनुक्रम में कुल राशि रूपये 24037427/- भुगतान के विरूद्ध राशि रूपये 360980/ का टी.डी.एस. कटौत्रा किया गया है। **(ग)** जिले में प्रवासी मजदूरों के लिए जिला परिवाहन विभाग बड़वानी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों को जिले में कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी द्वारा कोविड-19 महामारी संक्रमण के दौरान जिला परिवहन विभाग द्वारा निजी यात्री वाहनों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी, सेंधवा को सौंपी गई थी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी, सेंधवा के माध्यम से वाहन किराये के देयक सत्यापन उपरांत जिला स्तर पर 04 सदस्यीय समिति द्वारा परीक्षण उपरांत की गई अनुशंसा को मद्देनजर रखते हुए किराया पत्रक अनुसार विभिन्न वाहन स्वामियों को उनके खाते में राशि अंतरित की गई है, टी.डी.एस. कटौत्रा भी किया गया है, समय-समय पर जारी आदेशों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है।

किसानों की आय दोगुनी करना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

17. अता.प्र.सं.129 (क्र. 2409) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में किसानों की वार्षिक आय वर्ष 2004-05 से 2019-20 की बतावें तथा बतावें कि प्रतिवर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा आलोच्य वर्ष में कितना प्रतिशत कम/ज्यादा है? **(ख)** मुख्यमंत्री जी ने कृषकों की वार्षिक आय कितने वर्ष में दोगुनी करने की

घोषणा की है? यह घोषणा किस वर्ष में की गई तथा यह घोषणा करने का कारण क्या था? **(ग)** प्रदेश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा वर्ष 2014-15 से 2019-20 का बतावे क्या प्रदेश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा पिछले दस वर्ष से निरंतर गिरावट हो रही है? **(घ)** मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार कृषकों की आय दो गुना किस वर्ष में हुई? यदि नहीं, तो कब तक हो जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा यह जानकारी संधारित नहीं की जाती है। विभाग द्वारा जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हॉ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषकों की वार्षिक आय पांच वर्ष में दोगुना करने की घोषणा की है। वर्ष 2016 में यह घोषणा की गई है। कृषकों की वार्षिक आय में वृद्धि करना। **(ग)** प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन (प्रचलित भावों पर) में फसल क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 में 28.70%, वर्ष 2015-16 में 26.52%, वर्ष 2016-17 में 31.13%, वर्ष 2017-18 में 30.25%, वर्ष 2018-19 (प्रा.) में 28.76% तथा वर्ष 2019-20 (त्व.) में 30.56% रहा है। प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र के हिस्से में पिछले 10 वर्ष से निरन्तर गिरावट नहीं हो रही है। **(घ)** मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार कृषकों की आय दो गुना करने के प्रयास किये जा रहे है। अवधि बताना संभव नहीं है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। जिससे किसानों की आय में वृध्दि हुई है जैसे:- 1.पूर्व में सरसों का उपार्जन 13 क्विंटल प्रति हैक्टेयर के मान से तथा चना का उपार्जन 15 क्विंटल प्रति हैक्टेयर के मान से किया जा रहा था जिसे बढ़ाकर 20-20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक चना तथा सरसों की उपार्जन मात्रा नियत की गई है। 2. समर्थन मूल्य पर एक दिन में एक किसान से खरीदी की अधिकतम सीमा 25 क्विंटल को समाप्त कर पंजीयन अनुसार एक साथ खरीदा जाना निश्चित किया गया जिससे किसान की पैसे तथा समय की बचत हुई। 3.वर्ष 2018 में 9.51 लाख किसानों को खरीफ का 1987.27 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2018-19 में 8.94 लाख किसानों को रबी का 1241 करोड़ रूपये तथा खरीफ 2019 का 23.59 लाख कृषकों का राशि रूपये 5417 करोड़ रूपये की बीमा दावा राशि का भुगतान कराया गया। 4.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गत वर्ष प्रदेश में मात्र 25 लाख किसानों का बीमा हुआ था। इस वर्ष खरीफ फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई के स्थान पर 1 माह बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक की गई। जिससे 44,53,606 किसानों का पंजीयन कराया गया। 5.किसानों के उत्पादन में वृध्दि हेतु वर्ष 2019-20 में 42,55,223 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण किया गया। वर्ष 2020-21 में 43,30,560 क्विंटल बीज वितरण किया गया। 6.विगत वर्ष चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन गेहूं उपार्जन के बाद में किया गया था इस वर्ष गेहूं उपार्जन के साथ ही चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतों की जांच
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

18. परि.अता.प्र.सं. 121 (क्र. 2425) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश की 258 बड़ी मंडियों में पद के दुरूपयोग और आर्थिक

अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच म.प्र. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड ने की थी? **(ख)** यदि हां, तो (क) प्रवर्ग की किन-किन मंडियों की प्राप्त शिकायतें विगत वर्षों में कितनी-कितनी प्राप्त हुई थीं? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्राप्त शिकायतों में से लगभग 27 शिकायतों में जांच में आर्थिक अनियमितताएं एवं अन्य गड़बड़ियां प्रमाणित होने पर जांचकर्ताओं ने अग्रिम कार्यवाही हेतु नस्ती संचालक, मंडी बोर्ड को सौंप दी थी किन्तु इस मामले को आरोपियों से मिलीभगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। **(घ)** क्या यह प्रकरण मा. मंत्री जी के संज्ञान में लाने पर मा. कृषि मंत्री जी ने माह जनवरी 2021 को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। समय-समय पर प्राप्त शिकायतों की जांच म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराई गई। **(ख)** प्रदेश में "क" प्रवर्ग की 26 मंडी समितियों की विगत वर्षों में 167 शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों की मंडीवार, वर्षवार विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

भोपाल, रायसेन जिले में बेची गई उपज के भुगतान में विसंगति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

19. परि.अता.प्र.सं. 125 (क्र. 2435) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल, रायसेन जिले की कृषि उपज मण्डियों में माह अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि में किसानों द्वारा बेची गई उपजों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से उक्त दोनों जिलों के कितने-कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? **(ख)** क्या उक्त किसानों को मण्डी में व्यापारियों ने जो चैक दिये थे, वह बाउन्स हो गये थे, जिसकी शिकायत मण्डी को किये जाने पर मण्डी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उन किसानों को मण्डी निधि से भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 04 जून 2019 को सशर्त दिये थे? आदेश की प्रति संलग्न करें। **(ग)** उक्त दोनों जिलों में कितने-कितने किसानों की कितनी-कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है एवं इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? **(घ)** उपरोक्तानुसार उक्त अवधि में प्रदेश की किन-किन बड़ी मण्डियों में कृषकों द्वारा बेची गई उपजों का कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन कारणों से नहीं किया गया है? यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी हॉ। म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा सचिव, कृषि उपज मंडी समिति भोपाल को दिनांक 14.06.2019 तथा सचिव, मंडी समिति रायसेन को दिनांक 24.09.2020 मे मंडी की मण्डी निधि से नियमानुसार भुगतान करने की अनुमति दी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी उत्तरांश 'क' अनुसार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर** है। उक्त दोनों मंडियो मे भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है,

समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** उक्त अवधि मे प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति भोपाल, रायसेन में कृषकों द्वारा बेची गई उपज का क्रमश: राशि रूपये 73,38,402/- एवं रूपये 2,04,98,118/- का भुगतान व्यतिक्रम फर्मों द्वारा नहीं किया गया। कृषि उपज मंडी समिति भोपाल एवं रायसेन द्वारा मंडी निधि/स्थाई निधि से भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कृषि उपज मंडी समिति खातेगॉव की डिफाल्टर फर्म का प्लॉट कुर्क कर आफसेट मूल्य पर विक्रय तथा व्यापारी एसोसिऐशन की सामूहिक प्रतिभूति जब्त कर बैंक से भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दिनांक 3 मार्च, 2021

डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के आवेदन एवं जारी किए जाने की कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

20. अता.प्र.सं.35 (क्र. 1727) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग मप्र शासन द्वारा आदेश दिनांक 27/11/2019 से सेवा क्रमांक – 6.5 के आवेदन में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में कोई परिवर्तन किया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या और क्या आवेदन के साथ हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो शासनादेशों/निर्देशों से अवगत कराइए? **(ख)** प्रश्नांश (क) आदेश के पश्चात् कटनी-जिले में किस प्रक्रिया से किन-किन दस्तावेजों के आधार पर आवेदन जमा और डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा क्या आवेदन के समय हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति की मांग आवश्यक तौर पर की जाती हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या ऐसा ना होना सत्यापित किया जायेगा? **(ग)** प्रश्नांश (ख) क्या हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न ना होने पर लोक सेवा केन्द्रों द्वारा आवेदन जमा नहीं किए जाते और पदभिहित अधिकारियों द्वारा आवेदनों को निरस्त किया गया हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या ऐसा ना होना सत्यापित किया जायेगा? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में नियम विपरीत तरीके से लोक सेवा केन्द्रों द्वारा आवेदन जमा करने से इंकार कर आवेदकों को भटकाने और आवेदनों को निरस्त करने का संज्ञान लेते हुये कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।**] **(क)** जी हॉ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।** आवेदन के साथ हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जिला अंतर्गत आवेदन के साथ हस्तलिखित (मैनुअल) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति की स्वप्रमाणित छायाप्रति के आधार पर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। आवेदन के समय हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति की मांग नहीं की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करने पर आवेदन जमा किये जाते हैं। मूल प्रति के अभाव में आवेदन निरस्त नहीं किए गए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश (ख) एवं (ग) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण
[सामान्य प्रशासन]

21. अता.प्र.सं.55 (क्र. 2095) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को शासकीय नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? अगर हां तो कब से कितनों को अगर नहीं तो कब तक दिया जावेगा? **(ख)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत जिला नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह में आरक्षण प्रारंभ होने के उपरांत से कितने नागरिकों को शासकीय नौकरियों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ प्रदान किया है विभागवार जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हॉ। अन्य पिछड़ा वर्ग को 8 मार्च, 2019 से 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** प्रश्नांश (क) के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में राजस्व स्थापना अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के 03 पदों पर एवं चतुर्थ श्रेणी के 05 पदों पर आरक्षण प्रारंभ होने के उपरांत कुल 08 नागरिकों को शासकीय नौकरियों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। सागर एवं दमोह जिले की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खुले में स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं स्टोरेज टैंक स्थापित करना
[वाणिज्यिक कर]

22. परि.अता.प्र.सं. 58 (क्र. 2205) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरीज प्रा.लि.के द्वारा क्या खुले में स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं स्टोरेज टैंक स्थापित किये थे? अगर हां तो कब? क्या भोपाल के उपायुक्त आबकारी विभाग द्वारा की गई जाँच में अनियमिततायें सामने आई हैं? अगर हां तो उक्त जाँच रिपोर्ट की एक-एक स्वच्छ प्रतिलिपि एवं जाँच रिपोर्ट का निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन एवं अनुशंसा जो की गई है उसकी एक प्रतिलिपि दें? **(ख)** क्या आबकारी विभाग के द्वारा सोम डिस्टलरीज के स्प्रिट रिसीवर टैंक क्रमांक आर-01 से 12 तथा स्पिरिट स्टोरेज टैंक क्र.एस बी 12 से एस बी 19 तक के उपयोग पर रोक लगाते हुये सीज कर दिया है? उक्त जारी सभी आदेशों की एक प्रति उपलब्ध करायें? अगर प्रश्नतिथि तक सील एवं सीज नहीं किया है तो कारण बताएं नियमों की एक प्रति दें? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शराब कंपनी ने नई यूनिट या अन्य के लिये राज्य शासन/विभाग से अनुमति ली थी? अगर हां तो जारी अनुमतियों की एक प्रति उपलब्ध करायें। अगर नहीं ली थी तो प्रश्नतिथि तक शासन द्वारा उक्त कंपनी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां क्यों नहीं की? नियमों की एक प्रति दें। कब तक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा?

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हॉ। प्रश्नांश "क" के संदर्भ में सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन से प्राप्त जानकारी अनुसार खुले में स्थापित स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं स्टोरेज टैंक कब कितने बनाए है के संबंध मे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जी हॉ। यह सही है कि अनियमिततायें पाई गई है, जांच रिपोर्ट की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख)** जी हॉ। यह सही है कि प्रश्न में उल्लेखित टैंक के उपयोग पर रोक लगाते हुये सीज कर दिया गया है। आदेश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(ग)** मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज, जिला रायसेन द्वारा नई यूनिट या अन्य के संबंध में राज्य/विभाग से विधिसम्मत अनुमति प्राप्त नहीं की थी। मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज, जिला रायसेन द्वारा बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के अपनी इकाई में परिवर्धन एवं आधुनिकिकरण का कार्य किया गया, जो कि मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 4 (24) का उल्लंघन होकर नियम 8 के अंतर्गत दण्डनीय है। आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 5395 दिनांक 23.12.2015 में इकाई पर 1 लाख रूपये की शास्ति आरोपित की गई। जिसकी छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज, जिला रायसेन को **Zero Liquid Discharge** के संदर्भ में आधुनिकरण कार्य/ निर्माण की अनुमति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है। नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार** है।

प्रकरणों में अद्यतन स्थिति की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 2660) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्र.क्र. 1695, दि. 21-07-17 के अनुसार विभाग द्वारा शासन को भेजे गये पत्रों की प्रमाणित प्रति पत्रवार देवें। **(ख)** उपरोक्तानुसार प्रकरण क्र. EOW-R-646/12, EOW R-1169/3, EOW R-892/13, EOW R-1134/13 के प्रकरणों में अद्यतन स्थिति की जानकारी देकर बतावें कि विगत 7 वर्षों में इन पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या कारण है, कि 7 वर्षों से अधिक समय से लंबित कार्यवाहियां पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? **(घ)** कार्यवाही लंबित कर आरोपी अधिकारियों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि शासन इन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार।** **(ग)** समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। **(घ)** उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सी.पी.सी.टी. परीक्षा में समय-सीमा वैधता में वृद्धि
[सामान्य प्रशासन]

24. परि.अता.प्र.सं. 111 (क्र. 2790) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में शासकीय पदों पर उम्मीदवारों से कम्प्यूटर दक्षता एवं टाइपिंग कौशल के आंकलन हेतु CPCT परीक्षा आयोजित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3-15/2010/01/03, दिनांक 26 फरवरी, 2015 के परिपालन में लागू किया गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र के अनुपालन में विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या आदेश/निर्देश के पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने के नियम/निर्देश जारी किये गये हैं? पृथक-पृथक ब्यौरा दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिनके CPCT प्रमाण-पत्रों की वैधता शासकीय सेवा में आने के उपरांत समाप्त हो गई है उन शासकीय कर्मचारियों से प्रमाण पत्र वैधता में वृद्धि हेतु शासन की क्या कार्य योजना है? **(ग)** क्या CPCT परीक्षा की वैधता हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो वैधता निर्धारण के क्या नियम हैं? यह नियम स्थायी प्रकृति के हैं? यदि हां, तो प्रदेश में ओर कौन सी परीक्षायें हैं, जो निर्धारित समय-सीमा वैधता के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसको उदाहरण मानकर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है? विगत 3 वर्षों में वैधता समाप्त करने को लेकर जनप्रतिनिधियों, छात्रों से कोई आवेदन/शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? **मुख्यमंत्री :** [**(क)** जी हाँ, उक्त निर्देश स्वयं स्पष्ट है। **(ख)** सी.पी.सी.टी. प्रमाण-पत्र शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवश्यक है। शासकीय सेवा में आने के पश्चात सी.पी.सी.टी. प्रमाण पत्र की वैधता में वृद्धि का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। शेष प्रश्न की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** जी हां। सी.पी.सी.टी. के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिनांक 20.10.2014 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सी.पी.सी.टी. परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। समय-समय पर विभिन्न स्तरों से सी.पी.सी.टी. परीक्षा के संबंध में ज्ञापन/सुझाव के दृष्टिगत परिपत्र दिनांक 23.03.2021 द्वारा सी.पी.सी.टी. प्रमाण पत्र की वैद्यता 07 वर्ष की गई है।

<u>दिनांक 4 मार्च, 2021</u>

अवैधानिक लीज के संबंध में कार्यवाही
[खनिज साधन]

25. अता.प्र.सं.54 (क्र. 2134) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खनिज लीज स्वीकृत होने से लीज धारक को बिना प्रतिकर किसानों एवं निजी व्यक्तियों के खसरे में लीज की प्रविष्टि करनें का अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे किसानों को ऋण की सुविधा बंद हो जाती है, खरीद बिक्री पर रोक लग जाती है एवं किसान की भूमि पर लीज धारक को अधिकार प्राप्त हो जाता है? शासनादेशों सहित जानकारी देवे? **(ख)** सतना जिले के रैगॉव,चित्रकूट एवं सतना विधानसभा में किन-किन पटवारी हल्कों की

कितनी-कितनी भूमियों पर बिना प्रतिकर भुगतान किये खसरा खतौनी में 'लीज' किसके आदेश से अंकित की गई है, हल्कावार बतावें? कब-कब, कितना-कितना प्रतिकर लीजधारकों द्वारा वर्ष 2007 से वर्षवार भुगतान किया गया? **(ग)** उक्त अवैधानिक लीज प्रविष्टि कब तक विलोपित कर दी जायेगी? साथ ही उक्त कृत्यों के लिये दोषियों पर क्या और कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** लीज धारक को खसरे में लीज प्रविष्टि का कोई अधिकार नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(ग)** लीज प्रविष्टि प्रथम दृष्टया अवैधानिक नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माईनिंग प्लान से अधिक उत्खनन पर कार्यवाही
[खनिज साधन]

26. अता.प्र.सं.58 (क्र. 2256) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में प्रश्न दिनांक को गौण खनिज रेत, मार्बल, क्रेशर आधारित गिट्टी की कितने वर्षों के लिए लीज किस-किस को आवंटित है? रकबा, खसरा नंबर सहित पूर्ण विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के पट्टाधारियों ने अपने माईनिंग प्लान में उत्खनन की कितनी मात्रा दर्शाई है और कितना उत्खनन किया गया है? विगत पांच वर्ष का विवरण दें। **(ग)** यदि माईनिंग में दर्शाई मात्रा से अधिक उत्खनन किया है, तो इसके लिए नियमों में दर्शाई गई पेनाल्टी किस-किस पर कितनी अधिरोपित की गई? **(घ)** क्या एस.एल.एस. मिनरल्स फर्म पर रॉयल्टी बकाया रहते पोर्टल लॉक न करते हुए ई.टी.वी. दी जा रही है? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? **(ड.)** कटनी जिले में रेत की कितनी खदानें किसको और कितनी अवधि के लिए आवंटित हैं? क्या आवंटित खदानों के अतिरिक्त जिन रेत खदानों को आवंटित नहीं किया गया, उन रेत खदानों से भी उत्खनन ठेकेदार द्वारा किया गया है? यदि हां, तो जांच दल गठित कर उत्खनन की मात्रा का निर्धारण करते हुए रॉयल्टी का निर्धारण किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

खनिज साधन मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में विगत तीन वर्षों में (2018-19 से 2020-21 तक) माईनिंग प्लान में दर्शित उत्पादन मात्रा एवं खनन की गई मात्रा का उल्लेख **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक 10-11 में** है। वर्ष 2016-17 से 2017-18 की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** **(ग)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित तीन वर्ष की अवधि में माईनिंग प्लान में दर्शित मात्रा से अधिक मात्रा में उत्खनन किया जाना संज्ञान में आया है। इनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये जिला कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अत: पेनॉल्टी अधिरोपित करने का अभी प्रश्न ही नहीं है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 से संबंधित **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** **(घ)** कटनी जिले में एस.एल.एस. मिनरल्स फर्म के नाम से कोई खनि रियायत

स्वीकृत नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** कटनी जिले में रेत की चिन्हित खदानें निविदा के माध्यम से मेसर्स विस्टा सेल्स प्रायवेट लिमिटेड को अवधि दिनांक 30/06/2022 तक के लिये आवंटित की गई है। ठेकेदार द्वारा आवंटित खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानों से उत्खनन किये जाने के संबंध में प्रकरण संज्ञान में न आने से शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है।] **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कॉलम क्रमांक 10-11 में** है एवं वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब के कॉलम क्रमांक 10, 11 में** है। **(ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि में माईनिंग प्लान में दर्शित मात्रा से अधिक मात्रा में उत्खनन किया जाना संज्ञान में आया है। इनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये जिला कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अत: पेनॉल्टी अधिरोपित करने का अभी प्रश्न ही नहीं है। कलेक्टर, (खनिज शाखा), जिला कटनी द्वारा प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में दर्शित उत्पादन मात्रा से अधिक मात्रा उत्खनन संबंधी जानकारी निरंक है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना
[परिवहन]

27. अता.प्र.सं.94 (क्र. 2818) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में जिला परिवहन कार्यालय में स्वीकृत पदों की पूर्ण जानकारी के साथ यह बतावें कि किन-किन पदों पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब-कब से पदस्थ हैं? **(ख)** क्या सतना जिले में जिला परिवहन अधिकारी के प्रभार के रूप में पदस्थ वर्तमान प्रभारी पूर्व में भी सतना जिले में उक्त पद पर पदस्थ रहे हैं? यदि हॉ तो सतना जिले में संबंधित कब-कब कितनी अवधि तक पदस्थ रहे एवं सतना जिले के सीमावर्ती जिलों में कब-कब कितनी अवधि के लिये पदस्थ रहे? पूर्ण सेवा अवधि में संबंधित कितने वर्षों तक सतना जिले मे पदस्थ रहे हैं? **(ग)** प्रभारी आर.टी.ओ. श्री संजय श्रीवास्तव का प्रशासनिक स्थानान्तरण सतना जिले से अन्यत्र कब-कब किन कारणों से किया गया। यह बतावें कि बार-बार प्रशासनिक स्थानान्तरण के उपरांत, सेवा अवधि के अधिकांश कालखण्ड में सतना जिले में पदस्थ करने का क्या कारण हैं? संबंधित को कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जावेगा? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार शासन के नियमों के तहत 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** स्वीकृत पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी स्वीकृत पद	01

सहायक अधीक्षक	01
लेखापाल	01
सहायक वर्ग-2	04
सहायक वर्ग-3	04
भृत्य	05

वर्तमान में सतना कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

अधि./कर्म. का नाम	पदनाम	पदस्थापना दिनांक (कब से)
श्री संजय श्रीवास्तव	प्रभारी RTO	01.07.2020
श्री रामपरीक्षाराम	सहा.वर्ग-1	03.09.2014
श्री तीरथ प्रसाद पाण्डेय	सहा.वर्ग-2	15.07.2010
श्री आर.बी.एस.गौर	सहा.वर्ग-2	30.07.2011
श्री शिवेन्द्र सिंह परिहार	सहा.वर्ग-2	29.12.2016
श्रीमती मनोरमा पाण्डेय	सहा.वर्ग-2	22.07.2006
श्री देवेन्द्र चौधरी	सहा.वर्ग-3	22.07.2017
श्री राजेन्द्र राय	सहा.वर्ग-3	03.08.2012
श्री हिमांशु श्रीवास्तव	सहा.वर्ग-3	15.01.2015
श्री राजीवमणी त्रिपाठी	सहा.वर्ग-3	23.05.2015
श्री बृजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	सहा. वर्ग-3	17.06.2015
श्रीमती आशा पाण्डेय	सहा.वर्ग-3	01.07.2020
श्री प्रमोद कौल	भृत्य	05.11.2011
श्री चेतराम कहार	भृत्य	15.01.2015

(ख) जी हाँ, वर्तमान प्रभारी पूर्व में निम्नांकित अवधि में पदस्थ रहे हैं :- (1) दिनांक 06.05.2015 से 22.05.2015 कुल 17 दिवस, (2) दिनांक 23.10.2015 से 15.05.2015 कुल 54 दिवस, (3) दिनांक 01.08.2016 से 11.07.2019 कुल 35 माह 11 दिन, (4) वर्तमान में 01.07.2020 से निरंतर कार्यरत हैं। सतना जिले के सीमावर्ती जिलों में परिवहन आयुक्त म.प्र.ग्वालियर के आदेश क्रं.2364/स्था./टीसी/2015, दिनांक 19.05.2015 द्वारा डी.टी.ओ. उमरिया का प्रभार दिया गया एवं आदेश क्रमांक-29/टीसी/कैम्प/2019, दिनांक 05.07.2019 द्वारा प्रभारी डीटीओ पन्ना के रूप में पदस्थ किये गये। **(ग)** एवं **(घ)** समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण किये गये हैं, स्थानांतरण कार्यालयीन आवश्यकताओं एवं प्रशासनिक आधार पर समय-समय पर शासनादेश के अनुरूप किये जाते हैं, अत्एव समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुआवजा राशि का वितरण
[राजस्व]

28. परि.अता.प्र.सं. 101 (क्र. 2862) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले में 1 जनवरी 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक प्राकृतिक प्रकोप से हुई फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि, बाढ़, कीट व्याधि, पशुहानि एवं अन्य क्षतियों के कितना प्रकरणों में मुआवजा वितरित किया गया है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** वर्ष 2020-21 में उपरोक्त मदों में कितनी राशि स्वीकृत एवं कितनी वितरण हेतु शेष है। **(ग)** प्रश्नांश के संदर्भ में (क) 2017-18 की सूखा राहत राशि लटेरी तहसील में कितने कृषकों को स्वीकृत हुई? कितने कृषकों को वितरण किया गया? शेष रह गए कृषकों के लिए दोषी कौन हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? शेष कृषकों का मुआवजा कब तक वितरण कर दिया जावेगा? **(घ)** तहसील लटेरी में कितनी सूखा राहत राशि वर्ष 2017-18 की शासन को वापिस की गई है? कृषक प्रीतम सिंह पुत्र बादल सिंह, प्यारीबाई वेवा मान सिंह, खेलन सिंह पुत्र मान सिंह, सौदान सिंह पिता मान सिंह सर्व निवासी मजरा खेलनी ग्राम झूकरजोगी तहसील लटेरी, जसवंत साहू निवासी महोटी भूमि ग्राम शेरगढ़ पटवारी हल्का बापचा सर्वे नंवर 82/2 सहित कितने कृषक शेष हैं तथा कब तक उनका सूखा राहत राशि का भुगतान कर दिया जावेगा? बतलावें। **(ड.)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कीट व्याधि से क्षतिग्रस्त खरीफ फसलों की शेष मुआवजा राशि कब तक वितरित की जावेगी?

राजस्व मंत्री : [**(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** जिला विदिशा में वर्ष 2020-21 में कीट व्याधि हेतु आवंटित राशि रु. 1,91,34,68,000/- के विरुद्ध राशि रु. 66,40,11,65/- भुगतान होना शेष है एवं अन्य क्षति में स्वीकृत राशि रु. 35504422/- के विरुद्ध व्यय शत-प्रतिशत है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।] **(ग)** वर्ष 2017-18 में तहसील लटेरी के 24950 कृषकों को सूखा राहत राशि 25,08,21,264/- रूपये स्वीकृत की गई थी। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा राशि 29855617/- रूपये कृषकों के खाते न मिलने, शामिल खातों में आपसी सहमति न होने के कारण ग्राम से बाहर निवास करने, सूचना उपरांत सहमति/बैंक खाता उपलब्ध न कराने के कारण समर्पित की गई है। **(घ)** उत्तरांश (ग) अनुसार तहसील लटेरी में वर्ष 2017-18 में सूखा राहत राशि 2,98,55,617/- रूपये कृषकों के खाते न मिलने, शामिल खातों में आपसी सहमति न होने के कारण ग्राम से बाहर निवास करने, सूचना उपरांत सहमति/बैंक खाता उपलब्ध न कराने के कारण समर्पित की गई थी। कृषक प्रीतम सिंह, प्यारी वाई, खेलन सिंह, सौदान सिंह एवं अन्य द्वारा तत्समय बैंक खाता एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने के कारण राशि समर्पित की जा चुकी है। जसवंत सिंह को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है।

रबी एवं खरीफ की फसलों के उपार्जन केन्द्रों द्वारा की गई कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

29. अता.प्र.सं.156 (क्र. 3130) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2019-20 में 2020-2021 में प्रदेश सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के फसलों के उपार्जन हेतु क्या-क्या कार्ययोजना, किस-किस कार्यालय को क्या-क्या जिम्मेदारी एवं लक्ष्य निर्धारित किये गये थे? फसलवार, वर्षवार ब्यौरा दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में भण्डारण, बारदाना, परिवहन, खाद्यान्न सुरक्षा, वेयर हाऊस, तौल-कांटे, कृषकों का पंजीयन, समर्थन मूल्य, भुगतान, एस.एम.एस. द्वारा कृषकों को सूचना एवं उपार्जन से संबंधित समस्त कार्यों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कौन-कौन सी परंपरागत कृषि उपज हैं, जो समर्थन मूल्य की सूची में शामिल नहीं है? इसके क्या कारण है? क्या शासन परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिये उक्त कृषि उपजों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** उपरोक्त के संबंध में गुना जिले में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं यद्यपि लक्ष्य निर्धारण के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? **(घ)** उपरोक्त के संबंध में 181, सी.एम. हेल्पलाईन, एम.पी. ऑनलाईन अथवा किस-किस माध्यम से किस-किस स्तर, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? पृथक-पृथक बतायें। यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में खरीफ एवं रबी विपणन वर्ष में फसलों के उपार्जन हेतु कार्ययोजना एवं संबंधित विभाग एवं उपार्जन एजेंसियों की जिम्मेदारी का निर्धारण उपार्जन नीति में किया जाता है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। खाद्यान्न उपार्जन के लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया जाता है उपार्जन अनुमान अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती है। **(ख)** वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में खरीफ एवं रबी फसलों के वर्ष के उपार्जन हेतु की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित की जाने वाली फसलों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिन फसलों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, उनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। सामान्यत: प्रदेश में मुख्य रूप से उत्पादित फसलों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** गुना जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में खरीफ एवं रबी समर्थन मूल्य पर उपार्जित फसलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। उपार्जन हेतु लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया जाता है। उपार्जन अनुमान अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उपार्जन के संबंध में सी.एम. हेल्पलाईन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बसों के अधिग्रहण की जानकारी

[परिवहन]

30. परि.अता.प्र.सं. 141 (क्र. 3164) श्री जितू पटवारी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर संभाग अन्तर्गत अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक शासन स्तर पर विभिन्न प्रयोजनों के लिये कुल कितनी बस अनुग्रहित की गई तथा उनका कुल देय भाड़ा कितना है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भाड़े की राशि का भुगतान किस-किस विभाग के किस मद संख्या से किया गया या किया जावेगा? क्या उस राशि का बजट में प्रावधान रखा गया है? **(ग)** नगर निगम इंदौर द्वारा संचालित स्काय बस (चार्टड बस) को अनुमति किस नियम से दी गई तथा उन बसों में सामग्री का परिवहन किस नियम से किया जा रहा है? क्या विभाग के संज्ञान में है कि इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के आर्टिकल आल एसोसिएशन में सिटी में आर्गनाइज्ड बस चलाने का उद्देश्य (आबजेक्ट) है, फिर उसे शहर से बाहर बस चलाने की अनुमति कैसे दी गई?

राजस्व मंत्री : [**(क)** विभिन्न प्रयोजनों के लिए बसों का अधिग्रहण इन्दौर संभाग के जिलों के कलेक्टरों के आदेश से किया गया है तथा कुल देय, भाड़े का भुगतान भी कलेक्टर कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक अधिग्रहित वाहनों तथा किये गये भुगतान की **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** उत्तरांश "क" अनुसार। **(ग)** म.प्र.मोटरयान नियम 1994 के नियम 78 एवं 80 में मंजिली गाड़ी पर माल परिवहन किये जाने का प्रावधान है। पृथक से अनुमति लेने का नियमों मे प्रावधान नहीं है। **नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"अ" अनुसार** है। प्रश्न के शेष भाग के संबंध मे अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड इन्दौर उपलब्ध कराई गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"ब" अनुसार** है।] **(क)** एवं **(ख)** इंदौर संभाग अंतर्गत अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक अधिग्रहित वाहनों तथा किये गये भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 5 मार्च, 2021

किसानों द्वारा विभिन्न थानों मे दिये गये आवेदनों पर कार्यवाही

[गृह]

31. परि.अता.प्र.सं. 15 (क्र. 1435) श्री निलय विनोद डागा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल जिले के किसानों द्वारा जिले के विभिन्न थानों में प्रभारी उपसंचालक उद्यानिकी जिला बैतूल डॉ. आशा उपवंशी पर धोखाधड़ी किए जाने हेतु आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन दिये गये है? यदि हां, तो यह आवेदन किस-किस दिनांक को किन-किन थानों मे दिये गये। थानों के नाम सहित बतावें। **(ख)** किसानों द्वारा दिये गये आवेदनों को आधार बनाकर क्या संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई? यदि हां, तो

एफआईआर की प्रति उपलब्ध करावें यदि नहीं, तो कारण बतावें। **(ग)** किसानों के आवेदनों/दर्ज की गई एफआईआर पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जी हॉ। दिनांक 10.12.2020 को पुलिस अधीक्षक बैतुल को शिकायत की गई, पश्चात शिकायत थाना कोतवाली बैतूल को दिनांक 11.12.2020 को प्रेषित की गई। **(ख)** जी नहीं। किसानों द्वारा की गई शिकायत पर जॉच उपरान्त कार्यवाही की जाकर अग्रिम कार्यवाही किए जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3341 दिनांक 12.03.2021 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल को निर्देशित किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रचलित है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अशासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र
[आयुष]

32. अता.प्र.सं.45 (क्र. 2061) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्यमंत्री, आयुष, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आयुष म.प्र. भोपाल द्वारा नीट/पहुँट यू.जी./पी.जी. परीक्षा सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से अशासकीय निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेशित कितने छात्रों की अंतिम एक्जाई सूची कब तैयार कर म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को कब भेजी गई? सत्यापित सूची की छाया प्रति दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में प्रदेश के किन-किन निजी/अशासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों को कब-कब, कितने-कितने छात्रों की प्रवेशित सूची भेजी गई है? सत्यापित छायाप्रति दें। **(ग)** क्या प्रश्नांकित प्रेषित प्रवेशित छात्रों की दोनों सूचियों में भिन्नता है? यदि हां, तो क्यों? इसका सत्यापन कब किसने किया है? पद नाम सहित बतलावें। कितने प्रवेशित छात्रों में भिन्नता पाई गई है? सूची दें। क्या शासन इसकी जांच कराकर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

राज्यमंत्री,आयुष : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** जांच प्रक्रियाधीन है। जांच के पश्चात् गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।] **(क)** एवं **(ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

सहारा इंडिया व चिट फंड कंपनियों को म.प्र में प्रतिबंध करना
[गृह]

33. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 2552) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहारा इंडिया कंपनी और अन्य चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 793 दिनांक 17/12/2019 एवं प्रश्न क्र. 54 दिनांक 21/09/2020 के संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई है कार्यवाही से अवगत कराएं **(ख)** प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी,2019 से 31 जनवरी, 2021 तक कितनी चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी करने और ज्यादा ब्याज का लालच देकर धन हड़पने की शिकायत मिली है? **(ग)** उपरोक्त चिटफंड कंपनियों द्वारा कितने लोगों से कितनी धनराशि हड़पने का अनुमान है? राज्य सरकार आम लोगों को चिटफंड कंपनियों की ठगी से बचाने और उन्हें उनकी रकम वापस दिलाने के लिए क्या कर रही है? **(घ)** क्या इतनी

बड़ी संख्या में जनता का पैसा हड़पने के बावजूद भी ये कंपनियां अभी भी जनता को मोटा ब्याज का लालच देकर राशि एकत्र करने का काम कर रही है? **(ड.)** शासन द्वारा इन कंपनियों को मध्य प्रदेश में कब प्रतिबंधित किया जाएगा?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब','स','द', 'य' एवं 'र' अनुसार** है। **(ख)** 370 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध शिकायतें मिली है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ल' अनुसार** है। **(घ)** चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध शिकायतें मिलने पर ''म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000'' '' दि बैनिंग ऑफ अनरैगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स एक्ट 2019'' के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। **(ड.)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आवंटित राशि के संबंध में
[आयुष]

34. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 2850) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री,आयुष, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए प्रावधान के अन्तर्गत योजनावार विभाग को राशि प्राप्त हुई थी? **(ख)** यदि हॉ तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनॉक तक किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, किन-किन जिलों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई बतावें? **(ग)** क्या विभाग आयुर्वेद चिकित्सालय, औषधालय, आयुर्वेद महाविद्यालय, यूनानी अस्पताल एवं औषधालय, होम्योपेथिक औषधालय अनुसूचित क्षेत्रों/विकासखण्डों में कहॉ-कहॉ संचालित किए जा रहे हैं?

राज्यमंत्री,आयुष : [**(क)** आयुष विभाग की जानकारी निरंक है। **(ख)** उत्तरांश ''क'' अनुसार। **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 8 मार्च, 2021

शिक्षा विभाग द्वारा जारी बजट की जानकारी के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]

35. अता.प्र.सं.6 (क्र. 1347) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा विगत वर्षों वर्ष (2016-17 से 2020-21) में बजट में शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित समस्त योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया था? । **(ख)** प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि में से अलीराजपुर जिले को कितनी राशि दी गई? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार योजनावार किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि भुगतान की

गई? योजनावार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे। **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार किये गये कार्यों के कोटेशन, संधारित स्टॉक व वितरण पंजी का विवरण देवें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर** है।

आदिमजाति कल्याण योजना अन्तर्गत विकास कार्य
[अनुसूचित जाति कल्याण]

36. अता.प्र.सं.43 (क्र. 2568) श्री मुरली मोरवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत 2 वर्षों में विभाग द्वारा किन-किन ग्रामों में कितने परिवारों को शासन द्वारा किस योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया ग्रामवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत 2 वर्षों में विभाग द्वारा किन-किन ग्रामों में कौन-कौन से विकास कार्य निर्माण कर कराये गए ग्रामवार, राशिवार, स्थानवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे। **(ग)** वर्ष 2020-21 में कितने निर्माण कार्य प्रस्तावित है कितने स्वीकृत किये गए जानकारी उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है।

वित्तीय अनियमितताओं में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई
[स्कूल शिक्षा]

37. अता.प्र.सं.54 (क्र. 3172) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला शिक्षा केंद्र उज्जैन में आर्थिक अनियमितताओं में दोषी पाई गई वार्डनों को पुनः वार्डन के पद पर रखा गया है? यदि हां, तो कहां-कहां कब-कब और क्यों? **(ख)** आर्थिक अनियमितताओं में दोषी पाई गई वार्डन को रखने वाले जिला परियोजना समन्वयक एवं सहयोगी अधिकारियों पर इस संबंध में क्या शासन द्वारा जांच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? **(ग)** क्या जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जांच प्रचलित होने के उपरांत भी उनको इस प्रकार वार्डनों को पद पर रखकर जांच को प्रभावित करवाए जाने का मुख्य कारण क्या है? क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वार्डनों को आर्थिक अनियमितता के लिए जिला शिक्षा केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रोत्साहित तो नहीं किया है? यदि किया है तो उन पर कार्रवाई शासन कब तक करेगा? **(घ)** उज्जैन जिला शिक्षा केंद्र में आर्थिक अनियमितताओं की दोषी पाई गई वार्डनों को कब कितनी बार किन-किन छात्रावासों में वार्डन बनाकर रखा गया है और इस अनुग्रह का कारण क्या है? इस संबंध में दोषी सभी जिलाधिकारियों पर क्या जांच बिठाने की कार्यवाही करेंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में श्रीमती मेविस जॉन को पात्रता होने के कारण 29.06.2019 को वार्डन का प्रभार दिया गया। **(ख)** जी नहीं। उततरांश 'क' के अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जांच प्रचलित होने पर किसी को भी वार्डन का प्रभार नहीं दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उत्तरांश 'क' के अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पहाड़ चट्टान चरनोई मद में दर्ज जमीन

[वन]

38. अता.प्र.सं.124 (क्र. 3721) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले के राजस्व अभिलेखों में पहाड़ चट्टान, घांस, चरनोई, गोचर मद में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन, असीमांकित वन एवं नारंगी वन किस दिनांक की अधिसूचना या आदेश में उल्लेखित किया गया है, अधिसूचना या आदेश में किया गया उल्लेख क्या है? **(ख)** बैतूल जिले के भैंसदेही परीक्षेत्र में ग्राम पलासखेड़ी की किस-किस वर्ष में बनाई गई मिसल बन्दोबस्त, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख में दर्ज पहाड़ चट्टान मद के किस खसरा नम्बर के कितने रकबे के वन मण्डल ने नारंगी वन एवं असीमांकित वन प्रतिवेदित कर कलेक्टर बैतूल के समक्ष किस-किस दिनांक को आपत्ति प्रेषित की है। **(ग)** ग्राम पलासखेड़ी के अभिलेखों में 1910 से लगातार पहाड़ चट्टान मद में दर्ज जमीन को शासन की किस अधिसूचना या किस आदेश के अनुसार वनमण्डल ने असीमांकित वन एवं नारंगी वन प्रतिवेदित कर कलेक्टर को आपत्ति दर्ज करवाई इसके लिए शासन किसे जिम्मेदार एवं दोषी मानता है?

वन मंत्री : [**(क)** बैतूल वन वृत्त के अन्तर्गत बैतूल जिले में राजस्व विभाग से प्राप्त भूमियों को अधिसूचना क्रमांक 9-X-58 दिनांक 10.07.1958 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 01.08.1958 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया है। अधिसूचना की **जानकारी परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(ख)** बैतूल जिले के भैंसदेही वन परिक्षेत्र में ग्राम पलासखेड़ी स्थित नहीं है, अपितु वन परिक्षेत्र के ग्राम पलासखेड़ी पटवारी हल्का नम्बर-45 बन्दोबस्त नम्बर 413 खसरा क्रमांक 21/1 (नया) एवं 2/1 (पुराना) मद पहाड़-चट्टान में रकबा 153/14 एकड़ के संबंध में दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल ने असीमांकित संरक्षित वन प्रतिवेदित कर कलेक्टर (खनिज शाखा) कलेक्टर तथा अपर कलेक्टर बैतूल के समक्ष दिनांक 23.04.2015 दिनांक 14.03.2016 तथा दिनांक 17.09.2018 आपत्ति प्रेषित की गई। **(ग)** दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल उत्तरांश 'क' में उल्लेखित अर्हतायें पूर्ण करने वाली ग्राम पलासखेडी के राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1910 से दर्ज होकर मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01.08.1958 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 9-X-58 भोपाल दिनांक 10.07.1958 से वन विभाग को हस्तांतरित भूमि को वनमंडल ने असीमांकित

संरक्षित वन प्रतिवेदित कर कलेक्टर बैतूल को तथ्यात्मक/विधिसम्मत आपत्ति दर्ज करवाई है। इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

शासकीय स्कूलों में नामांकन में गिरावट चिंता का विषय
[स्कूल शिक्षा]

39. परि.अता.प्र.सं. 110 (क्र. 3790) श्री कुणाल चौधरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2010-11 से 2018-19 में स्कूल शिक्षा का बजट 2560 करोड़ याने 175 प्रतिशत बढ़ा लेकिन इसी अवधि में शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक में नामांकन 38 लाख कम याने 40 प्रतिशत कम हो गया? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि बोगस नामांकन के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 2 हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है। **(ख)** क्या RTE के प्रवेश के माध्यम के बाद भी निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के नामांकन में लाखों की कमी हुई है? यदि हां, तो बतावें कि इस कमी का कारण क्या है? **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय विद्यालय के बच्चों को वितरित की गई पुस्तकें ड्रेस छात्रवृत्ति तथा मध्यान्ह भोजन की संख्या 2010-11 तथा 2018-19 में कक्षावार बतावें। **(घ)** क्या माननीय मंत्री यह मानते है कि शासकीय स्कूलों में नामांकन में खतरनाक गिरावट बड़ी चिंता का विषय है? क्या उन्होंने इस गिरावट के संदर्भ में मा. मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है? यदि हां, तो क्या शासन इस पर श्वेत पत्र जारी करेगा या कोई उच्चस्तरीय कमेटी बिठवा कर इसकी जांच करवाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** जी हॉ। जी नहीं। **(ख)** शासकीय विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में नामांकन की कमी न्यूनतम है। निजी विद्यालयों में नामांकन में कमी के मुख्य कारण 0 से 6 आयु समूह के बच्चों की संख्या मे कमी तथा चाईल्ड ट्रेकिंग के द्वारा डाटा का शुद्धिकरण है। **(ग)** वर्ष 2010-11 एवं 2018-19 में शासकीय विद्यालयों के बच्चों को वितरित पुस्तकें, ड्रेस एवं मध्यान्ह भोजन की **जानकारी परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। छात्रवृत्ति की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** यथा योग्य स्तर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।] **(ग)** छात्रवृत्ति से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर** है।

दिनांक 9 मार्च, 2021

जानकारी उपलब्ध कराते हुए दोषी पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

40. परि.अता.प्र.सं. 7 (क्र. 1471) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी एवं रीवा जिले में किन-किन जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों में कोविड-19 प्रारंभ होने के दिनांक से कोरोन्टाईन किस अवधि तक खोले गये थे। उक्त सेंटरों में कोरोन्टाईन व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें दी गई थी? तथा प्रति सेंटर कितने रूपये का

खर्च प्रारंभ दिनांक तक प्रश्न दिनांक तक किया गया है? जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के जिलों एवं पंचायतों में कोविड-19 सेंटर बनाये गये केन्द्रों का नाम, स्थान, कोरोन्टाईन व्यक्तियों का नाम उनके पिता का नाम, उम्र, स्थाई पता तथा वह किस शहर या स्थान से आये थे, कितने दिन सेंटर में रोका गया था प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया गया है? सूची में अंकित कर जानकारी जिला, जनपद, पंचायतवार देवें? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के कोरोन्टाईन सेंटरों व पंचायतों में प्रति व्यक्ति कितने रूपये प्रति दिन खर्च करने का प्रावधान शासन स्तर से था नियम व आदेश प्रति के साथ जानकारी दें? यदि नियम से विपरीत राशि व्यय हुई है, तो दोषी पर गबन ख्यानत का प्रकरण दर्ज किये जाएंगे। यदि हां, तो किन-किन पर सूची देवें? **(घ)** प्रश्नांश (क) के जिले, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कितने-कितने रूपये के सेनेटाईजर, माक्स व सेनेटाईजर करने के उपकरण पर कितने रूपये व्यय किया गया है? जिलावार, जनपदवार, पंचायतवार जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जिला शिवपुरी में जनपद पंचायत व ग्राम पंचायतों में कोरोंनटाईन सेंटर नहीं खोले गये। रीवा जिले के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है, जहॉ खोले गये सेंटरों में व्यक्तियों को ठहरने, भोजन एवं स्वल्पाहार इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से कराई गई थी, जिन पर शासन द्वारा किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ग)** कोरोंनटाईन सेंटर व पंचायतों में प्रतिव्यक्ति राशि व्यय किये जाने का शासन स्तर से कोई प्रावधान नहीं था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

कलेक्टर/एस.डी.एम. को दिये पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी
[लोक निर्माण]

41. परि.अता.प्र.सं. 46 (क्र. 3253) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक एम.एल.ए./440 दिनांक 03.02.2021 जो कि कलेक्टर सतना को संबोधित है एवं पत्र क्रमांक एम.एल.ए./441 दिनांक 03.02.2021 जो कि एस.डी.एम. रघुराजनगर को प्रेषित है पर प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही एवं वसूली की जा चुकी है? **(ख)** क्या सतना सर्किट हाउस का प्रशासकीय नियंत्रण जिला प्रशासन के पास है? अगर हां तो बी-5 कक्ष क्रमांक में अक्टूबर 2019 से प्रश्नतिथि तक किस वैध आदेशों के तहत कार्यपालन यंत्री बसंत कुमार विश्वकर्मा अपना कब्जा किये हुये है क्या उक्त कार्यपालन यंत्री ने बी-5 कक्ष क्रमांक को कलेक्टर/एसडीएम के पास जो सर्किट हाउस के कमरों की सूची है उससे गायब (डिलीट) करवा रखा है? **(ग)** क्या जुलाई अगस्त सितम्बर 2019 में उक्त ई.ई. ने कक्ष क्रमांक बी-3 में कब्जा जमाया? उसके पश्चात अक्टूबर 2019 से प्रश्नतिथि तक अवैध रूप से सर्किट हाउस में बी-5 कक्ष क्रमांक में रह रहा है और शासन के दिशा-निर्देशों के बाद भी शासकीय कोष में गत बीस माह की धनराशि जमा भी नहीं कराई है? क्या उक्त ई.ई. को सिविल लाईन में एक घर भी आवंटित

है? **(घ)** कब तक राज्य शासन दिनों की गणना कर प्रतिदिन के हिसाब से उक्त कार्यपालन यंत्री से पूर्ण भुगतान (कुल कितनी राशि) वसूल करेगा? समय-सीमा दें।

लोक निर्माण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** कोई कार्यवाही अथवा वसूली नहीं की गई है। **(ख)** जी हां। सर्किट हाउस में कक्ष क्रमांक बी-5 नहीं है। कार्यपालन यंत्री को पद के अनुरूप सतना में समुचित आवास आवंटित नहीं होने के कारण सर्किट हाउस के ऊपर प्रथम तल पर निर्मित स्टोर रूम सह उपयंत्री कार्यालय को आवासीय कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। सर्किट हाउस की प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार सर्किट हाउस में केवल 04 अतिरिक्त कक्ष ही स्वीकृत किये गये थे। प्रशासकीय स्वीकृति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। दिनांक 08.07.2019 को सतना में ज्वाइनिंग पश्चात् कलेक्टर, सतना को 03 बार आवास आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत जिला प्रशासन, सतना द्वारा कार्यपालन यंत्री को उनके पद के अनुरूप आवास आवंटित नहीं किये जाने के कारण रेस्ट हाउस परिसर स्थित एक छोटा विभागीय आवास गृह आर-298 "एच" टाईप में सपरिवार अधिवासित है। छोटा एवं संकीर्ण आवास आवंटित होने से आवश्यकतानुसार निवास से कार्यालयीन कार्य संपादित किया जाना संभव नहीं होने से उक्त स्टोर सह उपयंत्री कार्यालय कक्ष को ही आवासीय कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। अतः इस हेतु शासकीय कोष में राशि जमा नहीं की गई। **(घ)** उक्त कक्ष का उपयोग शासकीय कार्यों के संपादन हेतु आवासीय कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उद्योगों के निवेश संबंधी प्रस्ताव
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

42. अता.प्र.सं.47 (क्र. 3310) श्री बाला बच्चन : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01-04-2020 से 06-02-2021 तक प्रदेश में कितने उद्योगों के निवेश संबंधी कितने प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए? उद्योग नाम, सेक्टर नाम सहित माहवार बतावें। इन पर लिए निर्णयों की जानकारी भी उद्योगवार देवें। **(ख)** स्वीकृत उद्योग किन-किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? उद्योग नाम, स्थान नाम सहित जिलावार बतावें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** एवं **(ख)** दिनांक 01/04/2020 से 06/02/2021 तक प्रदेश में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत 655 उद्योगों के निवेश संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए। उद्योग नाम, सेक्टर नाम सहित माहवार तथा जिन निवेशकों द्वारा भूमि आवंटन की मांग की गयी, उनके प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाकर भूमि आवंटित किये जाने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

कृषि उपज मंडी बिछिया अंतर्गत ग्राम अंजनियाँ में उपमंडी की स्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

43. परि.अता.प्र.सं. 57 (क्र. 3373) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिलों की कृषि उपज मंडी बिछिया अंतर्गत ग्राम अंजनियाँ में उपमंडी की स्थापना हेतु स्वीकृति कब दी गई थी? **(ख)** उपमंडी स्थापना हेतु ग्राम अंजनियाँ में राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति कब प्राप्त हुई है एवं कितनी भूमि आवंटित की गई है? **(ग)** क्या प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर व कलेक्टर जिला मण्डला के द्वारा उपमंडी स्थापना की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने हेतु दिनांक क्रमशः 27/02/2020 व 26/02/2020 को पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो उपरोक्त प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने में विभाग द्वारा इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? **(घ)** उपरोक्त उपमंडी की स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक प्रदाय की जाएगी एवं इसका संचालन कब से प्रारंभ किया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** मण्डला जिले की कृषि उपज मंडी बिछिया अन्तर्गत ग्राम अंजनिया के खसरा क्रमांक 1016 रकबा 2.50 एकड़ उपमंडी प्रांगण की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग से अधिसूचना दिनांक 29/10/1987 से अधिसूचित की गई थी। उक्त भूमि मंडी समिति बिछिया को प्राप्त नहीं हुई। **(ख)** उपमंडी हेतु ग्राम अंजनिया में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 24/8/2019 से 2.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। **(ग)** जी हॉ। कोविड-19 के तहत संपूर्ण प्रदेश में लॉक डाउन होने से मंडी समितियों की आय एवं आवक में काफी कमी आई जिसको दृष्टिगत रखते हुए पत्र दिनांक 15/2/2021 द्वारा संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं सचिव मंडी समिति बिछिया से उपमंडी प्रांगण की आय, भूमि क्रय करने पर होने वाले संभावित व्यय, अन्य निर्माण व्यय के साथ नवीन उपमंडी प्रांगण की स्थापना हेतु औचित्य, उपयोगिता एवं बायविलिटी के संबंध में अनुशंसा सहित प्रस्ताव चाहा गया था। तत्संबंध में संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय जबलपुर का दिनांक 25/2/2021 से प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 26/2/2021 को प्राप्त हुआ है। जिस पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही प्रचलित है। **(घ)** संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय जबलपुर से दिनांक 25/2/2021 को उपमंडी स्थापना हेतु उपलब्ध निधि, आय एवं निर्माण पर होने वाले व्यय के साथ उपयोगिता एवं बायविलिटी के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके परीक्षण उपरान्त शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाकर उपमंडी प्रारंभ की जावेगी।

मध्यप्रदेश में पंचायत सचिवों को सातवाँ वेतनमान का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

44. अता.प्र.सं.55 (क्र. 3386) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पंचायत विभाग में सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाना बाकी है? **(ख)** क्या

ग्राम पंचायत कि सभी योजनाओं को संचालित करने का काम पंचायत सचिव काफी समय से कर रहे हैं? यदि हाँ, तो पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ कब तक दिया जाएगा और उसकी समय-सीमा क्या है? **(ग)** विभाग के अंतर्गत आने वाले किस श्रेणी के कितने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल चुका है और कितने शेष है? शेष कर्मचारियों के हित में शासन कब तक निर्णय लेगा? **(घ)** उपरोक्त संबंध में विभागीय स्तर पर कब-कब बैठकें आयोजित हुई और कर्मचारियों के हित में क्या-क्या निर्णय लिए गए?

पंचायत मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जी हॉ। **(ख)** जी हॉ। ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान दिये जाने संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(घ)** यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत नियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाता है।

लघु वन उपज पर पंचायतों को अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

45. अता.प्र.सं.78 (क्र. 3708) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या लघु वनोपज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में दिए प्रावधानों के अनुसार बैतूल एवं देवास जिले की ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज के अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं सौंपे गए। **(ख)** लघु वन उपज के संबंध में 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 वन अधिकार कानून 2006 एवं मध्यप्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की किस धारा में क्या प्रावधान दिया है? उनका पालन प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? **(ग)** लघु वन उपज के नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को सौपें जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जी नहीं। मध्यप्रदेश के बैतूल एवं देवास जिले में लघु वनोपज से संबंधित पेसा कानून 1996 में उल्लेख अनुसार राज्य शासन के नियमानुसार लघु वनोपज के विनियम दरों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज के संग्रह एवं निर्वतन हेतु लघु वनोपज संघ का गठन किया गया है, जिसके तहत त्रिस्तरीय सहकारी ढ़ांचे के तहत प्राथमिक लघु वनोपज, सहकारी समितियों के माध्यम से लघु वनोपज का संग्रहण कराया जाता है। समितियों द्वारा लघु वनोपज के व्यापार से अर्जित लाभ भी समितियों को हस्तांतरित किया जाता है। वन अधिकार कानून 2006 में दिये प्रावधानों के अनुसार बैतूल एवं देवास जिले की ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को लघु वनोपज के अधिकार नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु लघु वनोपजों की परिभाषा में पादप-मूल की केवल वे ही वनोपजें सम्मिलित हैं, जो गैर-इमारती वन उपजें हैं। जैसे- झाड़-झंखाड, ठूंठ, बेंत, बॉस, तुसार, कोया (ककून), शहद, मोम, लांख, तेंदूपत्ता, औषधीय पौधे एवं जड़ी-बूटियां, मूल, कन्द और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद सम्मिलित हैं। इस

संबंध में निम्न अधिकार दिये गये है:- 1. वन निवासियों को उनके पारम्परिक क्षेत्र में लघु वनोपजों के संग्रह का अधिकार। 2. लघु वनोपज संग्रहित करने वाले व्यक्ति/समुदाय द्वारा संग्रहित उपजों के उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर सिरबोझ, साईकिल तथा हाथ ठेलों से परिवहन कर उनका प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन या विक्रय का अधिकार। उक्त प्रावधानों के तहत बैतूल एवं देवास जिले में उक्त वनाधिकार वन विभाग की ओर से वन समितियों का गठन कर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों के निवासियों को प्रदाय किये गये हैं। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को छोड़कर शेष क्षेत्रों की वनोपजों के संग्रहण में कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थात सभी संग्राहक वनोपजों के संग्रहण के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य में मात्र तेंदूपत्ता एवं कुल्लू गोंद लघु वनोपज ही विनिर्दिष्ट वनोपज के रूप में अधिसूचित हैं। अत: इनके भण्डारण एवं विपणन में नियंत्रण है। जहॉ तक तेंदूपत्ता का संबंध है, तेंदूपत्ता का भण्डारण एवं विपणन भी राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यह कार्य तेंदूपत्ता संग्राहकों के सहकारी संघ, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा संपादित किया जाता है, जिसमें संग्राहकों को पारिश्रमिक के भुगतान के साथ-साथ विपणन में होने वाले लाभ में भी हिस्सेदारी दी जाती है। इस प्रकार उक्त वनोपज भी संग्राहकों के प्रबंधन में है। **(ख) 1.** संविधान के अनुच्छेद 243जी में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने संबंधी प्रावधान है जो कि उनकी स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कर्तव्य करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हों इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची में लघु वनोपज को सूचीबद्ध किया गया है। 2. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4. संविधान के भाग 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान मण्डल, उक्त भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा, जो निम्नलिखित विशिष्टियों में से किसी से असंगत हों, अर्थात :- **(ड.)** अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने के दौरान जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य सुनिश्चित करेगा कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभाओं को विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित प्रदान किया जाए :- (ii) गौण वन उपज का संसाधन 3. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा -2 में ''गौण वन उत्पाद'' के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें बॉस, झाड़ झंखाड़, ठूठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या तेंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल कन्द और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं। धारा-3 वन में निवास करने वाली अनूसूचित जातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकार :- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वन मे निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते है, अर्थात :- गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच उनका, उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है। 4. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 :- मध्यप्रदेश पंचायत राज

एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 53 के अंतर्गत अनुसूची 4 के अनुक्रमांक 7 में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को समुचित स्तर पर गौण वनोपजों के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। **(ग)** लघु वन उपज के नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने के संबंध में जारी किये गये अधिसूचना एवं आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

प्रदेश में संचालित मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों के संदर्भ में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

46. अता.प्र.सं.85 (क्र. 3783) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में संचालित मंडी बोर्ड या मंडी समितियों में राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी विभागों को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, नियम-कानून लागू होते है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हां, तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों को जारी परिपत्र क्र.एफ 11-14/2007/एक/9 भोपाल दिनांक 25/04/2007 तथा एफ 11-40/2014/एक/19 भोपाल दिनांक 20/11/2014 क्या है? छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावे कि इन पत्रों में अहस्ताक्षरित, बिना पता लिखी अथवा संबंधित व्यक्तियों द्वारा लिखने से इंकार करने संबंधी शिकायतों के परिपालन, जांच के लिये क्या दिशा-निर्देश दिये गये हैं? निर्देशों की छायाप्रति देवें। **(ग)** क्या मंडी बोर्ड एवं मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त गुमनाम/फर्जी/बिना नाम पते वाली शिकायतों पर प्रथमतः शिकायतकर्ता के वैधानिक होने की पुष्टि की जाती है अथवा नहीं, तथा क्या शिकायत में दर्ज नाम पता असत्य पाऐ जाने पर शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों का विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संबंध में क्या शासन असत्य नाम एवं पते/गुमनाम शिकायतों की नियम विरूद्ध की जा रही जांचों को नस्तीबद्ध कर मंडी बोर्ड एवं मंडी-समितियों में कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों को राहत प्रदान करेगा? यदि हां, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हॉ। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-14/2007/एक/9 भोपाल दिनांक 25/04/2007 से ''मंथन-2007'' सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर नियंत्रण हेतु व्यवस्था बाबत एवं परिपत्र क्रमांक एफ-11-40/2014/एक/19 भोपाल दिनांक 20/11/2014 गुमनाम तथा आधारहीन शिकायतों के समुचित निराकरण के संबंध में है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। जी हॉ। इन पत्रों के संदर्भ में जांच के लिये जारी दिशा-निर्देश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **(ग)** जी हॉ। गुमनाम/फर्जी/बिना नाम पते की शिकायतों पर प्रथमतः शिकायतकर्ता के वैधानिक होने की पुष्टि की जाती है। जी नहीं। शिकायत में दर्ज नाम पता असत्य पाये जाने पर शिकायत नस्तीबद्ध करने के पूर्व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर तथ्यों की जांच कराई

जाकर निर्णय लिया जाता है। **(घ)** उत्तरांश (ग) के अनुसार कार्यवाही होने से शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

भवन निर्माण में लगने वाला गौण खनिज
[लोक निर्माण]

47. अता.प्र.सं.104 (क्र. 3906) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पी.आई.यू. बैतूल एवं धार और मंडला ने भवनों में लगने वाली गौण खनिज की खनिज विभाग से रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना गत पांच वर्षों में अनुबंधकर्ता के अंतिम बिलों का भुगतान किया है? **(ख)** गत पांच वर्षों में कितनी लागत के किस निर्माण से संबंधित किस अनुबंधकर्ता के अंतिम बिल का भुगतान किया, उस कार्य में कितना-कितना गौण खनिज का उपयोग किया जाना एम.बी. में दर्ज किया उस खनिज की रायल्टी क्लियरेंस खनिज विभाग ने किस दिनांक को प्रदान की। **(ग)** किस-किस ठेकेदार के अंतिम बिल का भुगतान खनिज विभाग से रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही किस-किस प्रावधान के तहत किस-किस अधिकारी के द्वारा किया गया वह अधिकारी वर्तमान में कहां पदस्थ है। **(घ)** रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र के बिना अंतिम बिल का भुगतान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा।

लोक निर्माण मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी नही, अनुबंध के प्रावधान अनुसार ठेकेदार के अंतिम देयकों का भुगतान किया जाता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** अनुबंध के प्रावधान अनुसार ठेकेदार द्वारा उपयोग की गई गौण खनिज की मात्रा के अनुपात में राशि रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र के अभाव में विभाग द्वारा कटौत्रा करने के उपरांत ही ठेकेदार के अंतिम देयकों का भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश "ग" अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

म.प्र. शासन के मंत्रीगणों के बंगलों की साज-सज्जा पर हुये व्यय
[लोक निर्माण]

48. अता.प्र.सं.118 (क्र. 3943) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मार्च 2020 के बाद से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा मंत्री मण्डल में शामिल मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा पर कितना-कितना व्यय किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मंत्री के बंगले की साज-सज्जा पर हुये व्यय का विस्तृत ब्यौरा पृथक-पृथक देवें।

लोक निर्माण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं प्रपत्र-"ब" अनुसार** है।

मण्डियों के टैक्सों में कमी एवं प्रतिपूर्ति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

49. परि.अता.प्र.सं. 120 (क्र. 4082) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश की मण्डियों के कौन-कौन से टैक्सों में कितनी-कितनी राशि की कटौती की गई है, जिससे मण्डियों की आय में कितनी राशि की गिरावट आई है और इसकी प्रतिपूर्ति के लिये मण्डी बोर्ड द्वारा कितनी राशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव शासन को भेजा है? क्या उक्त राशि शासन ने स्वीकृत कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मण्डियों के टैक्स की राशि की कटौती किन-किन कारणों से कब से की गई है? **(ग)** क्या प्रदेश की 2559 मण्डियों में आउटसोर्स से सिक्यूरिटी एवं वर्कर्स की आपूर्ति के लिये माह दिसम्बर 2020 में टेण्डर जारी किये गये थे? यदि हां, तो कितनी राशि का टेण्डर जारी किया गया था और किस फर्म का टेण्डर, कितनी-कितनी अवधि के लिये किन-किन शर्तों पर स्वीकृत किया गया है?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 14 नवम्बर 2020 से दिनांक 14 फरवरी 2021 तक, प्रदेश की मंडियों के मण्डी शुल्क में रूपये 1.50 के स्थान पर रूपये 0.50 नियत की गई है। मण्डियों की आय में गिरावट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। राशि की प्रतिपूर्ति के लिये मण्डी बोर्ड द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा नहीं गया है शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-15-63-18-चौदह-3 दिनांक 27 नवम्बर 2020 में दिनांक 14 नवम्बर 2020 से दिनांक 14 फरवरी 2021 तक, अधिसूचित कृषि उपजों की कीमत के प्रत्येक 100/- रूपये पर मंडी फीस रूपये 1.50/- के स्थान पर रूपये 0.50/- नियत की गई। **(ग)** जी नहीं। प्रदेश की 259 मण्डियों में आउटसोर्स से सिक्यूरिटी एवं वर्कर्स की आपूर्ति के लिये माह दिसम्बर 2020 में कोई टेण्डर जारी नहीं किया गया है। अपितु दिनांक 07 नवम्बर 2020 को निविदा आमंत्रित की गई थी, किन्तु अपरिहार्य कारणों से 09 बार निविदा जमा करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 16.03.2021 नियत है। कार्य की आवश्यकतानुसार कर्मियों की संख्या कम या ज्यादा होने से निविदा में राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>दिनांक 10 मार्च, 2021</u>

जानकारी प्रदाय करने बावत्
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

50. अता.प्र.सं.73 (क्र. 4018) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में स्वास्थ्य विभाग को विगत 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितना बजट प्राप्त हुआ? मदवार, योजनावार जानकारी से

अवगत करायें। **(ख)** उक्त बजट कहां-कहां व्यय किया गयाः? जिला स्तर पर की गई खरीदारी किस प्रक्रिया से की गई, खरीदी गई सामग्री, मात्रा तथा प्रदाय करने वाली एजेंसी के नाम सहित अवगत करायें। **(ग)** उक्त क्रय की गई सामग्री कहां-कहां आवंटित की गई? संस्था का नाम, उसका मांग पत्र एवं सामग्री प्राप्ति की पावती के विवरण सहित उपलब्ध करायें। **(घ)** सामग्री क्रय पश्चात शेष बचे हुये बजट को कैसे और कहां व्यय किया गया? उसका मदवार ब्यौरा उपलब्ध करावें। **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (घ) तक में यदि कोई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो शिकायतवार कार्यवाहीवार पठनीय विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** कटनी जिले में स्वास्थ्य विभाग को विगत 02 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 1127242536 रूपये का बजट प्राप्त हुआ है। मदवार योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"अनुसार** है। **(ख)** उक्त बजट वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, दवाईयों, उपकरणों एवं अन्य सामग्री क्रय करने में व्यय किया गया। क्रय की कार्यवाही म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लिमि. भोपाल द्वारा अनुबंधित एजेंसियों से एवं स्थानीय स्तर पर आवश्यक सामग्री का क्रय म.प्र. भंडार क्रय नियम का पालन करते हुये की गई। प्रश्नांश की शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** उक्त क्रय की सामग्री जिले की अधीनस्थ समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में आवंटित की गई। संस्था का नाम, मांग पत्र एवं सामग्री प्राप्ति की पावती का विवरण विस्तृत स्वरूप की होने के कारण जानकारी एकत्रित की जा रही। **(घ)** राज्य बजट एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना का बजट ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त होता है एवं 31 मार्च वर्षान्त में बचा हुआ शेष बजट स्वतः ही ऑनलाईन समर्पित हो जाता है अतः इसका अतिरिक्त व्यय किया जाना संभव नहीं है। **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (घ) में उल्लेखित बिन्दु अनुसार, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर के पत्र क्रमांक 6069/ दिनांक 21 जुलाई द्वारा संचालनालय को डॉ. एस. के. निगम, तत्कालीन सी.एम.एच.ओ. कटनी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालनालय के आदेश क्रमांक 878/दिनांक 21.07.2020 द्वारा डॉ. निगम को निलंबित कर ज्ञाप कमांक 1041 दिनांक 20.08.2020 द्वारा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये गये। जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर डॉ. निगम से प्राप्त होने पर, प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षण उपरान्त संतोषजनक नहीं पाये जाने पर डॉ. एस.के.निगम के विरूद्ध संचालनालय के आदेश दिनांक 23.01.2021 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है। आदेश प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"अनुसार** है।] **(ख)** उक्त बजट वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, दवाईयों, उपकरणों एवं अन्य सामग्री क्रय करने में व्यय किया गया। क्रय की कार्यवाही म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लिमि. भोपाल द्वारा अनुबंधित एजेंसियों से एवं स्थानीय स्तर पर आवश्यक सामग्री का क्रय म.प्र. भंडार क्रय नियम का पालन करते हुये की गई। खरीदी सामग्री, मात्रा तथा प्रदाय करने वाली एजेंसी के नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** उक्त क्रय की सामग्री जिले की अधीनस्थ समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में आवंटित की गई। संस्था का नाम, मांग पत्र एवं

सामग्री प्राप्ति की पावती का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार** है।

लिपिकों की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि

[सामान्य प्रशासन]

51. अता.प्र.सं.109 (क्र. 4206) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य सरकार द्वारा लिपिकों के रिक्त पदों पर आगामी भर्ती हेतु सहायक ग्रेड 03 सहित अन्य पदों की वर्तमान निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान में वृद्धि करने तथा लिपिकों के पदनाम में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है? वर्तमान में लिपिकों के किन-किन पदों हेतु क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित हैं तथा किस पद के लिए कितना-कितना वेतनमान निर्धारित है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार यदि सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान में वृद्धि सहित पदनाम परिवर्तन हेतु विचार नहीं किया जा रहा है? तथा क्या वर्तमान समय में कम्प्यूटर सहित अन्य तकनीकी कार्यों में लिपिकों पर बढ़ते कार्यभार को ध्यान में रखकर योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है? क्या राज्य शासन इस विषय पर विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक व क्या?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी नहीं। वर्तमान में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता **परिशिष्ट अनुसार** है। सहायक ग्रेड-3 का छठवां वेतनमान 5200-20200+1900 एवं सातवां वेतनमान 22100-70000 (एल-4) है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** इस संबंध में लिपिकीय अमले की पुनर्संरचना की गठित समिति द्वारा फरवरी 2021 में शासन स्तर पर अनुशंसाएं प्रेषित की गई हैं, जिन पर कार्यवाही प्रचलन में है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपचार के संबंध में

[सामान्य प्रशासन]

52. अता.प्र.सं.113 (क्र. 4224) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत एक माह पूर्व नगर जीरापुर, जिला राजगढ़ के सोनी परिवार द्वारा खाटू श्यामजी, राजस्थान के दर्शन कर वाहन से लौटते समय सड़क दुर्घटना में कितने सदस्य की मृत्यु हुई? क्या सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई? यदि हां, तो कितनी राशि प्रदान की गई? **(ख)** सड़क दुर्घटना में घायल सदस्यों को ईलाज हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपचार हेतु क्या व्यवस्थाएं की गई? घायलों के उपचार हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से ईलाज हेतु क्या पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो क्या उस अस्पताल में मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज किया गया? यदि नहीं, तो क्या मरीज इसकी पात्रता नहीं रखता है? अस्पताल का नाम सहित बताएं। मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपचार हेतु क्या मापदण्ड तय किये गये हैं? क्या उक्त अस्पताल की मान्यता समाप्त कर

दी गई है? **(ग)** उक्त अस्पताल को मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपचार हेतु विगत 5 वर्षों में कितनी राशि, कौन-कौन से उपचार हेतु आवंटित की गई है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** इस सड़क दुर्घटना में राजगढ़ जिले के कुल 06 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। मध्यप्रदेश शासन सड़क दुर्घटना योजना के तहत 04 मृतकों के निकटतम वारिसों को प्रत्येक को 15000/- रूपये एवं एक घायल को 7500/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। शेष दो मृतकों के वारिस के खाता नम्बर उपलब्ध नहीं होने से सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** दुर्घटना स्थल जिला टोंक (राजस्थान) में होने के कारण उपचार के संबंध में जिला स्तर पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। प्रश्नकर्ता महोदय का पत्र सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। इनका पत्र श्री दिग्विजय सिंह सांसद सदस्य को सम्बोधित है जो मान. दिग्विजय सिंह के पत्र के साथ संलग्न मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र पर कार्यवाही प्रचलित है। मुख्यमंत्री सहायता कोष राज्य शासन की संचित निधि का भाग नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड-19 महामारी में नियम विरूद्ध स्टॉफ की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

53. परि.अता.प्र.सं. 100 (क्र. 4255) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्टॉफ की नियुक्ति हेतु कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किस-किस पद के लिये, कितने-कितने स्टॉफ की मांग, कब-कब की गई? पत्र की प्रति सहित गौशवारा में सम्पूर्ण ब्यौरा दें। क्या मांग के अनुरूप पदस्थ स्टॉफ की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस के द्वारा कितनी-कितनी अवधि के लिये तथा किस-किस मानदेय/वेतनमान के लिये? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वीकृत पदों के विरूद्ध अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो किस-किस पद, कितने-कितने स्टॉफ की? कब-कब? कार्यालयवार ब्यौरा दें। अतिरिक्त स्टॉफ का वेतन/मानदेय का आहरण कर लिया गया है? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस के द्वारा कितना-कितना, नाम, पदनाम, पता सहित सम्पूर्ण ब्यौरा दें? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी में किसी भी स्वरूप में कार्य नियोजित करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के लिये बीमा योजना अन्तर्गत न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी से बीमा कराया है? **(घ)** उपरोक्त के संबंध में कोविड-19 से पीड़ित स्टॉफ के आकस्मिक निधन पर बीमा कम्पनी, कोरोना योद्धा निधि अथवा अन्य किसी योजना से लाभ दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस पात्रता परीक्षण के बाद किस-किस प्रकरण में यथा आवेदन, पहचान पत्र कोविड-19 की कौन-सी रिपोर्ट चिकित्सालय का मृत्यु सारांश, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर., कोविड-19 में कार्य करने का कार्यालय प्रमाण पत्र एवं अन्य सहित सम्पूर्ण ब्यौरा गौशवारा बनाकर दें। **(ड.)** उपरोक्त के संबंध में विभाग में कौन-कौन सी

शिकायतें कब-कब, किस-किस के द्वारा, कितनी-कितनी प्राप्त हुई हैं एवं जिम्मेदारी तय होने पर किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्टॉफ के अस्थाई रूप से नियोजन हेतु कलेक्टर एवं सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे जिसके अनुसार समय-समय पर प्रेषित मांग–पत्र **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। जिलों द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु नियोजित किये गये अस्थाई स्टॉफ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** जी हॉ। प्रश्न की शेष जानकारी प्रश्न "क" में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। अपितु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज-स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना लागू की गई हैं। जिसके अंतर्गत पात्र स्वास्थ्यकर्मियों के मृत्यु के प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यू इंडिया एंशोरेंस बीमा कम्पनी को प्रकरण प्रेषित किये जाते है। न्यू इंडिया एंशोरेंस बीमा कम्पनी द्वारा परीक्षण उपरांत नियमानुसार रू. 50 लाख प्रति हितग्राही के मान से संबंधित के उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है। **(घ)** जी हॉ। भारत सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज–स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना के आदेश अंतर्गत उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(ड.)** कार्यालयीन रिकार्ड में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो एवं लोकायुक्त संगठन द्वारा छापामारी कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

54. अता.प्र.सं.120 (क्र. 4284) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो तथा लोकायुक्त संगठन द्वारा वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक राज्य में शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों में किस-किस स्तर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित राज्य के किस-किस स्तर के किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के यहॉ छापामार कार्यवाही की गई? नाम, पद एवं पदस्थापना सहित ब्यौरा दें। **(ख)** उक्त कार्यवाही में किस-किस के यहॉ से कितनी-कितनी चल-अचल संपत्ति जब्त की गई? ब्यूरो की कार्यवाही एवं लोकायुक्त की कार्यवाही में कुल कितनी-कितनी चल संपत्ति जब्त की गई? **(ग)** उपरोक्त किन-किन प्रकरणों में ब्यूरो एवं लोकायुक्त संगठन ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये तथा किन-किन प्रकरणों में खात्मा लगाया गया एवं कितने प्रकरण किन-किन कारणों से विचाराधीन हैं? **(घ)** उपरोक्त किन-किन प्रकरणों में संबंधित ब्यूरो एवं लोकायुक्त संगठन को जानकारी लंबे समय से अनेक स्मरण कराये जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? कारण सहित जानकारी दें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** उतरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं लोकायुक्त संगठन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार** है। **(ख)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रकरण विवेचनाधीन होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। लोकायुक्त संगठन में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार कॉलम नं. 4 एवं 5 पर** है। **(ग)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार** सभी प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। लोकायुक्त संगठन में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार कॉलम नं. 8 एवं 9 पर** है। प्रकरणों के विचाराधीन होने के कारण कॉलम नं- 10 अनुसार है। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(घ)** जी नहीं, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में वर्तमान में प्रकरण विवेचनाधीन है, साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में 05 प्रकरणों में आरोपीगण के विरूद् अभियोजन स्वीकृति प्रशासकीय विभाग से चाही गई थी, जिसमें वर्तमान में 02 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हो गई है। शेष 03 प्रकरण (प्रशासकीय विभाग) के पास अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है। अभियोजन स्वीकृति में लंबित 03 प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार** है।

दिनांक 15 मार्च, 2021

लापरवाही से फसलों का खराब होना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

55. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 764) श्री सुखदेव पांसे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2020 तक नागरिक आपूर्ति निगम म.प्र. द्वारा गेहूँ, चना, धान एवं अन्य कृषि फसलें कितने क्विंटल खरीदी गई? जिलेवार जानकारी देवें एवं बैतूल जिले की जानकारी तहसीलवार देवें। क्या बैतूल जिले में सहकारी समितियों से खाद्यान्न खरीदने में पैसे की मांग की जाती है? गत पांच वर्षों में बैतूल जिले में इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई है? **(ख)** अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2020 तक कृषकों से खरीदे गये खाद्यान्न गेहूँ, धान, चना इत्यादि कितने क्विंटल अनाज बरसात के पानी में भीगने से खराब हुआ तथा कितने अन्य कारण से खराब हुआ है? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नाधीन अवधि में खराब हुआ खाद्यान्न किसकी लापरवाही से खराब हुआ इसके लिए कौन-कौन जवाबदार हैं एवं इस संबंध में अब तक किन-किन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांकित अवधि में कितने क्विंटल खाद्यान्न पानी से भीगने या अन्य कारण से खराब होने के कारण नीलाम किया गया है? यदि हां, तो यह किस-किस भाव से किसे-किसे बेचा गया है? **(ड.)** खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के पास कितने क्विंटल की भंडारण क्षमता है तथा प्रश्नाधीन अवधि में इनके द्वारा कितने क्विंटल अनाज खरीदा गया? क्या खरीदे गये पूर्ण अनाज के भंडारण की क्षमता निगम के पास है? यदि नहीं, तो अतिरिक्त खाद्यान्न का भंडारण कहां किया गया? निगम की लापरवाही से लाखों क्विंटल अनाज खुले में पड़ा होने रह जाने के कारण बारिश में भीगने के कारण सड़ गया है?

(च) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम म.प्र. शासन के अतिरिक्त अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2020 तक किन-किन एजेन्सियों ने कितना-कितना खाद्यान्न खरीदा है? फसलवार जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रदेश में अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2020 की अवधि में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, चना, मसूर, सरसों, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं रामतिल का उपार्जन किया गया है। जिलेवार उपार्जित मात्रा एवं बैतूल जिले में तहसीलवार उपार्जित मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। बैतूल जिले में सहकारी समितियों से खाद्यान्न उपार्जन में पैसे की मांग का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रदेश में अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2020 की अवधि में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जन के दौरान निसर्ग तूफान के कारण हुई आकस्मिक वर्षा से 17 जिलों में उपार्जित गेहूं में से 51421 मे.टन गेहूं की मात्रा प्रभावित हुई है। **(ग)** प्रदेश में वर्ष 2020-21 में निसर्ग तूफान के कारण हुई आकस्मिक वर्षा से उपार्जित गेहूं प्रभावित हुआ है, जिसके लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रदेश में वर्ष 2020-21 में निसर्ग तूफान के कारण हुई आकस्मिक वर्षा से प्रभावित 51421 मे.टन गेहूं की नीलामी की कार्यवाही की गई है। आकस्मिक वर्षा से प्रभावित गेहूं की नीलामी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ड.)** प्रदेश में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के पास स्वयं की भंडारण क्षमता नहीं है। प्रश्नाधिन अवधि में उपार्जित अनाज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जित मात्रा का भंडारण मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के गोदाम/केप, पीईजी योजनांतर्गत अनुबंधित निजी गोदामों में किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में निसर्ग तूफान के कारण हुई आकस्मिक वर्षा से उपार्जित गेहूं प्रभावित हुआ है। **(च)** प्रदेश में अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों द्वारा उपार्जित खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है।

खाद्यान्न का वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

56. अता.प्र.सं.17 (क्र. 2510) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला पंचायत जबलपुर को मुख्यमंत्री राशन वितरण प्रणाली व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों हेतु कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न व कैरोसिन का आवंटन किया है एवं कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया। इसके वितरण व निगरानी की क्या व्यवस्था की गई। वर्ष 2020-21 की माहवार जानकारी दें। **(ख)** जिला पंचायत जबलपुर द्वारा किन-किन दुकानों को माहवार कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न व कैरोसिन प्रदाय किया गया है। कितने-कितने हितग्राहियों

को कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न व कैरोसिन का वितरण किया गया है? इसकी जांच कब-कब किसने की है? दुकानवार जानकारी दें। **(ग)** किन-किन जनपद पंचायतों के तहत किन ग्राम पंचायत में कितने-कितने हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है एवं क्यों? इस संबंध में (क) अवधि में प्राप्त शिकयतों पर जिला प्रशासन व जिला पंचायत जबलपुर में कब-कब किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही की है।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'** एवं **'ब' अनुसार** है। खाद्यान्न एवं केरोसीन के वितरण की निगरानी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से अन्यून, राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार से अन्यून एवं सहकारिता विभाग के उप-अंकेक्षण अधिकारी से अन्यून द्वारा की जाती है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। जांच की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(ग)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को लाभान्वित करने हेतु उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। खाद्यान्न हेतु उचित मूल्य दुकान पहुंचे सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है। प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत विक्रेता की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

57. अता.प्र.सं.83 (क्र. 4495) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दूकानों में कितने विक्रेता कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या बतायें। कार्यरत विक्रेता को क्या समय पर भुगतान किया जाता है? माह में कितना वेतन दिया जाता है? कब से भुगतान नहीं किया गया है? यदि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 8400 रूपये दिया जाता है तो समिति द्वारा इन्हें 6000 रूपये के मान से प्रतिमाह भगतान क्यों किया जाता है? **(ख)** कोविड-19 के कारण लाकडॉउन समय पर इन कर्मचारियों के द्वारा अत्यधिक मेहनत कर अपनी सेवाएं दी है? क्या सरकार द्वारा इन्हें इस काल में 70 रूपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त कमीशन राशि दिये जाने हेतु कहा गया था? यदि हां, तो उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा? **(ग)** खाद्यान्न वितरण प्रणाली में उपयोग की जा रही है पी.ओ.एस. मशीन में पर्ची और इन्टरनेट का भुगतान किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या मशीन प्रदाता कंपनी द्वारा इन्टरनेट व पर्ची का भुगतान इन विक्रेताओं को नहीं किया जाता है? इस हेतु सरकार क्या विक्रेताओं के मानदेय में उक्त खर्च की राशि को जोड़ने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संचालित दुकानों में खाद्यान्न कटौती होकर प्रतिमाह आता है, हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण में समस्या उत्पन्न होती है यह व्यवस्था कब तक ठीक हो जावेगी? यदि हितग्राहियों का अंगूठा पी.ओ.एस. मशीन में नहीं लगता है तो

ऑफलाईन वितरण की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? इसके लिए पृथक से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों पर कार्यरत विक्रेताओं की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री पर उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्था को कमीशन की राशि का समायोजन सामग्री प्रदाय की राशि से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाता है। संस्था को देय कमीशन में से ही उचित मुल्य दुकान विक्रेता का मानदेय एवं अन्य व्यय का भुगतान संस्था द्वारा ही करने की व्यवस्था की गई है। उचित मूल्य दुकानों के कमीशन निर्धारण में विक्रेता का मानदेय रूपये 6000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। संस्था द्वारा किए गए कार्यों एवं आय अनुसार विक्रेता को मानदेय संस्था द्वारा निर्धारित एवं भुगतान की कार्यवाही की जाती है। **(ख)** कोविड-19 की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत वितरित खाद्यान्न पर भारत सरकार से राज्य को कमीशन के रूप में प्राप्त राशि अनुसार भुगतान की कार्यवाही उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं को की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उचित मूल्य दुकानों के कमीशन निर्धारण में संस्था को स्टेशनरी व्यय की राशि सम्मिलित होने से POS मशीन में उपयोग किया जा रहे पेपर रोल का व्यय संस्था को ही वहन किया जाना है। POS मशीन में नेट कनेक्टिविटी एवं सिम का व्यय POS मशीन के सेवाप्रदाता को वहन किया जाना है। उचित मूल्य दुकान का संचालन संस्था द्वारा किया जाने के कारण स्टेशनरी की राशि विक्रता के वेतन में जोड़कर दी जाना संभव नहीं है। **(घ)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों में प्रदाय राशन सामग्री में से विगत माह के वितरण के पश्चात् बचत मात्रा का समायोजन करते हुए आगामी माह का आवंटन जारी किया जाता है। दुकान की पात्रता में से दुकान की बचत मात्रा की ही कटौती की जाती है एवं आवश्यकतानुसार या जिले की मांग अनुसार अतिरिक्त राशन सामग्री के आवंटन जारी करने की भी व्यवस्था की गई है।

उपार्जन केन्द्रों पर क्रय किए गए गेहूं
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

58. अता.प्र.सं.137 (क्र. 4874) श्री बाला बच्चन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01.05.2020 से 30.09.2020 की अवधि में इंदौर संभाग के उपार्जन केन्द्रों पर क्रय किया गया कितना गेहूं वर्षा से खराब हुआ? जिलावार बतावें। **(ख)** म.प्र. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जून 2020 के आदेश जिसने प्रदेश सरकार को खुले में गेहूं भीगने पर सुरक्षित स्थान पर रखवाना था पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार गेहूं भीगने के लिए सहकारी समिति या परिवहनकर्ता किसे दोषी माना गया? जिलेवार बतावें। इसके दोषियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** रबी विपणन वर्ष 2020-21 में दिनांक 01.05.2020 से 30.09.2020 की अवधि में इंदौर संभाग में असामयिक वर्षा से जिला इंदौर-2334.04 एवं धार-597 मे.टन गेहूं क्षतिग्रस्त हुआ संभाग के शेष जिलों में असामयिक वर्षा से गेहूं खराब नहीं हुआ है। **(ख)** माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश इंदौर खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका क्रमांक 8478/2020 में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु जारी नीति में उपार्जन केन्द्र पर गेहूं के अस्थाई भंडारण हेतु रेत की बोरी का बेस बनाने, आवश्यक ड्रेनेज, रस्सी, तिरपाल की व्यवस्था के साथ-साथ उपार्जित स्कन्ध की स्केटिंग लगाकर असामयिक वर्षा से गेहूं के बचाव का प्रावधान किया गया है। **(ग)** रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य माह मार्च के स्थान पर अप्रैल से प्रारम्भ किया जा सका। समस्त पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का अवसर प्रदान करने हेतु उपार्जन एवं परिवहन का कार्य माह जून, 2020 में भी जारी रहा। माह मई के अंतिम सप्ताह में 'निसर्ग' चक्रवात के कारण पूरे प्रदेश में भारी बारिश हुई। साथ ही, मानसून समय से पूर्व आने के कारण गेहूं वर्षा से प्रभावित हुआ है, जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 16 मार्च, 2021

बस दुर्घटना पर की गई कार्यवाही
[गृह]

59. परि.अता.प्र.सं. 94 (क्र. 4748) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 16.02.2021 को चुरहट विधानसभा के अंतर्गत बस नहर में डूब जाने के कितने लोगों की मृत्यु हुई? **(ख)** मृत्यु का कारण क्या-क्या था? क्या मार्ग परिवर्तन/ सुरक्षा/या अन्य कोई? **(ग)** पुलिस प्रशासन छुहिया घाटी मार्ग पर जाम लगने पर क्या-क्या मापदण्ड अपनाता है? घटना दिन एवं पूर्व दिनों में क्या-क्या प्रयास थे? **(घ)** शासन/जिला प्रशासन ने मृत्युवार क्या-क्या सुविधाएं/मुआवजा/रोजगार दिये?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** कुल 54 लोगों की मृत्यु हुई है। **(ख)** छुहिया घाटी में घुमावदार मोड़ एवं मार्ग की स्थिति खराब होने एवं मार्ग में स्थित मोड़ पर तीव्र ढलान होने से बडे वाहनों में से किसी एक के भी खराब होने की स्थिति में सड़क एवं तरफ से अवरूद्ध हो जाता था। जिस कारण वाहनों के निकलने की गति धीमी हो जाती थी। बस चालक द्वारा बाण सागर नहर के किनारे जिगना होते हुये सतना जाने का मार्ग अपनाया गया। बस चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलानें एवं उक्त मार्ग में छोटा सा ब्रेकर होने से बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरने तथा नहर में पानी अत्यधिक होने से बस डूब गई जिससे बस में फंसे यात्रियों की मृत्यु पानी में डूबने एवं दम

घुटने के कारण हो गई। **(ग)** छुहिया घाटी में घुमावदार मोड़ एवं मार्ग की स्थिति अत्यंत खराब होने एवं मार्ग में स्थित मोड़ पर तीव्र ढलान होने से बड़े वाहनों में से किसी एक के भी खराब होने की स्थिति में आवागमन के सुचारू संचालन में दिक्कतें आती है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर थाना रामपुर नैकिन एवं पुलिस चैकी पिपरांव की पुलिस मौके पर पहुंच कर स्थानीय स्तर पर क्रेन, जे.सी.बी. व्यवस्था कर बिगड़े वाहनों को साइड में कराकर आवागमन संचालित कराया जाता है और वाहनों के कर्मचारियों को यथा संभव मैकेनिक को बुलाकर वाहन दुरूस्त कराने की समझाईस दी जाती है। घटना दिनांक 16.02.2021 को एवं उसके पूर्व के दिनों में छुहिया घाटी में किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति नहीं थी। दिनांक 13.02.2021 से 15.02.2021 के मध्य अल्ट्राटेक सीमेन्ट एवं अन्य ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी के लगभग 1136 वाहनों का आवागमन हुआ है दिनांक 13.02.2021 को छुहिया घाटी के एक मोड़ में एक बल्कर का ड्राकेट पिन (कछुआ पिन) टूट जाने से एक ओर से मार्ग अवरूद्ध था, दूसरे लेन से आवागमन चालू कराया गया था। उक्त बल्कर को स्थानीय स्तर पर क्रेन मंगाकर साइड में कराया गया था, जिसे बल्कर के कर्मचारियों द्वारा बाद में मिस्त्री बुलाकर ठीक कराकर हटाया गया। छुहिया घाटी में काफी भारी वाहनों का आवागमन लगा रहता है, जिसके कारण कतिपय वाहन खराब हो जाते है तथा यातायात की गति धीमी होने लगती है। जैसे की पुलिस को सूचना प्राप्त होती है, पुलिस द्वारा उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से तत्काल मौके पर पहुंच कर यातायात सुचारू रूप से संचालित कराये जाने का कार्य थाना रामपुर नैकिन एवं पुलिस चौकी पिपरांव की पुलिस द्वारा किया गया है। **(घ)** दुर्घटना में कुल मृतक 54 परिवारों को 10-10 हजार रूपये की राशि अन्त्येष्टि संस्कार के लिये तत्काल प्रदान की गई तथा मृतक व्यक्तियों के देह को उनके परिजन के साथ पृथक-पृथक जिला प्रशासन द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। दुर्घटना में कुल मृतक 54 व्यक्तियों के परिवारों में से 53 परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है। शेष 1 परिवार में उत्तराधिकारी के संबंध में अलग-अलग दावेदार होने के कारण सहायता अभी प्रदान नहीं की गयी है। मृतक परिवार को आर.बी.सी 6 (4) के अंतर्गत रूपये 4-4 लाख एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से रूपये 01-01 लाख रूपये साथ ही 02-02 लाख रूपये माननीय प्रधानमंत्री (पी.एम.एन.आर.एफ.) मद से कुल 07-07 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है।

नरसिंहपुर जिले में पंजीबद्ध अपराध

[गृह]

60. परि.अता.प्र.सं. 134 (क्र. 5195) श्री जालम सिंह पटैल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में नरसिंहपुर जिले में कितने हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट, डकैती, नशीले पदार्थ (स्मैक आदि) बेचने के अपराध पंजीबद्ध किए? वर्षवार, थानावार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। **(ख)** वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जिला नरसिंहपुर में महिला उत्पीडन, दहेज प्रथा के कितने मामले पंजीबद्ध हुए? उक्त कितने मामले न्यायालयों में चल रहे हैं, कितने मामलों में समझौता हुआ? संख्यात्मक जानकारी देवें।

गृह मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

दिनांक 17 मार्च, 2021

पांचवी अनुसूची एवं अन्य प्रचलित कानून
[जनजातीय कार्य]

61. परि.अता.प्र.सं. 109 (क्र. 5335) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्र से बाहर के लोगों के लिए कौन-कौन सी गतिविधियां वर्जित हैं। क्या गैर-आदिवासी संगठनों एवं बाहरी संगठनों द्वारा क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियां वर्जित हैं। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसूचित क्षेत्र में किसके सलाह पर कौन-कौन से नियम किसे बनाने का अधिकार है? प्रदेश में इस प्रावधान का अनुपालन नहीं करने के क्या कारण हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसूचित क्षेत्र में अनुच्छेद [275 (1)] टीएसपी फंड के क्रियान्वयन के क्या नियम पांचवीं अनुसूची में दिए गए हैं? वर्तमान में किस नियम का पालन किस प्रचलित कानून के तहत किया जा रहा है? **(घ)** यदि अनुच्छेद [275 (1)] टीएसपी फंड की पूरी राशि खर्च नहीं होती है तो इसके लिए कौन दोषी होता है? दोषी पर क्या कार्यवाही की जाती है? **(ड.)** क्या आदिवासी विकासखंडों में बीडीओ/सीईओ के पद पर अन्य विभागों के अधिकारियों को रखा जाता है? उक्त पद पर आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को क्यों नहीं रखा जाता है? विधिसम्मत कारण बताएं। **(च)** क्या प्रदेश में पांचवीं अनुसूची का कानून असफल हो गया है? यदि हां, तो कानून की असफलता के लिए कौन दोषी है? यदि नहीं, तो प्रदेश में पांचवीं अनुसूची का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** जी नहीं। जी नहीं। **(ख)** पांचवी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 (1) में नियम बनाने का उल्लेख है **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। प्रावधान का पालन किया जा रहा है। **(ग)** पांचवी अनुसूची में नियमों का उल्लेख नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं टीएसपी फंड की संपूर्ण राशि निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत व्यय की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (च)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ड.)** मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के आदेश क्रमांक 11606/1040/22/वि.-2/मु.क./स्था/2018 दिनांक 5.10.2018 एवं मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4-27/2017/25/1 भोपाल दिनांक 3 फरवरी 2018 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जिसके अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

शासन द्वारा प्रदत राशि का उपयोग
[स्कूल शिक्षा]

62. अता.प्र.सं.162 (क्र. 5486) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले में शिक्षा के उन्नयन और आवश्यकता के चलते वर्ष 2018-19 से शासन/विभाग द्वारा कब-कब और क्या-क्या प्रस्ताव मांगे गए तथा कार्यालय-जिला शिक्षा केंद्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को भेजे गए? और प्रेषित प्रस्तावों पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? **(ख)** कटनी जिले में वर्ष 2018-19 से किन-किन विभागीय योजनाओं एवं निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु वर्षवार कितनी-कितनी राशि किन-किन मार्गदर्शी निर्देशों के अध्याधीन कब-कब प्राप्त हुई और प्राप्त राशि का किस नाम/पदनाम के सक्षम प्राधिकारियों की किन सक्षम स्वीकृतियों से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया? **(ग)** प्रश्नांश (ख) राशि का किन-किन कार्यों तथा कार्यक्रमों में कितना-कितना व्यय किया गया एवं किस-किसको कितना-कितना भुगतान किया गया और क्या राशि के आवंटन, व्यय एवं भुगतान में कोई अनियमितता परिलक्षित हुई हैं? **(घ)** प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो किस जानकारी एवं किन-किन जांच और प्रतिवेदनों से क्या अनियमितता होना ज्ञात हुई और प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा की गयी? **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (ख) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में विगत 03 वर्षों मे शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव और सुधार होना पाया गया तथा क्या परिणाम रहें और क्या यह परिणाम शासन/विभाग एवं अन्य एजेंसियों के नियत मानकों के अनुरूप हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार? यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाही की जायेंगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है**।] **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में संचालित योजनाओं के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कर भारत सरकार को भेजे गये है। **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट-एक पर** है। **(ख)** एवं **(ग)** राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र. 6711, दिनांक 25.10.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार कलेक्टर, कटनी के अनुमोदन उपरांत सत्र 2018-19 में गणवेश हेतु राशि रू. 8595600/- की स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य विभागीय योजनाओं एवं निर्माण/मरम्मत कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर** है। अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(घ)** उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर** है।

<u>दिनांक 18 मार्च, 2021</u>

पंचायती राज की सीमार वन क्षेत्र शामिल होने की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

63. अता.प्र.सं.19 (क्र. 3711) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिला पंचायत एवं उसकी किस जनपद पंचायत की सीमा में

कितना आरक्षित वन क्षेत्र एवं कितना संरक्षित वन शामिल है कितना वन क्षेत्र जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की सीमा से बाहर है? पृथक-पृथक बतावें। **(ख)** जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की सीमा में आने वाले वनक्षेत्रों एवं लघु वनोपज पर संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में पंचायती राज व्यवस्था को क्या-क्या अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबन्धन सौंपा गया है? **(ग)** हरदा, बैतूल एवं होशंगाबाद जिले में पंचायती राज संस्थाओं की सीमा में आने वाले वन क्षेत्रों पर पंचायती राज संस्थाओं को क्या-क्या अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रश्नांकित दिनांक तक सौंपा गया है? यदि नहीं, सौंपा तो कारण बतावें कब तक सौंपा जावेगा।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क)** बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिले के वनमंडलो के वनक्षेत्रों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिले का नाम	संरक्षित वनक्षेत्र (हे.मे.)	आरक्षित वन क्षेत्र (हे.मे)
1.	बैतूल	71263.844	243477.750
2.	होशंगाबाद	36000.00	56500.000
3.	हरदा	35716.044	74178.532

वन विभाग के अधिपत्य के आरक्षित वन एवं संरक्षित वन जनपद पंचायत की सीमा से बाहर हैं। **(ख)** संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में दिये गये अधिकार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। **(ग)** पंचायती राज के अधिकार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है।

जबलपुर जिले में नकली सीमेंट का कारोबार
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

64. अता.प्र.सं.24 (क्र. 3865) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जबलपुर जिलांतर्गत डस्ट एवं घटिया सीमेंट की मिलावट कर नामी कंपनियों की बोरियों में भरकर विक्रय किये जाने का कारोबार विगत समय में पकड़ा गया है? **(ख)** क्या यह नकली सीमेंट शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग की गई है? **(ग)** क्या इस कारोबार की गहन जॉच की जायेंगी? **(घ)** क्या नकली सीमेंट बनाने वालों के साथ-साथ शासकीय कार्यों में उपयोग करने वाले ठेकेदारों, विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेंगी?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** से **(घ)** पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर की जानकारी के अनुसार जबलपुर के थाना गोहलपुर अंतर्गत घटिया सीमेंट की मिलावट कर नामी कंपनियों की बोरियों में भरकर विक्रय किये जाने का कारोबार पकडा गया है। इस प्रकार के कारोबार की जांच पुलिस अधीक्षक

कार्यालय जबलपुर के अधीन की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर की जानकारी अनुसार जांच में शासकीय कार्यों में उपयोग करने वाले ठेकेदारों एवं विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता नहीं पाई गई है।

राजगढ़ जिले में विभाग की योजनाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]

65. परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 4223) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत युवाओं के लिए वर्तमान योजनाएं संचालित है? यदि हां, तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन, खेल सामग्री तथा बजट संबंधित प्रावधान का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं? **(ख)** राजगढ़ जिले में युवाओं के प्रोत्साहन हेतु कौन सी योजनाएं संचालित है? कौन सी योजनाएं संचालित नहीं है? कारण सहित विवरण उपलब्ध कराएं। **(ग)** राजगढ़ जिले में युवाओं को विभिन्न खेलों के लिए उपकरण व खेल सामग्री उपलब्ध कराने के प्रावधान है? यदि हां, तो विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा राजगढ़ जिले में युवाओं के लिए वितरित खेल सामग्री की संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध करावें? **(घ)** विगत 5 वर्षों में वितरित सामग्री की विज्ञप्ति खरीदी, भौतिक सत्यापन, डेड स्टॉफ नियमन इत्यादि प्रक्रिया में शासन के नियमों का पालन किया गया है? यदि हां, तो खेल सामग्री संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के पालन की पिछले पांच वर्ष की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

स्टेट जी एस टी द्वारा जनपदों/ग्राम पंचायतो से प्राप्त कर की राशि की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

66. अता.प्र.सं.67 (क्र. 4779) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 01/04/2017 से प्रश्न दिनांक तक किस किस माल सप्लायर वाले वेंडरों से एवं सर्विस सप्लायरों से कितना कितना टीडीएस काट कर, जीएसटी संग्रहण करते हुये या जीएसटी का भुगतान, सर्विस/माल सप्लायरों को करने हुये जनपद पंचायतवार/ग्राम पंचायतवार कितनी राशि वाणिज्यिकर विभाग को जमा की गयी? **(ख)** क्या जनपद पंचायतो/ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये भुगतान की राशि का टी डी एस 2 प्रतिशत भुगतान किये गये बिल से काटा जाना आवश्यक है? क्या बिलों में सी जी एस टी/आई जी एस टी/टैक्स की राशि एवं जीएसटी पृथक से दर्शाया जाना आवश्यक? क्या उक्त जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों ने प्राप्त बिलों में सप्लायरो से दर्शाते हुये बिल लेकर भुगतान किया? क्या वाणिज्य कर विभाग इन गंभीर प्रकरणों की जांच करेगा? **(ग)** जनपद पंचायतों

एवं ग्राम पंचायतो में बिलों के सत्यापन के संबंध में क्या मापदण्ड अपनाया जाता हैं इसकी जांच वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रश्नतिथि तक प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयावधि एवं जनपद पंचायतोंवार/ग्राम पंचायतोंवार क्यों नहीं की गई? **(घ)** कब तक जॉच कर शासन के खाते में राशियों की वसूली कर जमा करवाई की जायेगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क)** रीवा जिले के मऊगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत मऊगंज, हनुमना की ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों द्वारा किसी सप्लायर्स/वैण्डर्स को किये गये भुगतान में से किसी प्रकार का टी0डी0एस/जीएसटी कटौत्रा नहीं की गई है। कटौत्री न किये जाने के कारण कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। **(ख)** मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध के तहत आपूर्ति की राशि रूपये 2 लाख 50 हजार से अधिक होने पर आपूर्तिकर्ता को की जाने वाली भुगतान राशि पर 1 प्रतिशत सीजीएसटी एवं 1 प्रतिशत एसजीएसटी का टीडीएस किए जाने के प्रावधान हैं। जीएसटी के तहत पंजीयन करदाता को उनके द्वारा जारी बिलों में देय जीएसटी की राशि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जीएसटी में कम्पोजिशन का विकल्प लेने वाले पंजीयत करदाता को पृथक से कर वसूल किए जाने की पात्रता नहीं है। कर अपवंचन के तथ्य संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा तथ्यों के समुचित परीक्षण व सत्यापन पश्चात विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। **(ग)** कर अपवंचन के तथ्य संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा तथ्यों के समुचित परीक्षण व सत्यापन पश्चात विधि अनुसार सप्लायर्स पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। **(घ)** जीएसटी के तहत पंजीयत करदाता द्वारा ग्राम पंचायतों को की गई सप्लाय एवं उनसे प्राप्त किए गए भुगतान की जानकारी के तथ्य विभाग के संज्ञान में आने पर संबंधित पंजीयत सप्लायर द्वारा जीएसटीएन पोर्टल पर प्रस्तुत विवरणी में दर्शायी गई सप्लाय से मिलान किया जाता है। सप्लाय की राशि एवं विवरणी में प्रदर्शित सप्लाय की राशि में भिन्नता पाए जाने की स्थिति में तथ्यों के समुचित परीक्षण व सत्यापन उपरांत संबंधित सप्लायर पर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है एवं कर राशि जमा कराई जाती है।

विधायक निधि से पंचायतों को दिए जाने वाले टैंकरो हेतु दिशा-निर्देश
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

67. अता.प्र.सं.77 (क्र. 5061) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से सन् 2004 से 17 फरवरी 2021 तक कितने पानी के टैंकर कौन-कौन सी पंचायतों में प्रदान किए गए? नाम, वर्षवार सहित पृथक-पृथक विवरण दें। **(ख)** क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत में 3-3, 4-4 टैंकर खराब अवस्था में पडे है? इनमें से कितने रिपेयर हो सकते है? कितने भंगार की स्थिति में है? पंचायतों में इसका संधारण क्यों नहीं किया जाता है? शासन ऐसा कोई नियम बनायेगा कि टैंकरों का उपयोग सिर्फ पानी के लिए हो? **(ग)** वर्ष 2014 ये 17 फरवरी 2021 तक नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षैत्र की प्रत्येक पंचायत में पंच परमेश्वर की राशी, विधायक निधि,

से क्या-क्या कार्य करवाये गये है? प्रत्येक का पृथक-पृथक वर्षवार, ग्राम पंचायतवार विवरण दें। **(घ)** खाचरौद विकासखण्ड में संबल व राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र शेष रहे हितग्राहियों को कब तक भुगतान कर दिया जायगा? समयावधि सहित संपूर्ण विवरण दे। **(ड.)** संबल योजना में सत्यापन के पश्चात अनुग्रह राशी के लंबित प्रकरणों और जो छूटे हुए प्रकरण है उनको कब तक राशि का भुगतान किया जाएगा? विवरण दें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। ग्राम पंचायतें अपनी उपलब्ध निधि एवं स्वीकृत बजट अनुसार संधारण करती हैं। म.प्र. ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां एवं कृत्य) नियम, 1999 में पूर्व से ही तत्संबंधी प्रावधान हैं। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(घ)** विकासखण्ड खाचरौद में संबल योजना के पात्र 77 प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र किया जाएगा एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के कोई भी पात्र प्रकरण भुगतान हेतु शेष नहीं है। **(ड.)** संबल योजना में सत्यापन के पश्चात अनुग्रह राशि के 72 प्रकरण तथा छूटे हुए 05 प्रकरण है जिसका निराकरण यथाशीघ्र किया जाएगा।

रोजगार सहायकों के स्थानान्तरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

68. अता.प्र.सं.85 (क्र. 5161) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में दिनांक 01-01-2019 से 31-03-2020 तक ग्राम पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों के कितने स्थानांतरण किनकी अनुशंसाओं से किए गए? **(ख)** स्थानांतरण समय के अतिरिक्त कितने स्थानांतरण किन नियमों के तहत हुए? उनकी सूची नियम सहित देवें। **(ग)** नियमों की अवहेलना करके स्थानांतरण करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? कब तक ये स्थानांतरण निरस्त होंगे?

पंचायत मंत्री : [**(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में ग्राम पंचायत सचिवों के 369 तथा ग्राम रोजगार सहायकों के 53 स्थानान्तरण किये गये। स्थानान्तरण नीति में अनुशंसा किये जाने का प्रावधान नहीं है। **(ख)** 25 ग्राम पंचायत सचिवों और 25 ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानान्तरण प्रशासकीय परिस्थितियों के कारण किये गये है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जांच उपरांत निर्णय लिया जाएगा।

सरपंच/सचिवों पर बकाया राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

69. अता.प्र.सं.122 (क्र. 5431) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के जनपद पंचायत लहार एवं रौन की कौन-कौन सी ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिवों पर दिनांक 01 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2020 तक कितनी-कितनी राशि

बकाया है? उपरोक्त बकाया राशि की वसूली की क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक राशि वसूल कर ली जाएगी? **(ख)** क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 490, दिनांक 19/02/2015 में दी गई जानकारी अनुसार जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड द्वारा लगभग 35 ग्राम पंचायतों पर बकाया लाखों रूपय की राशि वसूली के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार को अनेक वर्षों पूर्व भेजने के बाद भी वसूली नहीं करने के लिए दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक राशि वसूल की जाएगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी संकंलित की जा रही है।**] **(क)** भिण्ड जिले के जनपद पंचायत लहार एवं रौन की ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिवों पर दिनांक 01 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2020 तक लहार जनपद पंचायत में राशि रूपये 2,06,45,106/- एवं रौन जनपद पंचायत में राशि रूपये 85,02,945/- कुल बकाया राशि रूपये 2,91,48,051/- वसूली बकाया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** तत्समय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लहार से अनुविभागीय अधिकारी लहार को 32 प्रकरणों की सूची प्रदाय की गई थी, जिसमें से 04 प्रकरण तत्समय में ही खारिज किये जा चुके थे, की गई कार्यवाही **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। वसूली की कार्यवाही प्रचलित है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मंत्री बंगलों पर साज सज्जा आदि पर व्यय राशि
[लोक निर्माण]

70. अता.प्र.सं.126 (क्र. 5442) श्री मेवाराम जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सहित मंत्रिमण्डल के किन-किन सदस्यों के भोपाल स्थित उन्हें आवंटित शासकीय आवासों में माह अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक की अवधि में साज-सज्जा अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? आवास वार पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में उक्त आवासों पर बिजली एवं पानी (जलदर) पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? कृपया आवास वार पृथक-पृथक जानकारी दें।

लोक निर्माण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है।

पंचायती राज संस्थानों द्वारा जीएसटी जमा करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

71. अता.प्र.सं.142 (क्र. 5743) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 14 सितंबर 2018 के परिपत्र अनुसार GSTR7 में प्रश्नांकित दिनांक तक भी आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए?

(ख) उपरोक्त अवधि में जिला पंचायत जिले की जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा GSTR7 में किस अवधि की जानकारी प्रस्तुत की गई? यदि नहीं, की गई तो वाणिज्य कर विभाग के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** वाणिज्य कर विभाग 14 सितंबर 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए गए भुगतान पर जीएसटी कटौती के संबंध में कब तक जानकारी संकलित कर प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करवाएगा?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जी नहीं, प्रस्तुत किये गये हैं। **(ख)** वर्ष 2019 से 2021 की जानकारी प्रस्तुत की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 19 मार्च, 2021

डायवर्सन के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]

72. अता.प्र.सं.138 (क्र. 6065) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के क्या नियम हैं? आवेदन प्राप्ति के कितने दिनों के बाद दिए जाने का प्रावधान है? क्या नागदा-खाचरौद क्षेत्र में नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कितनों को लाभ दिया गया है? कितने वंचित हैं? वंचित के क्या कारण हैं? सम्पूर्ण विवरण दें। **(ख)** नागदा-खाचरौद क्षेत्र अन्तर्गत कमजोर सामान्य वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रमाण पत्र हेतु किन-किन के आवेदन 2019 से 24 फरवरी, 2021 तक प्राप्त हुए हैं? उनके नाम, पता तथा आवेदन की प्राप्ति सहित सम्पूर्ण विवरण दें। **(ग)** एस.डी.एम. व तहसील कार्यालय नागदा व खाचरौद में 01 जनवरी 2018 से दिनांक 24 फरवरी 2021 तक भूमि डायवर्सन बंटवारा, नामान्तरण, फौती नामन्तरण, जमीनों की नपती, अभिलेख दुरूस्ती व अतिक्रमण संबंधी कितनी शिकायतें व आवेदन प्राप्त हुए? आवेदक के नाम, पता, आवेदन की स्थिति सहित विवरण दें। **(घ)** उपरोक्त समयावधि में उपरोक्त कार्यों हेतु ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनके आवेदकों को उसी कार्य हेतु दोबारा आवेदन करना पड़ा? जिसमें फाइलें गुम होने/छुपाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उनकी शिकायतों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री : [**(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दिए जाने संबंधी परिपत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। जानकारी एकत्रित की जा रहीं हैं। (ख)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दिए जाने संबंधी परिपत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** हैं। जी, हॉ। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार हैं। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ)** जी, नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 22 मार्च, 2021

कम्प्यूटर ऑपरेटरों के सम्बन्ध में
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

73. अता.प्र.सं.20 (क्र. 4110) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले में एंड टू एंड योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 से कितने-कितने ऑपरेटर आउटसोर्स से रखे गए हैं नाम व सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** साथ ही ऑपरेटरों को वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना मानदेय का भुगतान किया गया है इनवॉइस की प्रति उपलब्ध कराएं **(ग)** राजगढ़ जिले में वर्ष 2018-19 में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है यह भी बताएं कि ऑपरेटरों को कब तक भुगतान कर दिया जाएगा समय-सीमा बतावें? **(घ)** यदि समय-सीमा से भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए कौन अधिकारी कर्मचारी जवाबदार है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** राजगढ़ जिलें में एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटराईजेशन परियोजनांतर्गत वर्ष 2018-19 से परियोजना अवधि तक आउटसोर्स से जिले में रखे गये कम्प्यूटर आपरेटरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटराईजेशन परियोजनांतर्गत वर्ष 2018-19 से परियोजना अवधि मार्च 2020 तक कम्प्यूटर आपरेटरों को राशि रू. 12,94,068/- (बारह लाख चौरानवें हजार अड़सठ) का भुगतान किया गया। इनवॉइस की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** राजगढ़ जिलें में वर्ष 2018-19 में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बी.पी.एल. कार्ड के पात्र हितग्राहियों के कटे हुये नाम जोड़े जाना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

74. अता.प्र.सं.54 (क्र. 5521) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला मुरैना में कितने बी.पी.एल. कार्डधारी हितग्राही हैं। क्या पात्र हितग्राहियों के नाम काटे जा रहे हैं एवं उन्हें राशन सामग्री प्रदान नहीं की जा रही हैं। **(ख)** यदि हां, तो पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने हेतु शासन द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

खाद्य मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** मुरैना जिले में कुल 1,28,579 बी.पी.एल. कार्डधारी हितग्राही है। जी नहीं एवं उन्हें पात्रता अनुसार राशन प्रदान किया जा रहा है। **(ख)** जिले में पात्र हितग्राहियों के नाम नहीं काटे जाने से जानकारी निरंक है।

नियम विरूद्ध कार्य करने पर विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही न होना
[सहकारिता]

75. परि.अता.प्र.सं. 65 (क्र. 5694) श्री प्रदीप पटेल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर जिले की न्याय गृह निर्माण सह. संस्था श्री राम गृह निर्माण सह. संस्था, जागृति गृह निर्माण सह. संस्था, देवी अहिल्या श्रमिक कामगार गृह निर्माण सह. संस्था, मजदूर पंचायत गृह निर्माण संह. संस्था, सारथी गृह निर्माण सह. संस्था, हरियाणा गृह निर्माण सह. संस्था, शताब्दी गृह निर्माण सह. संस्था, जय हिन्द गृह निर्माण सह. संस्था, डायमंड गृह निर्माण सह. संस्था एवं हिना पैलेस कालोनियों में क्या-क्या शिकायतें/ अनियमिततायें विगत 5 वर्ष से प्रश्नतिथि तक विभाग को प्राप्त हुई? उन पर प्रश्नतिथि तक क्या-क्या कार्यवाही किन-किन आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से किस-किस सक्षम कार्यालयों के द्वारा की गई जानकारी आदेशों के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध कराते हुये दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित सहकारी संस्थाओं में सदस्यों के साथ हुई धोखाधड़ी पर इंदौर के थाना खजराना में अपराध क्रमांक 159/2021, 160/2021, 161/2021, 162/2021 दिनांक 17.02.2021 को एवं थाना एम.आई.जी. इंदौर में अपराध क्रमांक 131/2021, 132/2021, दिनांक 18.02.2021 को दर्ज हुये? **(ग)** प्रश्नांश (क) में वर्णित सहकारी संस्थाओं में अनियमिततायें करने पर किस-किस सहकारी गृह निर्माण संस्था को शासन द्वारा आम जनमानस के हितार्थ प्रश्नतिथि तक अधिगृहण कर संस्था के सभी वास्तविक सदस्यों को उनका वाजिब हक कब तक दिलवाया जायेगा? **(घ)** प्रश्नांश (क) में वर्णित संस्थाओं में सदस्यों का नाम बढ़ाने/घटाने एवं सीमा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने की अनुमति देने वाले सहकारिता विभाग के किस पदनाम/नाम को शासन ने प्रश्नतिथि तक चिन्हित कर उनके विरूद्ध कब व क्या कार्यवाही की है? जारी सभी आदेशों का विवरण दें।

सहकारिता मंत्री : [**(क)** इंदौर जिले में न्याय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर एवं हिना पैलेस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के नाम से गृह निर्माण सहकारी संस्थायें पंजीकृत नहीं है। सारथी, शताब्दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संबंध में कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार शिकायतें प्राप्त होना नहीं पाई गई। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** इंदौर के थाना खजराना से प्राप्त जानकारी अनुसार अपराध क्रमांक 159/2021,160/2021,161/2021,162/2021 दिनांक17.02.2021 को दर्ज हुए है एवं थाना एम.आई.जी इंदौर से प्राप्त जानकारी अनुसार अपराध क्रमांक 131/2021,132/2021,दिनांक 18.02.2021 को दर्ज हुए है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' में वर्णित सहकारी संस्थाओं में से 1. श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर 2. जागृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर 3. देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संचालक मण्डल को अनियमितताओं के कारण म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 के अंतर्गत अधिक्रमित कर प्रशासकों की नियुक्ती की गई है। गृह निर्माण सहकारी संस्थाये निगमित निकाय है तथा सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम तथा उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संदस्यों के संबंध में समस्त कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा ही की जानी है।

(घ) प्रश्नांश 'क' में वर्णित संस्थाओं में सदस्य बढाने संबधित उपविधि संशोधन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जानकारी का परीक्षण कर पाए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यकता होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर चिन्हित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।] **(क)** इन्दौर जिले में न्याय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर एवं हिना पैलेस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के नाम से गृह निर्माण सहकारी संस्थायें पंजीकृत नहीं है। सारथी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर एवं शताब्दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संबंध में कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार शिकायतें प्राप्त होना नहीं पाई गई। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

स्टाक रजिस्टर एवं POS मशीन से खाद्यान्न का मिलान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

76. अता.प्र.सं.94 (क्र. 5922) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सागर संभाग में कौन कौन सी POS मशीन ऑन लाईन है। सूची उपलब्ध कराएं। उक्त POS मशीन से 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक माह विक्रताओं द्वारा 95% से अधिक वितरण करने वाली दुकानों की जांच करायी जाएगी? यदि हां, तो कब तक समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? **(ख)** प्रदेश में किस-किस POS मशीनें आफ लाईन संचालित करने वाले विक्रेताओं द्वारा माह जनवरी से मार्च तक का खाद्यान्न लैप्स करने के लिये आवेदन दिया था? क्या लैप्स कराने वाले विक्रेताओं एवं समितियों को सम्मानित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? **(ग)** प्रदेश की किन-किन ऑन लाईन शासकीय उचित मूल्य दुकानों की POS मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर में किस-किस योजना का मिलान नहीं हो रहा है। दुकान वार सूची उपलब्ध कराएं। **(घ)** क्या प्रदेश की POS मशीन में सी.एफ. में केरोसिन प्रदर्शित होता है? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? म.प्र. में POS मशीन से वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना का कितनी मात्रा में खाद्यान्न पात्रता धारी को दिया गया था? क्या उक्त खाद्यान्न आर.सी. डिटेल में देखा जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** सागर संभाग में ऑनलाईन PoS मशीन वाली उचित मूल्य दुकानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। अस्त्विहीन, मृत आदि अपात्र परिवारों को विगत वर्ष पोर्टल से अस्थाई रूप से हटाया गया है एवं ऑनलाईन उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण किया जा रहा है। इस कारण राशन प्राप्त करने वाले पात्र परिवारों का औसतन 95 प्रतिशत से अधिक रहने के कारण सभी दुकानों की एक साथ जांच कराया जाना संभव नहीं है। आकस्मिक रूप से जांच कराई जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय राशन सामग्री के वितरण पश्चात शेष मात्रा का समायोजन उपरांत आगामी माह का आवंटन जारी करने की व्यवस्था है इस कारण उचित मूल्य दुकान

के विक्रेताओं को खाद्यान्न की बचत मात्रा को समर्पित करने हेतु आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। छतरपुर जिले में गायत्री महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार ग्राम पंचायत बरकौहा जिला छतरपुर द्वारा खाद्यान्न समर्पण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। खाद्यान्न समर्पण करने वाले विक्रेता एवं समितियों को सम्मानित करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि राशन वितरण एवं बचत मात्रा का समायोजन की ऑनलाईन व्यवस्था होने के साथ-साथ बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन का वितरण किया जा रहा है। **(ग)** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री का आवंटन, प्रदाय वितरण एवं शेष मात्रा का समायोजन ऑनलाईन किया जाता है। इस कारण PoS मशीन में खाद्यान्न के ऑनलाईन स्टॉक को स्टॉक पंजी से मिलान का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** PoS मशीन में केरोसीन अन्य सामग्री की तरह माह की 10 तारीख तक विगत माह का प्रति परिवार सीएफ प्रदर्शित होता है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवार 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। वितरित खाद्यान्न को आरसी डिटेल में देखने की सुविधा उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन जिले में पंजीकृत गृह निर्माण संस्थाएं
[सहकारिता]

77. परि.अता.प्र.सं. 93 (क्र. 5957) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में कितनी गृह निर्माण संस्थाएं प्रश्न दिनांक की स्थिति में पंजीकृत हैं? संस्था नाम, पंजीयन दिनांक सहित जानकारी देवें। **(ख)** इन संस्थाओं के नाम जिन्होंने तीन वर्षों से आडिट नहीं कराया है, की जानकारी देवें। **(ग)** दि.01.01.13 से दिनांक 31.12.17 तक इन संस्थाओं द्वारा जिन्हें प्लाट आवंटित किए गए उनकी सूची, रकवा नंबर सहित संस्थावार देवें। संस्था के सदस्यों की सूची एवं वरीयता सूची भी संस्थावार देवें। **(घ)** जिन संस्थाओं ने आडिट नहीं कराया उन पर विभाग ने प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, की है तो कब तक कार्यवाही की जाएगी?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** उज्जैन जिले में दिनांक 01.03.21 की स्थिति पर 160 गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं पंजीकृत है. शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार** है। **(ख)** उज्जैन जिले में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसने 03 वर्षों का ऑडिट नहीं कराया है। **(ग) प्रश्नांश से संबंधित संकलित की जा रही है। (घ)** श्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन द्वारा 01 वर्ष का ऑडिट नहीं कराने के कारण अध्यक्ष को पद से हटाने की कार्यवाही की गयी है। इसी तरह श्याम गृह निर्माण सहकारी समिति उज्जैन द्वारा 01 वर्ष का ऑडिट नहीं कराने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (3) के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ग)** दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 31.12.2017 तक 20 संस्थाओं द्वारा सदस्यों को प्लॉट आवंटित किये गये है, 19 संस्थाओं की संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**, एक संस्था

श्री गृह निर्माण सहकारी संस्था उज्जैन की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाने से संस्था पर सहकारिता अधिनियम की धारा 76 (2) की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 19 संस्थाओं की सदस्यता सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। 04 संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत वरीयता सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। शेष 15 संस्थाओं को उपायुक्त सहकारिता उज्जैन द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं।

मिलर्स द्वारा बेचे गये चावल की जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

78. परि.अता.प्र.सं. 104 (क्र. 6029) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक किस-किस मिलर्स द्वारा शासन को कितना-कितना चावल बेचा गया? मिलर्स का नाम/पता/मालिक/भागीदार का नाम बेची गई मात्रा दर कुल राशि दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में उक्त चावल में से किस-किस मिलर्स का कितना-कितना चावल किस-किस जिले में भेजा गया तथा उस जिले में कितना चावल हितग्राहियों को वितरित किया गया? **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में केन्द्र सरकार के निर्देश पर फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने किस-किस मिलर्स के चावल को जांच में अमानक स्तर का पाया? उन मिलर्स पर किस थाने में किन धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया? यदि नहीं, कराया गया तो बतावें की कब तक कराया जावेगा। **(घ)** क्या शासन द्वारा मिली भगत कर घटिया चावल सप्लाई करने वाले मिलर्स को ब्लैक लिस्टेड किया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** क्या जिन हितग्राहियों को उन मिलर्स का चावल वितरित किया गया जो अमानक स्तर का था उस हितग्राही परिवार को बीस हजार रूपये प्रति परिवार मुआवजा दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक मिलर्स द्वारा शासन को चावल बेचा जाना निरंक है। शासन के नियमानुसार समर्थन मूल्य पर उपार्जित की गई धान, मिलर्स को प्रदाय कर मिलिंग उपरांत सी.एम.आर. चावल जमा कराया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में वितरित किये गये चावल की योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में केन्द्र सरकार के निर्देश पर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने जिन मिलर्स के चावल को अमानक स्तर का पाया, उसकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है। EOW द्वारा मिल मालिकों वेयर हाउस प्रबंधक, गुणवत्ता निरीक्षकों एवं एमपीएससीएससी मण्डला एवं अन्य के विरूद्ध प्रारंभिक जांच कर प्रकरण क्रमांक 18/20 दिनांक 04.09.2020 दर्ज किया गया है। **(घ)** राज्य की कस्टम मिलिंग नीति के अनुसार अमानक चावल मिलर को वापिस कर मानक गुणवत्ता का चावल प्राप्त किए जाने उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्यवाहीं की जाती है। मुख्यालय के पत्र क्र. 415 दिनांक 12/03/2021 से ऐसे मिलर जिनके द्वारा लगातार सूचना देने के उपरांत भी अमानक चावल के बदले मानक गुणवत्ता का चावल प्रदाय करने हेतु गोदामों से चावल का उठाव नहीं

करने वाले मिलर के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने एवं धान मिलिंग कार्य से पृथक करने/ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाहीं हेतु निर्देशित किया गया है। पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। **(ड.)** हितग्राहियों को अमानक स्तर का चावल वितरित नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

शासन द्वारा गेहूं/धान फसल खरीदी में तुलाई के नियम
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

79. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 6072) श्री संजय यादव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जबलपुर जिले के खरीदी केन्द्रों पर गत 3 वर्षों में तुलाई, पल्लेदारी, सिलाई हेतु कोई राशि सहकारी समितियों और केन्दों को जारी की गई है? यदि हॉ तो कब-कब, कितनी-कितनी राशि दी गई है? खरीदी केन्द्रवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या जबलपुर जिले के किसानों से तुलाई पल्लेदारी सिलाई हेतु कोई राशि वसूली गई है? इसका दोषी कौन है और उन दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या भविष्य में शासन द्वारा तुलाई पल्लेदारी सिलाई की राशि किसानों के खाते में सीधे आंतरित करने की कोई योजना है? यदि हाँ तो यह योजना क्या है एवं कब तक लागू की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन कार्य हेतु निर्धारित उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जित मात्रा के लिए व्यय की राशि उपार्जन एजेंसी द्वारा उपार्जन केन्द्र संचालन करने वाली संस्थाओं को भुगतान की जाती है। सहकारी समितियों द्वारा तुलाई, पल्लेदारी एवं सिलाई की राशि का भुगतान प्रासंगिक व्यय मद में प्राप्त राशि से किया जाता है। जबलपुर जिले में विगत 3 वर्षों में सहकारी समितियों को प्रासंगिक व्यय मद में प्राप्त राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जबलपुर जिले में उपार्जित स्कंध के तुलाई, पल्लेदारी, सिलाई हेतु किसानों कोई राशि प्राप्त करने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उपार्जन कार्य के दौरान फसल की तुलाई, पल्लेदारी एवं बोरो की सिलाई का दायित्व उपार्जन करने वाली संस्था का होता है, जिसके लिए समिति को प्रासंगिक व्यय मद में राशि का भुगतान किया जाता है। किसानों से फसल की तुलाई, पल्लेदारी एवं बोरों की सिलाई का कार्य नहीं कराए जाने के कारण किसान को राशि अंतरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री कोविड-19 योध्दा कल्याण योजना का लाभ
[राजस्व]

80. परि.अता.प्र.सं. 129 (क्र. 6203) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना म.प्र. शासन द्वारा संचालित की गई है। ऐसे फ्रंटलाईन के योद्धा कौन है, जिनकी कोविड-19 में ड्यूटी लगाई थी? जिन कर्मचारियों की कोविड-19 में ड्यूटी लगाई गई थी? उनमें से कितने लोगों ने कोविड योद्धा के लिये आवेदन किया? **(ख)** कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने के बाद किन-किन कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को "मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण" योजना का लाभ

प्रदान कर 50 लाख रूपयें की राशि प्रदान की जा चुकी है? **(ग)** कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान मृत होने वाले कर्मचारियों के ऐसे कितने आश्रित परिवार है, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्रदान किया जाना अभी शेष है? उन्हें अभी तक योजना का लाभ प्रदान नहीं किये जाने का क्या कारण है? ऐसे मृतक कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को कब तक योजना का लाभ प्रदान कर दिया जायेगा।

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी हाँ। कोविड योद्धा को योजना के निर्देश में परिभाषित किया गया है। योजना की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। आवेदन की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक 163 आवेदन प्राप्त हुये है। **(ख)** कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान प्रश्न दिनांक तक मृत्यु होने के बाद 41 कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को "मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण" योजना का लाभ प्रदान कर 50 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है। **(ग)** 74 आवेदन परीक्षणाधीन होने से शेष हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 23 मार्च, 2021

अधिकारी/कर्मचारी की पदवार संख्या
[गृह]

81. अता.प्र.सं.40 (क्र. 4666) श्री पी.सी. शर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन के अधीन कितने विभाग हैं विभागीय पद संरचनानुसार गृह विभाग अंतर्गत कितने-कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत किये गये थे? विभागीय संवर्ग स्वीकृत पदवार समाप्त किये गये पदवार पृथक-पृथक बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद रिक्त हैं और कब से? संवर्ग श्रेणी वार वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में रिक्त पदों में से कितने-कितने किस संवर्ग के पद भरे गये? विभागवार वर्ष वार बताये नहीं भरे गये तो क्यों कारण बतायें। भरे जायेंगे तो कब तक? पद नहीं भरे जाने पर जवाबदारी किसकी है? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ख) रिक्त पदों को भरने के लिए समयावधि निश्चित है? नहीं तो क्यों? कारण बतायें। नहीं तो रिक्त पदों का भरने के लिए समय अवधि का नियम है या बनाया जायेगा?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** म.प्र. शासन के अधीन 54 विभाग कार्यरत है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** रिक्त पदों को भरने की समयावधि निश्चित नहीं है एवं समयावधि संबंध कोई नियम नहीं है।

शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति
[गृह]

82. परि.अता.प्र.सं. 41 (क्र. 4833) श्री उमंग सिंघार : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले में प्रश्न दिनांक तक कितने शस्त्र लाईसेंस एवं नामांतरण स्वीकृत किये गये है? धार जिले में विधानसभावार, नामवार, दिनांकवार एवं पते सहित सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** भिण्ड एवं मुरैना जिले में प्रश्न दिनांक तक कितने शस्त्र लाईसेंस है? उसके अनुपात में धार जिले में कितने लाईसेंस स्वीकृत किये गये है? **(ग)** गंधवानी विधानसभा में पुलिस विभाग की एनओसी के पश्चात भी धार कलेक्टर द्वारा शस्त्र लाईसेंस एवं नामांतरण के कितने प्रकरण विचाराधीन रखे है? गंधवानी विधानसभा के प्रकरणों की नाम सहित सूची उपलब्ध करावें एवं गंधवानी विधानसभा के शस्त्र लाईसेंस कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे? समय-सीमा बतावें।

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** धार जिले में प्रश्न दिनांक तक शस्त्र लायसेंस एवं नामांतरण के कुल 6023 स्वीकृत किये गये है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** भिण्ड जिले में प्रश्नांश दिनांक तक 23458 शस्त्र लायसेंस है। मुरैना जिले में कुल 22746 शस्त्र लायसेंस है। धार जिले में कुल 6023 स्वीकृत है। **(ग)** गंधवानी विधानसभा में पुलिस विभाग की एनओसी के पश्चात भी शस्त्र लायसेंस एवं नामांतरण के कुल 159 प्रकरण विचाराधीन है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में समाहित है। गंधवानी विधानसभा के शस्त्र लायसेंस के आवेदन की आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के तत्पश्चात गुणदोष के आधार पर निराकरण कर दिया जायेगा।

जिला अशोकनगर के अपराध क्र. 108 संबंधी
[गृह]

83. अता.प्र.सं.65 (क्र. 5253) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** थाना बहादुरपुर जिला अशोकनगर के अपराध क्र. 108 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन में क्या फरियादी द्वारा हमराह पिता के साथ होना बताया गया है? **(ख)** क्या फरियादी के साथ उस समय उसका पिता उपस्थित था या पुलिस द्वारा स्वयं से हमराह पिता लेख किया गया? **(ग)** क्या मृतक खुमान को ग्वालियर चिकित्सालय में भर्ती करने का लेख किया गया? मृतक खुमान की मृत्यु इलाज के दौरान होने पर उसका शव परीक्षण ग्वालियर चिकित्सालय में ही क्यों नहीं कराया गया? किस कारण से शव परीक्षण अशोकनगर में कराया गया? **(घ)** क्या मृतक को चिकित्सकों द्वारा सही समय पर समुचित उपचार दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। फरियादी के साथ उसके पिता खुमान सिंह थाना बहादुरपुर आये थे। **(ग)** जी हाँ। खुमान सिंह को उपचार हेतु जी.आर.एम.सी. अस्पताल ग्वालियर रेफर किया गया था जिसके केजुल्टी वार्ड के आउटडोर पेशेन्ट रजिस्टर में खुमान सिंह की प्रविष्टी दर्ज है जहाँ से जी.आर.एम.सी. के

मेडिकल आफिसर द्वारा पीड़ित खुमान सिंह को इलाज हेतु ट्रामा सेन्टर जे.ए.एच. में भर्ती हेतु लेख किया गया था, परन्तु पीड़ित खुमान सिंह के परिजन उन्हे ट्रामा सेन्टर जे.ए.एच. में न ले जाते हुये वापस घर ला रहे थे। रास्ते में सतनवाड़ा जिला शिवपुरी के पास पीड़ित खुमान सिंह की मृत्यु हो गई एवं मृतक खुमान सिंह के शव को परिजनों द्वारा सी.एच.सी. मुंगावली जिला अशोकनगर लाया गया जहाँ उनका शव परीक्षण कराया गया। **(घ)** जी हाँ, उक्त मरीज जिला चिकित्सालय अशोकनगर में यथासमय में चिकित्सक द्वारा संपूर्ण आवश्यक उपचार दिया गया।

सीधी जिले के पास हुई सड़क दुर्घटना
[ऊर्जा]

84. परि.अता.प्र.सं. 53 (क्र. 5390) श्री कुणाल चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी में दिनांक 16.02.2021 को जो दुर्घटना घटित हुई उस नहर का निर्माण किस वर्ष में किस ठेकेदार द्वारा किया गया? उस नहर के पास सड़क निर्माण किस ठेकेदार द्वारा किस विभाग की ओर से किया गया? अगर दोनों की एजेंसी विभाग है तो उसकी डीपीआर की प्रति देवें? नहीं तो नहर की डीपीआर की प्रति देवें? **(ख)** क्या नहरों के पास ठीक लगी हुई सड़क इण्डियन रोड कांग्रेस शासन के नियमों के अनुकूल है यदि नहीं, तो फिर यह सड़क क्यों बनाई गयी? पहले सड़क बनी की पहले नहर बनी? नियम के विपरीत सड़क बनी या नियम के विपरीत नहर बनी? **(ग)** प्रदेश में किस-किस बांध की प्रमुख नहरों के पास कितने-कितने किलोमीटर सड़क है? क्या इस संदर्भ में सुरक्षा के कदम उठाये जायेंगे? नहरों के पास 5 फिट ऊंची दीवाल बनाई जावेगी? यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या यह सही है कि बस नहर में गिरने के 1.20 मिनिट बाद पानी को रोका गया? यदि तत्काल पानी को रोक दिया जाता तो यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी? इसके लिये कौन दोषी हैं?

ऊर्जा मंत्री : [**(क)** बाणसागर जलाशय से निकलने वाली मुख्य (संयुक्त जल वाहिनी) नहर की कुल 36.57 कि.मी. है। इसका निर्माण प्रारंभिक वर्षों में वर्ष 1978 से 1993 तक (15 वर्ष) जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया परन्तु नहर के कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण इस नहर के खंड कि.मी. 22 से कि.मी. 36.57 के कार्य वर्ष के कार्य वर्ष 1985 तथा कि.मी. 0 से कि.मी. 22 तक के कार्य 1993 में तत्कालीन म.प्र. विद्युत मंडल को शासन द्वारा सौंपे गये। तदानुसार संयुक्त जल वाहिनी के शेष कार्य वर्ष 1993 से वर्ष 2000 के बीच (07 वर्ष) म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा पूरे किये गये। संयुक्त जल वाहिनी के निर्माण कार्य म.प्र. मण्डल के विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से कराये गये। इनमें से कि.मी. 10.76 से कि.मी. 12.71, मेसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, कि.मी. 12.71 से कि.मी. 15.61, मेसर्स एस.ई.डब्ल्यू, हैदराबाद तथा कि.मी. 15.61 से कि.मी. 19.00, मेसर्स पी.सी.पी.एल., नई दिल्ली के माध्यम से कराया गया। संयुक्त जल वाहिनी निर्माण के साथ नहर की देखरेख एवं रखरखाव हेतु दाएं तट पर निरीक्षण मार्ग का निर्माण भी तत्कालीन म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा उपर्युक्त ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया था। निरीक्षण मार्ग का निर्माण भी जन परिवहन हेतु नहीं किया गया था परन्तु जिला

प्रशासन, सीधी द्वारा संयुक्त जल वाहिनी के कि.मी. 12.40 से 19 कि.मी. (लम्बाई 6.60 कि.मी.) में म.प्र. ग्रामीण सड़क प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निरीक्षण मार्ग का उन्नयन करने हेतु वर्ष 2002 में अनुरोध किया गया था जिसे तत्कालीन म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विभिन्न शर्तों के साथ स्वीकार किया गया। शर्तों में मुख्यत: (i) सुरक्षा कारणों से सड़क पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। (ii) यह सड़क नहर के समांतर निर्मित है तथा नहर में 185 घन मीटर/सेकंड का प्रवाह रहता है। अत: भविष्य में घटित होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिये मध्यप्रदेश शासन जिम्मेदार होगा। (iii) निरीक्षण मार्ग एवं नहर के बीच कोई सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया गया है, अत: जन सुरक्षा हेतु सड़क निर्माण करने वाले विभाग को सुरक्षा दीवार का निर्माण करना होगा। हल्के वाहनों एवं जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश शासन की होगी। उक्त सड़क का निर्माण (उन्नयन) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स कैमोर इंजीनियरिंग, शांति निकेतन, सतना रोड, अमरपाटन, जिला-सतना द्वारा वर्ष 2014 में कराया गया था। नहर एवं सड़क निर्माण की एजेंसी क्रमश: जल संसाधन विभाग, तत्कालीन म.प्र. विद्युत मण्डल एवं म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सड़क की डी.पी.आर. उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। संयुक्त जल वाहिनी बाणसागर बहुउद्देश्यीय अंतर्राज्यीय परियोजना का एक अंश है जिसकी डी.पी.आर. तत्कालीन सिंचाई विभाग द्वारा बाणसागर परियोजना के नाम से बनाई गई थी। पृथकत: संयुक्त जल वाहिनी की डी.पी.आर. नहीं बनाई गई है। अत: नहर की डी.पी.आर. की कॉपी उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। तत्कालीन म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा हस्तांतरण उपरांत मात्र संयुक्त जल वाहिनी के शेष कार्य पूर्ण कराये गये थे। **(ख)** म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास निगम के अनुसार नहर के पास की सड़क इंडियन रोड कांग्रेस के नियमों के अनुकूल बनाई गई थी। उल्लेखनीय है कि उक्त सड़क का उन्नयन जन परिवहन हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किया गया था। पहले नहर का निर्माण वर्ष 2000 में किया गया था, जिसके साथ भारतीय मानकों अनुसार निरीक्षण पथ रखरखाव हेतु तत्कालीन म.प्र.विद्युत मण्डल द्वारा बनाया गया था, परन्तु शासन के अनुरोध पर वर्ष 2014 में जन परिवहन हेतु सड़क का उन्नयन ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किया गया था। सड़क एवं नहरों का निर्माण प्रचलित नियमानुसार किया गया है। **(ग)** रीवा जिले की बाणसागर बहुउद्देश्यीय अंतर्राज्यीय परियोजना के अन्तर्गत 36.57 कि.मी. लम्बी संयुक्त जल वाहिनी के किनारे रखरखाव हेतु निरीक्षण पथ का निर्माण कराया गया है जिसमें से मात्र 6.60 कि.मी. की उपरोक्त लम्बाई में नहर किनारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निर्माण म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सीधी द्वारा सूचित किया गया है कि सड़क के किनारे गार्ड स्टोन इंडियन रोड़ कांग्रेस के नियमानुसार लगाये गये हैं। 5 फीट ऊंची दीवाल बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा नहर के रखरखाव में ऐसी दीवाल का निर्माण बाधा उत्पन्न करेगा। **शेष प्रश्नांश की जानकारी संबंधित विभाग द्वारा एकत्रित की जा रही है। (घ)** बस के नहर में गिरने की सूचना प्रात: 8.09 बजे मिलने पर तत्काल प्रात: 8.10 बजे बाणसागर बांध

से नहर का जल प्रवाह बंद कर दिया गया था। 36.57 कि.मी. लम्बी संयुक्त जल वाहिनी एवं 6.00 कि.मी. लम्बी पॉवर चैनल में भरे हुये जल को खाली करने में समय लगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राहत कार्य अविलम्ब शुरू कर दिया गया था। नहर में पानी की गहराई कम होते ही दुर्घटना के कुछ घंटों के अंदर बस को गहरे पानी से बाहर निकाल लिया गया था। जल प्रवाह रोकने का कार्य न्यूनतम अवधि में संपादित हुआ है अत: जल प्रवाह रोके जाने में देरी का प्रश्न नहीं है।] **(ग)** रीवा जिले की बाणसागर बहुउद्देश्यीय अंतर्राज्यीय परियोजना के अन्तर्गत 36.57 कि.मी. लम्बी संयुक्त जल वाहिनी के किनारे रखरखाव हेतु निरीक्षण पथ का निर्माण कराया गया है जिसमें से मात्र 6.60 कि.मी. की उपरोक्त लम्बाई में नहर किनारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निर्माण म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सीधी द्वारा सूचित किया गया है कि सड़क के किनारे गार्ड स्टोन इंडियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार लगाये गये हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्मित बांधों एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत निर्मित बांधों की मुख्य नहरों के किनारे निर्मित सड़कों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमश: प्रपत्र-'अ' एवं प्रपत्र-'ब'** दर्शाई गई है। 5 फीट ऊंची दीवाल बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा नहर के रखरखाव में ऐसी दीवाल का निर्माण बाधा उत्पन्न करेगा।

एन्टी माफिया मुहिम की जानकारी
[गृह]

85. अता.प्र.सं.70 (क्र. 5466) श्री सुरेश राजे : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हाल ही में प्रदेश में चलाई गई एन्टी माफिया मुहिम के तहत ग्वालियर जिले में क्या कोई कार्यवाही की गई, यदि हॉ तो माफियाओं का तय करने का मापदंड क्या था? जिला ग्वालियर में उक्त कार्यवाही के तहत कितने माफियाओं को चिन्हित किया गया था? नामवार सूची उपलब्ध करायें। **(ख)** इस मुहिम के दौरान कुल कितने लोगों को नोटिस जारी किये गये, किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें। **(ग)** जो माफिया इस मुहिम से बच गये, उसका क्या कारण था? यदि ढ़ील या लापरवाही बरती गई है तो इस हेतु कौन अधिकारी दोषी हैa क्या उन पर कोई कार्यवाही होगी?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। संगठित अपराध एवं उससे जुड़े अपराधियों, अवैध कब्जाधारी, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, राशन की हेराफेरी व कालाबाजारी, अवैध रेत उत्खनन/परिवहन, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब व अन्य अपराधों में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अवैध व्यापार करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में की गई कार्यवाही **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में समाहित है। **(ग)** लगातार विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रतलाम स्थित इफ्का लेबोरेट्रीज मे दुर्घटनायें
[गृह]

86. परि.अता.प्र.सं. 68 (क्र. 5890) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम स्थित इफ्का लेबोरेट्रीज मे पिछले 07 सालो मे किस-किस प्रकार की दुर्घटनाओं पर कौन-कौन सा प्रकरण दर्ज किया गया प्रकरण क्रमांक, दिनांक, दुर्घटनाओं का स्वरूप, आरोपी का नाम, धाराये सहित सूची देवें? **(ख)** पिछले 07 सालो मे रतलाम स्थित इफ्का लेबोरेटीज मे हुई दुर्घटनाओ मे कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुये. सभी का नाम, पिता का नाम, उम्र, पद, स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों सहित सूची देवे? **(ग)** भारतीय पेनल कोर्ट के तहत किसी कंपनी मे दुर्घटना मे मृत्यु होने पर कौन जिम्मेदार है तथा किस पर प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिये तथा बताये कि इफका मे श्रमिकों की मृत्यु पर किस किस मालिक, अधिकारी पर किस-किस धारा मे किस-किस नियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया? **(घ)** क्या यह सही है कि इफ्का लेबोरेट्रीज मे अस्थायी दैनिक श्रमिक को ऐसी मशीनो पर कार्य कराया जाता है जहां जान-माल की खतरे की संभावना ज्यादा होती है यदि हां, तो बताये कि पिछले 07 सालों में कितने अस्थायी श्रमिक मृत तथा घायल हुये तथा उन्हे कितना-कितना मुआवजा दिया गया?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ)** यह कहना सही नहीं है कि इफ्का लेबोरेट्रीज लि0 में अस्थाई दैनिक श्रमिक को ऐसी मशीनों पर कार्य कराया जाता है जहां जान-माल के खतरे की संभावना ज्यादा होती है। पिछले 07 वर्षों में मृत एवं गंभीर रूप से घायल हुए अस्थायी श्रमिकों की संख्या निरंक है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

2017 में प्रदेश में हुए किसान आन्दोलन के दौरान किसानों पर प्रकरण दर्ज किया गया
[गृह]

87. ता.प्र.सं. 9 (क्र. 6172) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2017 में प्रदेश में हुए किसान आन्दोलन के दौरान किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों पर प्रकरण दर्ज किया गया। **(ख)** क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने खण्ड क में उल्लेखित प्रकरणो को वापस लिए जाने का आश्वासन दिया था तथा इस संदर्भ में कार्यवाही भी प्रचलन में थी यदि हाँ तो बताए कि प्रकरण वापस लेने की प्रक्रिया कि अद्यतन स्थिति क्या है। **(ग)** क्या शासन खण्ड क में उल्लेखित प्रकरणों को वापस लेने की प्रक्रिया को आरम्भ रखना चाहता है या इस प्रक्रिया को रोकना चाहता है? **(घ)** क्या यह सरकार खण्ड क में उल्लेखित सारे प्रकरणों को वापस लेगी यदि हाँ तो कब तक?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। जिलों से कुल 129 प्रकरण वापसी की अनुशंसा सहित प्राप्त

हुये थे जिनमें से 122 प्रकरणों में शासनादेश जारी किये जा चुके हैं, 19 प्रकरण न्यायालय से वापिस लिए जा चुक है। **(ग)** जी हॉ वर्तमान में प्रकिया प्रचलित है। **(घ)** जी नहीं। प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 24 मार्च, 2021

नगर भाण्डेर जिला दतिया में बक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध निर्माण
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

88. अता.प्र.सं.11 (क्र. 3406) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भाण्डेर में संजय पार्क के पास बक्फ बोर्ड की भूमि है? **(ख)** यदि हां, तो क्या उस पर संदीप यादव पुत्र स्व. श्री रघुराज यादव द्वारा अवैध कब्जा किया गया है तथा उस पर कामर्शियल दुकान बनाई गई है, जिनमें केनरा बैंक भी संचालित है? **(ग)** यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक अवैध कब्जा हटाने के संबंध में प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पैरामेडिकल कालेज की स्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]

89. अता.प्र.सं.19 (क्र. 3828) श्री लखन घनघोरिया : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश शासन एवं पैरामेडिकल काउंसिल ने पैरामेडिकल कालेज खोलने हेतु कब क्या नियम/कानून व शर्ते निर्धारित की है? छायाप्रति दें। **(ख)** जबलपुर संभाग के तहत कब से संचालित कौन-कौन से पैरामेडिकल कालेज कहां-कहां पर संचालित हैं। इनमें से कौन-कौन से कालेज म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर एवं पैरामेडिकल काउंसिल म.प्र. से मान्यता प्राप्त एवं सम्बद्ध हैं तथा कौन-कौन से मान्यता प्राप्त व सम्बद्धता प्राप्त नहीं है? संचालकों के नाम पता सहित सूची दें। **(ग)** प्रश्नांकित किन-किन अमान्यता व सम्बद्धता प्राप्त कालेज के संचालकों को मान्यता व सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु कब-कब नोटिस दिये गये। **(घ)** किन-किन कालेजों का किन-किन अधिकारियों ने कब-कब निरीक्षण किया है एवं कहां-कहां पर क्या-क्या अनियमितताएं/अव्यवस्था व स्वीकृत पद संरचना के तहत प्रशिक्षित शैक्षणिक स्टाफ नहीं पाया गया है किन-किन कालेज संचालकों के विरूद्ध कब-कब क्या-कया कार्यवाही की गई? वर्ष 2019-20 से 2020-21 की जानकारी दें। **(ड.)** प्रश्नांकित किन-किन कालेजों में कितने-कितने दर्ज छात्र/छात्राएं अध्ययनरत पाये गये। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के कितने-कितने छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं? किन-किन कालेजों में छात्रवृत्ति में कितनी-कितनी राशि का घोटाला करना पाया गया है। इसकी जांच शासन न कब किससे कराई है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार**। **(ख)** जबलपुर संभाग के अन्तर्गत MPMSU एवं Pera Medical Council से संबंद्ध है। संचालित संस्थाओं की सूची**में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट-4 एवं 5 अनुसार** है। **(ड.)** कॉलेजो में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की श्रेणीबार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार** है। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ड.)** वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक छात्रवृत्ति में किसी प्रकार की राशि का घोटाला नहीं पाये जाने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माझी जनजाति की जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने
[जनजातीय कार्य]

90. परि.अता.प्र.सं. 14 (क्र. 4241) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. में अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत माझी जाति भी अधिसूचित है? **(ख)** यदि हां, तो माझी जाति के लोग कौन-कौन से जिलों मे किस-किस उपजाति, जाति और उपनाम से जाने जाते है? **(ग)** क्या म.प्र. के पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक 12 में जो जातियां दर्शायी गई हैं वह माझी जाति से तालमेल रखती है? **(घ)** यदि हां, तो राज्य सरकार माझी जाति जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग दोनों में उल्लेखित होने से इनको जाति प्रमाण-पत्र बनाने में राज्य शासन के अधिकारी भ्रमित रहते हैं क्या उनको स्पष्ट निर्देश देने पर शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। **(ड.)** यदि हां, तो क्या माझी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 12 में दर्शित जातियों के समूह को पिछड़ा वर्ग की सूची में विलोपित किया जावेगा। यदि हां, तो कब तक और किस प्रक्रिया तथा किस संवैधानिक प्रावधान के तहत?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** जी हॉ। **(ख)** भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 29 पर माझी (MAJHI) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है। इस सूची में माझी के साथ इसकी कोई उपजाति, उपनाम का उल्लेख नहीं है। **(ग)** जी नहीं **(घ)** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ड.)** माझी जाति पिछडा वर्ग की सूची के क्रमांक 12 पर दर्शित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

एम.पी.स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन 2012 की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में
[पशुपालन एवं डेयरी]

91. परि.अता.प्र.सं. 34 (क्र. 5595) श्री सुनील उईके : क्या पशुपालन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या एम.पी.स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन 2012 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कोई कमेटी गठित की गई थी? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार गठित कमेटी या सक्षम अधिकारी द्वारा चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची जारी करने में रिक्त पदों के विरूद्ध उम्मीदवारों का अनुपात निर्धारित किया था? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** उक्त भर्ती प्रक्रिया

की प्रतीक्षा सूची दिनांक 15/10/2013 एवं 17/10/2013 के किन उम्मीदवारों द्वारा अपने बॉयोडाटा एम.पी.सी.डी.एफ. कार्यालय में जमा किये उनकी, पदवार सूची जमा करने की दिनांक सहित एवं क्या प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हां, तो आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ तकनीशियन पद अपिव के 01 पद हेतु मैरिट सूची जारी की गई थी तो,क्या उक्त पद की प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई थी? यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं एवं नियुक्ति के संबंध में विनोद कुमार ठाकरे के आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु पूर्व पशु पालन मंत्री के पत्र क्रं. 1863 दिनांक 27.09.2019 में की गई कार्यवाही एवं आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।

पशुपालन मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। एमपीसीडीएफ की स्वीकृति गठित समिति के आदेश क्रमांक 5144 दिनांक 22.11.2021 की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। एमपीसीडीएफ एवं व्यापम द्वारा कोई अनुपात सूचित नहीं किया गया। व्यापम द्वारा रिक्त पदों के समतुल्य उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची उपलब्ध कराई गयी थी तथा शेष उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। **(ग)** दिनांक 15.10.2013 एवं 17.10.2013 को जारी पदवार प्रतीक्षा सूची (जमा करने की दिनांक सहित) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो अनुसार** है। दिनांक 17.10.2013 को व्यापम भर्ती प्रक्रिया की वैधता समाप्ता होने के कारण आगामी कार्यवाही सम्पूर्ण निरस्त की गई तथा उक्त सूची में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति नहीं दी गई। **(घ)** जी हां। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के लिए कोई प्रतीक्षा सूची व्यापम से प्राप्त नहीं हुई। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है।

इंदौर एवं उज्जैन संभाग में छात्रावासो में अनियमितता
[अनुसूचित जाति कल्याण]

92. अता.प्र.सं.61 (क्र. 6024) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर एवं उज्जैन संभाग मे 1 जनवरी 15 के पश्चात कौन-कौन मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रावास में क्या-क्या अनियमिततायें किस-किस सक्षम अधिकारी के द्वारा रेग्युलर जांच के दौरान पाई? उस विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** उक्त छात्रावासों में उक्त अविधि मे कब-कब, किस-किस विद्यार्थी, अभिभावक एवं अन्य ने छात्रावासों की अनियमितता के खिलाफ शिकायत की? शिकायतकर्ता का नाम, दिनांक, छात्रावास का नाम, स्थल आदि की जानकारी देते हुये की गई कार्यवाही से अवगत करायें। **(ग)** उक्त संभाग में संचालित मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रावास की छात्र संख्या देते हुये इन छात्रावास पर खर्च की गई राशि एवं प्रदाय खाद्यान की जानकारी उक्त अवधि की देवें। **(घ)** उक्त संभाग में उक्त अवधि में ऐसे कितने छात्रावास अधीक्षक है जिनके उपर आर्थिक अनियमितता एवं अन्य अनियमितता के प्रकरण दर्ज होने के बावजूद वे अधीक्षक का पद संभाल रहे हैं? उनकी सूची उपलब्ध करायें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** इंदौर एवं उज्जैन संभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है।

शिक्षक वर्ग 01 की परीक्षा की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]

93. अता.प्र.सं.63 (क्र. 6059) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या व्यापम द्वारा शिक्षक वर्ग 01 हेतु 2018 में पात्रता परीक्षा ली गई थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या बायोलॉजी विषय में जिनका स्नातक में विषय प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र व रसासन शास्त्र था में स्नातकोत्तर में विषय बायो टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी था उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत अर्थात कांउसलिंग में Allied के नाम पर बाहर कर दिया गया? यदि हॉ तो क्यों? ऐसे छात्रों की व्यापम द्वारा परीक्षा लेकर उनके श्रम एवं आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाई है? यदि हां तो इसके लिये दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा शिक्षक वर्ग-1 नही, अपितु उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की परीक्षा माह फरवरी 2019 में आयोजित हुई थी। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्र एफ 01-119/2018/20-1 दिनांक 28.08.2018 द्वारा जारी नियोजन की प्रक्रिया के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान विषय के अध्यापन हेतु अभ्यर्थी को वनस्पति शास्त्र या प्राणी शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा, इस परिपत्र का उल्लेख पीईबी द्वारा पात्रता परीक्षा हेतु जारी नियम पुस्तिका की कण्डिका-7 (5) (ख) में है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी भूमियों के संबंध में लिए गए निर्णय
[वन]

94. परि.अता.प्र.सं. 78 (क्र. 6313) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विगत 6 माह में शासन द्वारा वनग्रामों, वनखंडों एवं वर्किंग प्लान में शामिल निजी भूमियों राजपत्र में डिनोटिफाईड भूमियों एवं नारंगी भूमियों के संबंध में निर्णय लिए गए जिनसे संबंधित आदेश/निर्देश प्रश्न-दिनांक तक भी जारी नहीं किए गए? **(ख)** किस-किस विषय में किस दिनांक को किनके द्वारा क्या निर्णय लिया गया, इनमें किस निर्णय से संबंधित आदेश/निर्देश जारी किए गए? प्रति सहित बताएं। यदि निर्णय से संबंधित आदेश निर्देश जारी नहीं किए गए तो कारण बताएं। कब तक आदेश/निर्देश जारी किए जाएंगे? समय-सीमा बताएं। **(ग)** क्या वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा 20 जुलाई 2009 को जारी परिपत्र के बाद भी राज्य के सभी वनमण्डल के वर्किंग प्लान में शामिल निजी भूमियों का ब्यौरा प्रश्न-दिनांक तक भी संकलित नहीं किया? **(घ)** यदि हां, तो

प्रश्न-दिनांक तक किस वनमण्डल के वर्किंग-प्लान में कितनी निजी भूमि शामिल होने की जानकारी वन मुख्यालय में उपलब्ध है? किस वनमण्डल के वर्किंग प्लान में निजी भूमि शामिल होने की जानकारी किन कारणों से प्रश्न-दिनांक तक भी संकलित नहीं की जा सकी? **(ड.)** निजी भूमियों को वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान से पृथक किये जाने के संबंध में शासन ने क्या निर्णय लिया? उस निर्णय पर किस दिनांक को पत्र जारी किये गये? पत्र की प्रति-सहित बतायें कि निजी भूमि कब तक वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान से पृथक कर दी जाएगी।

वन मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** विगत 6 माह में शासन स्तर पर वनग्रामों वनखण्डों एवं वर्किंग प्लान में शामिल निजी भूमियो, राजपत्र में डिनोटीफाईड भूमियों एवं नारंगी भूमियों के संदभ में कोई निर्णय नहीं लिये गये, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। 20 जुलाई 2009 को जारी परिपत्र से वन विभाग समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को समस्त वनमंडलों की प्रचलित कार्य-आयोजनाओं एवं भविष्य में पुनरीक्षित होने वाली कार्य-आयोजना में निर्धारित प्रपत्र में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में सम्मिलित निजी भूमि का विवरण **संकलित किया जा रहा है। (घ)** उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 01 जून 2015 से समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 04 जून 2015 से समस्त आयुक्त, म.प्र. को निजी स्वामित्व के भू-खंडों को वनखंड एवं वर्किंग प्लान से पृथक किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 तक की अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।] **(ग)** जी नहीं।

लंबित विकास कार्यों से संबंधित
[जनजातीय कार्य]

95. परि.अता.प्र.सं. 108 (क्र. 6456) श्री संजय यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजनांतर्गत बरगी विधान सभा की जनपद पंचायत शहपुरा के ग्राम कुटरी, ग्राम सिमरिया एवं ग्राम कालापाठा में सामुदायिक भवन स्वीकृत हुए है। प्रश्न दिनांक तक कौन से भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है? कौन से का निर्माण कार्य प्रगतिरत है एवं कितनो का अभी निर्माण प्रारंभ नहीं किया? अब तक निर्माण लंबित क्यों रखे गये? इसका दोषी कौन हैं? **(ख)** क्या अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजनांतर्गत बरगी विधानसभा क्षेत्र की विकासखण्ड शहपुरा के ग्राम चिरापौड़ी एवं ग्राम नीची में वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुए थे? यदि हां, तो आज दिनांक तक निर्माण कार्य प्रारंभ क्यों नहीं कराया गया? **(ग)** विधान सभा प्रश्न 784, दिनांक 21/12/2020 के उत्तर में विभाग द्वारा बताया की अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजनांतर्गत बरगी विधानसभा की विकासखण्ड शहपुरा एवं विकासखण्ड जबलपुर के अनेक प्रस्तावों में लंबित रहने के कारण विभाग को प्रेषित किया गया, तो विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की एवं आवंटन कब तक

जारी होगा और प्राक्कलन एवं जनसंख्या की जानकारी अप्राप्त थी तो कब तक प्राप्त होगी, पंचायत सचिव एवं सी.ई.ओ. जिला पंचायत जानकारी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश में स्पष्ट है कि संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं सी.ई.ओ. जनपद पंचायत जबलपुर एवं सी.ई.ओ. जनपद पंचायत शहपुरा द्वारा लापरवाही किये जाने पर क्या विभाग द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या कभी सी.ई.ओ. जनपद पंचायत जबलपुर एवं सी.ई.ओ. जनपद पंचायत शहपुरा द्वारा समस्त प्रस्तावों के संबंधित स्थल निरीक्षण किया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** ''जी-हॉ''। प्रश्नांश में उल्लेखित निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। प्रश्नांश मे उल्लेखित निर्माण कार्य प्रगतिरत है, अप्रारम्भ की जानकारी निरंक है। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजनान्तगर्त बरगी विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड शहपुरा के ग्राम चिरापौड़ी एवं नीची में वर्ष 2017-18 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ। दोनो निर्माण कार्य निर्माणधीन है। **(ग)** प्रश्नांश ''ग'' के सम्बन्ध में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 784 दिनांक 21-12-2020 के उत्तर में दर्शित लम्बित विभाग को प्रेषित प्रस्ताव में आवंटन की सीमा अनुसार विकास खण्ड शहपुरा के 02 कार्यों के लिये राशि रूपये 29.94 लाख आवंटित की गई। मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास तथा विधुतीकरण नियम 2018 अनुसार प्राप्त प्रस्ताव पर नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है, प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश ''घ'' के संबंध में प्रश्नांश ''ग'' के उत्तरांश अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में सरकारी स्कूलों को वितरित सामग्री की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]

96. परि.अता.प्र.सं. 123 (क्र. 6529) श्री जितू पटवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क गणवेश, सायकल तथा पुस्तकें किस-किस वर्ष से किस कक्षा में वितरित की जा रही हैं तथा नि:शुल्क वितरण का कारण क्या यह था कि शासकीय विद्यालयों में नामांकनांक बढ़ें, बच्चे ज्यादा से ज्यादा विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करें। **(ख)** यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हां तो बतावे कि इन्दौर संभाग अन्तर्गत वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 तक प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 12 में शासकीय विद्यालयों में कितने नामांकनांक बढ़े तथा यह वृद्धि कितने प्रतिशत रही? वर्षवार, कक्षा अनुसार बतावें। **(ग)** इन्दौर संभाग अन्तर्गत जिलेवार नि:शुल्क सायकल, गणवेश तथा पुस्तकों पर वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक (जैसे वर्ष लागू हो, उस अनुसार) कितनी-कितनी राशि खर्च हुई तथा प्रतिवर्ष कितनी-कितनी वृद्धि हुई तथा यह वृद्धि कितने प्रतिशत रही?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क साइकिल वितरण योजना वर्ष 2004-05 से एवं कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण योजना वर्ष 2008-09

से संचालित है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**-1 पर है। जी हां। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**-2 पर है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**-3 पर है।

दिनांक 25 मार्च, 2021

विभागीय जाँच के संबंध में जानकारी
[लोक निर्माण]

97. परि.अता.प्र.सं. 7 (क्र. 1587) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर संभाग में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूध्द विभागीय जाँच चल रही है? पदनाम, पदस्थ संस्था विभागीय जाँच संस्थित करने के आदेशों का क्रमांक/दिनांक की जानकारी देवें। **(ख)** विभागीय जाँच कितने समयावधि में पूर्ण किए जाने के प्रावधान है शासनादेश की प्रति देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में निर्धारित समयावधि में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले जाँचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं पदस्थ संस्था की जानकारी देवें एवं विभाग जाँचकर्ताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है?

लोक निर्माण मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** लोक निर्माण विभाग में इंदौर संभाग में कुल 29 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जनपद पंचायत सरदारपुर जिला धार में हुए भारी भ्रष्टाचार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

98. अता.प्र.सं.65 (क्र. 6310) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सरदारपुर को शिकायतकर्ता दैनिक प्रदेश सत्ता संदीप शर्मा धार दिनांक 24.07.2019 एवं मोहन मुकाती अमझेरा दि.01.03.2019 की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, की गई तो क्यों? **(ख)** शिकायत पत्र के आधार पर सप्लायर फर्जी टीन नम्बर से सामान दे रहे है यदि हाँ तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पत्र के आधार पर विभाग द्वारा एक वर्ष की अवधि मे खरीदी बिलो के टीन नम्बर की जांच की गई तथा जांच मे क्या पाया गया प्रति देवे। **(घ)** फर्जी टीन नम्बर से सामग्री सप्लाई करने तथा टेक्स चोरी करने पर कानून में किस प्रकार की सजा का प्रावधान है उसकी प्रति देवें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क)** जिला पंचायत धार ने अपने पत्र क्रमांक 1033 दिनांक 21.06.2021 से अवगत कराया है कि मुख्य कार्यपालन

अधिकारी जनपद पंचायत सरदारपुर के प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच में पाया गया कि श्री कमल यादव, निवासी अमझेरा की फर्म अनुष्का बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार कर रहे थे, जिसका टिन नं0 23151704755 था, जिसे सत्यापन हेतु वाणिज्य कर अधिकारी धार को लिखा जाकर आगामी कार्यवाही उनके द्वारा पृथक से की जा रही है। पंजीयन सत्यापन का अधिकार जनपद स्तर पर नहीं होता। **(ख)** वाणिज्य कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 1338/1118/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक 30.07.2021 से अवगत कराया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सरदारपुर द्वारा पत्र क्रमांक 2848/मनरेगा/2021 सरदारपुर दिनांक 25.02.2021 के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सामग्री सप्लाय करने वाले 70 वेण्डर्स की सूची वाणिज्यकर अधिकारी, धार को उपलब्ध कराई गई थी। सूची में उल्लेखित जीएसटिन का सत्यापन जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल से किया गया। सूची में उल्लेखित उक्त वेण्डर्स/सप्लायर्स में से 8 वेण्डर्स/सप्लायर्स के जीएसटी पंजीयन निरस्त किये गये हैं। एक सप्लायर का जीएसटी पंजीयन सस्पेंड किया गया है एवं एक सप्लयार का उल्लेखित जीएसटिन जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं पाया गया, शेष 60 वेण्डर्स/सप्लायर के जीएसटी पंजीयन जीएसटीएन पोर्टल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक्टिव पाये गये हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सरदारपुर द्वारा पुन: पत्र क्रमांक 14154/2021 सरदारपुर दिनांक 27.03.2021 से एक पंचायत वेण्डर/सप्लायर टिन 23151704755 तथा जीएसटीएन 23BDGPD4109KIZW सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया था। करदाता जीएसटी के पूर्व पंजीयत रहे हैं, उन्हे जीएसटी के तहत उपरोक्त प्रोव्हीजनल आईडी जारी हुआ था, किंतु जीएसटी के तहत निर्धारित करदायी सीमा से व्यवसाई का टर्नओवर कम होने से जीएसटी में पूर्ण माईग्रेशन नहीं कराया गया। **(ग)** उत्तरांश "ख" अनुसार। **(घ)** फर्जी नम्बर से व्यवसाय करने तथा टैक्स चोरी करने पर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 में शास्ति आरोपण तथा धारा 132 में अभियोजन के प्रावधान है। प्रावधान की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है।

संबल योजना, राष्ट्रीय परिवार योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

99. अता.प्र.सं.103 (क्र. 6481) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खाचरौद-नागदा क्षेत्र में खाचरोद जनपद में 01. जनवरी 2018 से 26 फरवरी 2021 तक संबल योजना (मुख्यमंत्री सवेरा योजना) में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने का निराकरण हो गया है? कितने अपात्र कर दिए हैं अपात्र का आधार क्या है? कितने शेष है? शेष का क्या कारण है? **(ख)** 1 जनवरी 2018 से 26 फरवरी 2021 राष्ट्रीय परिवार सहायता के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों में से कितने पात्र कितने अपात्र कर दिए गए है? कितने निराकृत और कितने शेष है? शेष का क्या कारण है। **(ग)** संबल व राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र शेष रहे हितग्रहियों को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? समयावधि सहित संपूर्ण विवरण दें। **(घ)** संबल योजना में सत्यापन के पश्चात् अनुग्रह राशि के लंबित प्रकरणों और जो छूटे हुए प्रकरण है उनको कब तक राशि का भुगतान किया जाएगा?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही** है।] **(क)** खाचरौद-नागदा विधान सभा क्षेत्र में जनपद खाचरौद में 01 जनवरी 2018 से 26 फरवरी 2021 तक संबल योजना (मुख्यमंत्री सवेरा योजना) में कुल 437 आवेदन प्राप्त हुये, जांच उपरांत 389 प्रकरण पात्र पाये गये एवं 48 प्रकरण जिसमें मृतक श्रमिक 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि, उम्र 60 वर्ष से अधिक, भौतिक सत्यापन में अपात्र पाये जाने से अपात्र एवं शेष प्रकरण निरंक। **(ख)** खाचरौद-नागदा विधान सभा क्षेत्र में जनपद खाचरौद में 01 जनवरी 2018 से 26 फरवरी 2021 राष्ट्रीय परिवार सहायता के कुल आवेदन प्राप्त 145 जांच उपरांत 114 आवेदन पात्र एवं 31 प्रकरण मृतक की उम्र 60 वर्ष से अधिक, बीपीएल परिवार का सदस्य नहीं होने से अपात्र एवं शेष प्रकरण निरंक। **(ग)** संबल योजनान्तर्गत समस्त पात्र प्रकरण का भुगतान ईपीओ के माध्यम से श्रम पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया है। भुगतान शासन स्तर पर किया जाना है एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र प्रकरणों का भुगतान कर दिया गया। शेष लंबित प्रकरण निरंक। **(घ)** समय-सीमा बताना संभव नहीं।

दिनांक 26 मार्च, 2021

अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त की कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

100. अता.प्र.सं.17 (क्र. 5024) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत पदस्थ 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के कितने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त विशेष स्थापना पुलिस एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध हुए एवं कितनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? कितनी शिकायतों की जांच चल रही है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दोनों एजेंसियों में पंजीबद्ध प्रकरणों में कितने मामलों में अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है? कितने प्रकरणों में स्वीकृति दी जा चुकी है एवं कितने प्रकरणों में स्वीकृति विचाराधीन है? कब तक स्वीकृति दी जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में दोनों एजेंसियों में जांच उपरांत कितने प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये हैं?

मुख्यमंत्री : [**(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में दोनों एजेंसियों में पंजीबद्ध प्रकरणों में किसी भी मामलों में अभियोजन की स्वीकृति नहीं मांगी है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता **(ग)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के संदर्भ में दोनों एजेंसियों में शिकायत/अपराध प्रकरण वर्तमान में सत्यापनाधीन/विवेचनाधीन होने से कोई भी प्रकरण नस्तीबद्ध नहीं किये गये है।

जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]

101. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 5135) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माह अप्रैल, 20 से फरवरी 21 तक अवैध एवं जहरीली शराब के कितने प्रदेश के जिलों में बनाए गए? जिलावार, दिनांकवार जानकारी उपलब्ध करावें. इस संदर्भ में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में अवैध व जहरीली शराब के सेवन से मरने एवं पीड़ित हुए लोगों की संख्या बतावें. विभाग के पास ऐसी कोई विजलेंस टीम नहीं है, जो अवैध शराब के अड्डों की सूचना प्राप्त कर सके यदि नहीं, तो इस संदर्भ में विभाग तथा पुलिस के बीच कोई सूचना आदान प्रदान करने का कोई सूचना तंत्र या कैलेण्डर है या नहीं। **(ग)** क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध तथा जहरीली शराब का कारोबार प्रदेश में फल फूल रहा है तथा दिखावा मात्र को प्रकरण बनाकर विभाग अपने आंकड़ों की खानापूर्ति कर रहा है? **(घ)** वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक अवैध/जहरीली शराब के प्रकरण, मौतें तथा पीड़ित घायलों की संख्या बतावें तथा इसी अवधि में शराब के विक्रय से शासन को हुई शुद्ध आय (प्राप्त राजस्व ऋण खर्च) बतावें तथा आसवानियों ठेकेदारों पर कुल बकाया बतावें।

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** इस अवधि में जिला इन्दौर, मुरैना, रतलाम, उज्जैन, नीमच एवं बडवानी जिलों में जहरीले द्रव्य के प्रकरण प्रकाश में आये है। माह अप्रैल, **2020** से फरवरी 2021 तक अवैध शराब के बनाये गये प्रकरणों की जिलावार संख्या विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियमानुसार की गई कार्यवाही का विवरण विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में अवैध/जहरीले द्रव्य के सेवन से मरने एवं पीडित हुए लोगों की संख्या का विवरण विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। जिलों में पदस्थ आबकारी स्टाफ का दायित्व होता है, कि अवैध शराब के अडडो की सूचना प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करें। आवश्यकता अनुसार आबकारी एवं पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक अवैध/जहरीली शराब के जिलावार प्रकरण, मौते तथा पीडित घायलों की संख्या की जानकारी विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। इसी अवधि में शराब के विक्रय से शासन को प्राप्त शुद्ध आय (प्राप्त राजस्व ऋण खर्च) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है तथा आसवानियों ठेकेदारों पर कुल बकाया की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार** है।

आयुष्मान भारत योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

102. अता.प्र.सं.53 (क्र. 6573) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले में आयुष्मान योजना के अंतर्गत

कौन-कौन से हॉस्पिटल किन-किन बीमारियों के लिये चिन्हित किये गये हैं सूची उपलब्ध कराएं। जिले में योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हॉस्पिटल में कितने मरीजों के आयुष्मान भारत योजना में ईलाज हुआ तथा कितनी राशि व्यय हुई? **(ख)** ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने बच्चे जिनकी उम्र 2 माह से 10 वर्ष की है, मृत्यु हुई है? मृतक बच्चों के नाम, पिता का नाम, उम्र, पता सहित जानकारी दें। क्या मृतक बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई है? यदि हाँ तो क्या उनके स्वास्थ्य परिक्षण कब-कब कराये गये तथा स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं हो सका? मृतक बच्चों में कुपोषण के अलावा क्या अन्य बीमारी रही, यदि हाँ तो बीमारियो का नाम बतावे? तथा उनका इलाज किन-किन चिकित्सकों द्वारा किया गया, क्या चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ थे? यदि हाँ? तो उनके नाम तथा पदस्थापना हॉस्पिटल का नाम, पता बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

आयुक्त आबकारी को गलत जानकारी देने वाले डी.ई.ओ. को निलंबित किया जाना
[वाणिज्यिक कर]

103. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 6651) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कार्यालय उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता संभाग इंदौर ने पत्र क्रमांक आब/वि.स./2021/892 इंदौर दिनांक 25.02.2021 से आबकारी आयुक्त ग्वालियर को पत्र लिखकर प्रश्नकर्ता के प्रश्न की एक पूरक जानकारी के **(क)** भाग में स्पष्ट लिखा है कि चालान क्रमांक 00398162 परिवहन पास क्रमांक 05 का रूपये एक लाख रात्रि 23:59:41 बजे जमा किया गया? इसी में उल्लेख है कि टी.पी. पहले बनाई गई व चालान बाद में जमा किया गया? **(ख)** जिला अलीराजपुर ने पत्र क्रमांक आब/वि.स./2020-21/995 अलीराजपुर दिनांक 26.02.2021 में आयुक्त आबकारी ग्वालियर को जो जानकारी इस पत्र में भेजी उसमें चालान जमा करने का समय का उल्लेख है? क्या उल्लेख है कि टी.पी. (परिवहन पास) क्रमांक 05 पहले जारी हुआ? क्या इसमें उल्लेख है कि चालान क्रमांक 00398162 रात्रि 23:59:41 को जमा हुआ? अगर नहीं तो क्या कार्यवाही राज्य शासन कलेक्टर अलीराजपुर के विरूद्ध करेगा? **(ग)** क्या परिवहन पास क्रमांक 05 के पीछे जारी करने का समय 8:30 पी.एम. रात्रि का लिखा है? क्या तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर ने जो जॉच प्रतिवेदन 20.03.2020 को उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता को भेजा उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है? उक्त जांच प्रतिवेदन का विवरण उपलब्ध करायें। **(घ)** क्या यह सत्य है कि एक प्रश्न की दो अलग जानकारियॉ कलेक्टर अलीराजपुर एवं उपायुक्त आबकारी इंदौर द्वारा आयुक्त आबकारी ग्वालियर को प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित भेजी? राज्य शासन आयुक्त आबकारी ग्वालियर को गुमराह करने वाली जानकारी भेजे जाने पर जिला आबकारी अलीराजपुर विनय रंगशाही को कब तक निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करेगा?

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** कलेक्टर जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/आब/वि.स./2020-21/295 दिनांक 26.02.2021 में चालान जमा करने के समय तथा टी.पी. (परिवहन पास) क्रमांक 05 पहले जारी हुआ तथा चालान क्रमांक 00398162 रात्रि 23:59:41 को जमा हुआ आदि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। कलेक्टर जिला अलीराजपुर एवं आबकारी आयुक्त के बीच यह एक आंतरिक पत्राचार है। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/आब./शिका/2020/375 दिनांक 21.03.2020 के संलग्न सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.03.2020 में लेख किया गया है कि ''प्रयुक्त परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 10.01.2020 भी प्रस्तुत किया गया जिसे एवं उसमें प्रयुक्त चालान क्रमांक 00398162 दिनांक 10.01.2020 परिवहन शुल्क रूपये 1,00,000/- का सुक्ष्मता से परिशीलन किया गया जिसमें पाया कि टी.पी. क्रमांक 05 दिनांक 10.01.2020 को जिला कार्यालय से जारी किया गया था उक्त टी.पी. विदेशी मदिरा दुकान जोबट से विदेशी मदिरा दुकान चांदपुर हेतु 1400 पेटी स्प्रिट 9450 प्रू.ली. जारी की गई थी जिसके पृष्ठ भाग पर स्थान विदेशी मदिरा दुकान जोबट जारी करने की तारीख 10.01.2020 एवं जारी करने का समय 08:30 पी.एम. को विदेशी मदिरा दुकान चांदपुर हेतु रवाना किया।'' **(घ)** कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रतिवेदन क्रमांक/आब/वि.स./2020-21/295 दिनांक 26.02.2021 द्वारा उनके प्रतिवेदन उल्लेखित अनुसार सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/आब./शिका./2020/क्यू अलीराजपुर दिनांक 20.03.2020 के संबंध में आबकारी विभाग जिला अलीराजपुर में उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन करने पर उक्त पत्र की मूल प्रति, नहीं पायी गई एतद् संबंध में जिला अलीराजपुर मे पदस्थ 02 सहायक जिला आबकारी अधिकारी को उनके पत्र/आब./वि.स./2020-21/245, 246 दिनांक 19.02.2021 जारी कर उत्तर तत्काल प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था जिसके अनुक्रम में श्री महादेव सोलंकी सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.2021 को अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र क्रमांक/आब./शिका./2020/क्यू अलीराजपुर दिनांक 20.03.2020, तात्कालीन प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिह भदौरिया को कार्यालय अलीराजपुर में प्रस्तुत करने एवं गोपनीयता के कारण उक्त जॉच प्रतिवेदन की कोई भी छायाप्रति अपने पास उपलब्ध नहीं होना बताया तथा वर्तमान में संबंधित शाखा में उक्त के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं होने का लेख किया गया हैं। उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता इंदौर के प्रतिवेदन उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, इंदौर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक/आब/वि.स./2021/892 इंदौर दिनांक 25.02.2021 में लेख किया गया कि ''इस कार्यालय से प्रेषित पत्र क्रमांक 1332/31.03.2020 से तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के जांच प्रतिवेदन क्रमांक/आब./शिका/2020/375 दिनांक 21.03.2020 एवं संलग्न सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/आब./शिका/ 2020/क्यू. अलीराजपुर दिनांक 20.03.2020 को आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित किया गया था जिसमें तत्कालीन प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक

20.03.2020 में यह उल्लेख किया है कि ''परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 10.01.2020 भी प्रस्तुत किया गया जिसे एवं उसमें प्रयुक्त चालान क्रमांक 00398162 दिनांक 10.01.2020 परिवहन शुल्क रूपये 1,00,000/- का सुक्ष्मता से परिशीलन किया गया। जिसमें पाया कि टी.पी. क्रमांक 05 दिनांक 10.01.2020 को जिला कार्यालय से जारी किया गया था उक्त टी.पी. विदेशी मदिरा दुकान जोबट से विदेशी मदिरा दुकान चांदपुर हेतु 1400 पेटी स्प्रिट 9450 प्रू.ली. जारी की गई थी। जिसके पृष्ठ भाग पर स्थान विदेशी मदिरा दुकान जोबट जारी करने की तारीख 10.01.2020 एवं जारी करने का समय 08:30 पी.एम. को विदेशी मदिरा दुकान चांदपुर हेतु रवाना किया। ''उक्त चालान क्रमांक 00398162 दिनांक 10.01.2020 जयविंदर सिंह भाटिया विदेशी मदिरा जोबट के द्वारा राशि 100,000/- रूपये का दिनांक 10.01.2020 को 23:59:41 को अर्थात (रात्रि 11:59:41) बजे ऑनलाईन जमा किया गया था।'' अतः अभिलेखो से स्पष्ट है कि टी.पी. क्रमांक 05 दिनांक 10.01.2020 बनाई गई है एवं चालान बाद में जमा किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला अलीराजपुर द्वारा जिला कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जानकारी प्रेषित की गई तथा प्रकरण के जांचकर्ता अधिकारी उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता, इंदौर द्वारा उनके पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जानकारी प्रेषित की गई थी, जिसके कारण जानकारी में भिन्नता प्रतीत हो रही है।

शासकीय दस्तावेजों को गायब किया जाना
[वाणिज्यिक कर]

104. परि.अता.प्र.सं. 89 (क्र. 6652) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 10.01.2020 एवं 11.01.2020 को अलीराजपुर जिले में जिला आबकारी अधिकारी कौन था? वाहन क्रमांक एमएच-18बीए-0498 का परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 किसके कार्यालय से जारी किया गया? जारी करने वाले कार्यालय का नाम एवं पदनाम दें? क्या उक्त परिवहन पास जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय अलीराजपुर में उपलब्ध नहीं हैं? क्या उक्त परिवहन पास जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर ने पत्र क्र./आब./वि.स./2021-21/249 अलीराजपुर दिनांक 22.02.2021 से उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग को लिखित में भेजी है? क्या परिवहन पास क्र.5 दिनांक 11.01.2020 की एक प्रति उपायुक्त कार्यालय में मौजूद है? उसकी एक प्रति दें। **(ख)** क्या विनय रंगशाही द्वारा 16.01.2020 के आबकारी आयुक्त के स्थानांतरण/संलग्न आदेश के बाद 11.01.2020 से 16.01.2020 के मध्य उक्त परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 को शासकीय दस्तावेजों से गायब किया गया? अगर नहीं तो विनय रंगशाही के कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक जिसका उल्लेख प्रश्नांश (क) में है जिसका दिनांक 22.02.2021 है में कैसे लिखा है कि परिवहन पास क्रमांक 05 का अभिलेख उपलब्ध नहीं है? कलेक्टर अलीराजपुर, उपायुक्त आबकारी उड़नदस्ता इंदौर के द्वारा प्रश्नतिथि तथा राज्य शासन/आयुक्त आबकारी ग्वालियर को लिखे एवं भेजे गये सभी पत्रों की एक प्रति दें। राज्य शासन विनय रंगशाही के विरूद्ध शासकीय दस्तावेज गायब करने के आरोप में संबंधित थाना क्षेत्र में कब तक आपराधिक

प्रकरण दर्ज करवायेगा? **(ग)** क्या जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर का पत्र क्रमांक/आब/शिका/2020/375 अलीराजपुर दिनांक 21.03.2020 से उपायुक्त द्वारा आयुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर के पत्र पर उपायुक्त द्वारा आयुक्त आबकारी विभाग को क्या पत्र/रिपोर्ट भेजी? उपायुक्त एवं डी ई ओ अलीराजपुर के पत्र दिनांक 21.03.2020 की एक-एक प्रति दें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ग) एवं (घ) में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आयुक्त आबकारी/प्रमुख सचिव वाणिज्य कर के द्वारा कब व क्या कार्यवाही विनय रंगशाही के विरूद्ध की गई? जारी आदेशों की एक प्रति दें। अगर नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(घ)** की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** उल्लेखित दिनांक 10.01.2020 एवं 11.01.2020 को अलीराजपुर में श्री विनय रंगशाही जिला आबकारी अधिकारी के तौर पर पदस्थ थे। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/आब/शिका**/2020/375** दिनांक **21.03.2020** के अनुसार वाहन क्रमांक एम.एच.-**18** बीए-**0498** का परिवहन पास क्रमांक **05** दिनांक **1.01.2020** कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर से जारी किया गया है। उक्त परिवहन पास के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी**,** जिला अलीराजपुर ने पत्र क्रमाक/आब/वि.स**/2020-21/249,** अलीराजपुर दिनांक 22.02.2021 में प्रश्न ''क'' के उत्तर में क (**iii**) में लेख किया है कि ''जिला अलीराजपुर कार्यालय में उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेख के अवलोकन करने पर प्रश्नांश में उल्लेखित वाहन **MH 18 BA 0498** एवं परिवहन पास क्रमांक **05** दिनांक **11.01.2020** के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से जानकारी निरंक है। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता के पत्र क्रमांक/आब/सहा.अधी**/2021/1512** दिनांक **26.07.2021** में वर्णित अनुसार तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर द्वारा परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 की छायाप्रति उनके प्रतिवेदन के सह संलग्न उपायुक्त आबकारी**,** संभागीय उड़नदस्ता**,** इंदौर के कार्यालय में प्रेषित की गई थी। परमिट की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख)** कलेक्टर (आबकारी) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक आब./शिका./2021-22/866/दिनांक 21.09.2021 के अनुक्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक 2 (ब)/वि.जां**./16-2021/1258** दिनांक 22.10.2021 द्वारा श्री विनय रंगशाही तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर को परिवहन परमिट क्रमांक 05 दिनांक 10.01.2020 से संबंधित अभिलेख स्वयं के हित के लिए गायब कराये जाने के संबंध में आरोप पत्र जारी किया जाकर इसे आबकारी आयुक्त द्वारा संस्थित विभागीय जांच दिनांक 02.08.2021 में सम्मिलित किया गया है। जिसकी छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(ग)** उपायुक्त आबकारी**,** संभागीय उड़नदस्ता**,** इंदौर के पत्र क्रमांक/आब/शिका**/2020/1332,** इंदौर दिनांक **31.03.2020** द्वारा जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर का पत्र क्रमांक/आब/शिका**/2020/375** अलीराजपुर दिनांक 21.03.2020 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति आबकारी आयुक्त**,** मध्यप्रदेश को प्रेषित किया गया है। जिसकी छायाप्रति विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश ''घ'' के संबंध में आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक**/2** (ब)/वि.जा.**/22**-एस.सी.एन-**2021/374** दिनांक **24.03.2021** से श्री विनय

रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी, जिला अलीराजपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसकी छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है। आबकारी आयुक्त द्वारा श्री विनय रंगशाही के विरूद्ध विभागीय जांच दिनांक 02.08.2021 को संस्थित की गई है, जिसकी छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार** है।

दोषी पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

105. अता.प्र.सं.81 (क्र. 6653) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दि.31.03.2020 को आबकारी आयुक्त ग्वालियर को पत्र क्र./आब./शिका./2020/1332 से उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता के द्वारा पत्र भेजा था? प्रश्नतिथि तक विनय रंगशाही जिसके कार्यालय से परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 जारी हुआ एवं कार्यालय के अभिलेखों से विनय रंगशाही द्वारा गायब कर दिया गया के विरूद्ध प्रमुख सचिव वाणिज्यकर/आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा कब व क्या कार्यवाही की है? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें। **(ख)** क्या क्र./आब./वि.स./2020-21/249 अलीराज दिनांक 22.02.2021 से जो पत्र उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग, इंदौर को लिखा उसमें (क) (1) से (3) में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के पत्र क्र./आब./शिका./2020/क्यू. अलीराजपुर दिनांक 20.03.2020 के संबंध में आबकारी विभाग जिला अलीराजपुर में उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन करने पर पत्र की मूल प्रति व कोई भी छायाप्रति परिवहन पास क्र. 5 की भी उपलब्ध न होने से प्रश्नांश की जानकारी निरंक होने का लेख किया है? **(ग)** क्या उक्त पत्र के बाद तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी ने दि.21.03.2020 को उपायुक्त को पत्र लिखा? पत्रों की एक प्रति दें? परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 एवं सहा. आब. अधिकारी के पत्रों की एक प्रति उपलब्ध करायें? **(घ)** शासन द्वारा परिवहन पास क्र. 5 को जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय से गायब करवाने पर विनय रंगशाही पर कब तक संबंधित थाना क्षेत्र में आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु पत्र जारी करेगा? अगर नहीं तो क्यों? कब तक उक्त अधिकारी को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की जायेगी?

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक/आब./शिका./2020/1332 इन्दौर दिनांक 31.03.2020 के परिप्रेक्ष्य में आबकारी आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक/2/अ/शिका./86/2020/1281 दिनांक 24.11.2020 से शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में अपना पक्ष तथ्यात्मक जानकारी सहित प्रेषित किये जाने हेतु श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर को लिखा गया था। जानकारी प्रस्तुत न किये जाने पर पुन: पत्र क्रमांक/2/अ/शिका./86/2020/167 दिनांक 08.02.2021 से स्मरण कराया गया है। किन्तु श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई जानकारी/समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तदउपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2 (ब)/वि.जां./22-एस.सी.एन.-2021/374 दिनांक 24.03.2021 से श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र/आदेश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -एक अनुसार** है। **(ख)** उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के पत्र क्रमांक/आब/वि.स./2021/1072 दिनांक 30.03.2021 जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर ने पत्र क्रमांक/आब/वि.स./2020-21/249 अलीराजपुर दिनांक 22.02.2021 में प्रश्न "क" के उत्तर में क (i) से (iii) में लेख किया है कि (i) प्रश्नांश में उल्लेखित सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/आब/शिका/2020/क्यू. अलीराजपुर दिनांक 2**0.03.2020** के संबंध में आबकारी विभाग जिला अलीराजपुर में उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन करने पर उक्त पत्र की मूल प्रति कार्यालय प्रति व कोई भी छायाप्रति उपलब्ध नहीं होने से प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ii) प्रश्नांश में उल्लेखित अपराध क्रमांक 410/11.01.2020 में आबकारी वृत्त जोबट में एक आयशर वाहन क्रमांक MP 46H0388 को 900 पेटी बीयर मात्रा 7020 बल्क लीटर बीयर मदिरा के अवैध परिवहन के कारण जप्त किया गया। (iii) जिला अलीराजपुर कार्यालय में उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेख के अवलोकन करने पर प्रश्नांश में उल्लेखित वाहन MH 18BA 0498 एवं परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से जानकारी निरंक है। **(ग)** उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के पत्र क्रमांक/आब/वि.स./2021/1072 दिनांक 30.03.2021 के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर द्वारा पत्र क्रमांक/आब/शिका/2020/375 दिनांक 21.03.2020 द्वारा उपायुक्त आबकारी संभागीय उडन्दस्ता इन्दौर को पत्र प्रेषित किया गया था जिसे उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता इन्दौर द्वारा मूलत: पत्र क्रमांक/आब/शिका/2020/1332 दिनांक 31.03.2020 से आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया गया था, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो अनुसार** है। **(घ)** उपरोक्त प्रकरण में आबकारी आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक/2 (ब)/वि.जा./22-एस.सी.एन-2021/374 दिनांक 24.03.2021 से श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जारी कारण बताओ सूचना **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है।

शराब निर्माण इकाईयों के उत्पादन की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]

106. अता.प्र.सं.86 (क्र. 6663) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में कितनी देशी और विदेशी शराब निर्माण इकाईयां हैं? उनमें कितना उत्पादन प्रतिवर्ष होता है? औद्योगिक इकाईवार वर्ष 2005 से प्रश्नांकित दिनांक तक वर्षवार बतायें। इसमें से कितनी देशी और विदेशी शराब म.प्र. के बाहर सप्लाई की जाती है? इसका भी वर्ष 2005 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष ब्यौरा उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में म.प्र. में म.प्र. से बाहर से आने वाली देशी और विदेशी मदिरा की मात्रा को 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक वर्ष वार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ

में म.प्र. में देशी एवं विदेशी शराब निर्माण इकाईयों पर म.प्र. सरकार का कितना टैक्स बकाया है? औद्योगिक इकाईवार बकाया राशि का विवरण बताएं। इसकी वसूली क्यों नहीं की गई? टैक्स की वसूली कब तक की जावेगी? **(घ)** म.प्र. में निर्मित तथा म.प्र. के बाहर से आई मदिरा को मिलाकर म.प्र. में शराब की खपत कितनी हैं? वर्ष 2005 से प्रश्नांकित दिनांक तक वर्षवार म.प्र. में निर्मित और म.प्र. के बाहर से आई शराब की खपत का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध कराएं। **(ड.)** म.प्र. में शराब की खपत बढ़ने के क्या कारण हैं? शराब बंदी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री : [**(क) एवं (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** मध्यप्रदेश में अवस्थित देशी और विदेशी शराब निर्माण इकाईयों, वर्ष 2005 से प्रश्नांकित दिनांक तक इकाईवार वर्षवार जानकारी तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर सप्लाई की गई शराब की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख)** मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश से बाहर से आने वाली देशी और विदेशी मदिरा की मात्रा की वर्ष 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(ग)** उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के पत्र दिनांक 10.08.2021 अनुसार मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2006 के अनुसार मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज जिला रायसेन पर शासन की राशि रूपये 16,53,95,146/- बकाया है। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 9443/2006 में बकाया राशि पर स्थगन दिया गया है, जो आज दिनांक तक यथावत है। प्रदेश की शेष इकाईयों पर कोई टैक्स बकाया नहीं है। जानकारी निरंक है। **(घ)** वर्ष 2005 से प्रश्नांकित दिनांक तक वर्षवार मध्यप्रदेश में निर्मित और मध्यप्रदेश के बाहर से आई शराब की खपत की वर्षवार जानकारी विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। **(ड.)** विभाग द्वारा प्रदेश के मैदानी अमले द्वारा अवैध शराब के निर्माण विक्रय परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जाने से अवैध मदिरा की खपत पर नियंत्रण तथा राज्य में जनसंख्या की वृद्धि के कारण जिलों की शासकीय देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों पर मदिरा की खपत में वृद्धि हुई है। शराब बंदी लागू करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सोम डिस्टलरीज परिसर में खुले में नियम विरूद्ध टैंक निर्माण
[वाणिज्यिक कर]

107. अता.प्र.सं.100 (क्र. 6691) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन के संचालक/प्रोपराइटर/सी.ई.ओ. कौन-कौन हैं तथा कब-कब से हैं? उनके नाम, पिता का नाम एवं पता सहित पूर्ण विवरण दें। **(ख)** क्या सेहतगंज स्थित सोम डिस्टलरीज के खुले परिसर में नियम विरूद्ध 11 स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं 8 स्टोरेज टैंक बनाये गये हैं? यदि हां, तो आबकारी अधिनियम की किस धारा में उक्त टैंक बनाये जाने के क्या प्रावधान हैं? क्या प्रावधानों के अंतर्गत टैंक बनाये गये हैं? क्या उक्त टैंक बनाने में समय लगा? क्या टैंक बनाये जाने से

लेकर पूर्ण टैंक बनाये जाने तक विभाग के अधिकारी जो कि वहां पर तैनात थे, उन्होंने विभाग को सूचित किया था या नहीं? यदि सूचित किया था तो उसी समय कार्यवाही क्यों नहीं की गई और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन के संचालक/प्रोपराइटर/सी.ई.ओ. के संबंध में वांछित जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख)** यह सही है कि रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड द्वारा खुले परिसर में कुल 11 रिसीवर टैंक एवं 8 स्टोरेज टैंक बनाए गये है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत बनाये गये आसवनी नियम 1995 के अंतर्गत बनाये गये आसवनी नियम 1995 के नियम 4 (28) एवं 4 (35), के अनुरूप स्टोरेज टैंक एवं परिसीवर टैंक का निर्माण किया जाना प्रावधानित हैं, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) के अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। इस रिपोर्ट पर लिये एक निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. के महाधिवक्ता के समक्ष प्रश्नागत किया गया था। रिट याचिका क्रमांक 7979/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। अंतिम प्रश्नांश से संबंधित कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका क्रमांक रिट याचिका क्रमांक 9973/2021 में अंतिम निराकरण के अध्याधीन हैं।

अगस्त, 2021

दिनांक 9 अगस्त, 2021

कोरोनाकाल में जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्रों की संख्या
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. ता.प्र.सं. 21 (क्र. 44) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 20/03/2020 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना काल में कितने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए? समस्त पंचायतों के माहवार संख्यात्मक आंकड़े देते हुए सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** उक्त अवधि में कितने अंतिम संस्कार पंचायत में होना पाया गया और कितने लोगों के अंतिम संस्कार पंचायत से बाहर होना पाये गए हैं? पंचायतवार संख्यात्मक आंकड़ों के साथ नाम, पते और मृत्यु के कारणों के साथ पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। **(ग)** कोरोना काल में पंचायतों के रिकॉर्ड के आधार पर कुल कितनी मृत्यु कोरोना महामारी से होना पायी गयी और कितनी अन्य कारणों से पायी गयी? अलग-अलग नाम, पते और मृत्यु के कारणों सहित सूची उपलब्ध कराएं। **(घ)** क्या उक्त अवधि में जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विभिन्न माध्यमों से मृत्यु के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं? यदि हाँ, तो कब-कब और किन पत्रों के माध्यम से? उनकी प्रमाणित प्रतियाँ देते हुए उन पत्रों के परिपालन में पंचायतों द्वारा दी गयी जानकारी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। **(ड.)** कोरोना काल में शासन की कौन-कौन सी योजनाओं में कोरोना से हुई मृत्यु के लिए कितनी आर्थिक सहायता कब कब और कितने पीड़ित परिवारों को किन-किन माध्यमों से उपलब्ध करायी गयी? पूर्ण विवरण के साथ पंचायतवार सूची उपलब्ध कराएं।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** उज्जैन जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 20.03.2020 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना काल में कुल 13720 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार** है। **(ख)** अंतिम संस्कार की जानकारी संधारण ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने के कोई निर्देश नहीं है। अत: जानकारी प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 17 के प्रावधान के तहत किसी भी मृत्यु से संबंधित कोई अर्क/सार/उद्धरण, रजिस्टर में यथा दर्ज मृत्यु के कारण के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है। अत: जानकारी प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जिला सांख्यिकी कार्यालय के पत्र क्रमांक/2305/जन्म-मृत्यु/2021/विधान सभा प्रश्न उज्जैन दिनांक 26.07.2021 के अनुसार जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मृत्यु के ऑकड़े पृथक से एकत्रित नहीं किए जाते हैं। **(ड.)** कोरोना काल में कोरोना से हुई मृत्यु के लिये शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना अंतर्गत जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के 15 प्रकरण

स्वीकृत हुए जिसमें प्रत्येक बालक/बालिका को रूपये 5000/- प्रतिमाह पेंशन प्रदाय की जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री कोविड-19 कोरोना योद्धा योजना अंतर्गत जानकारी निरंक है।

पृथक वितरित उत्तर

लोक अभियोजन के प्रकरणों की स्वीकृति
[विधि और विधायी कार्य]

2. अता.प्र.सं.10 (क्र. 55) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारियों के विरूद्ध लोक अभियोजन की स्वीकृति उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाती है? **(ख)** यदि हाँ, तो विधि एवं विधायी कार्य विभाग में लोक अभियोजन के कितने प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है? कितने लंबित हैं? गत 3 वर्षों की जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत कितने लंबित प्रकरणों में अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं?

गृह मंत्री : [**(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। **(ख)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) म.प्र. में गत 3 वर्ष (दिनांक 01.07.2018 से 31.07.2021 तक की अवधि) में शासन के विभिन्न विभागों/निकायों से 300 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा 195 प्रकरण अभियोजन स्वीकृती हेतु लंबित रहे है। उक्त अवधि में विधि और विधायी कार्य विभाग से लोक अभियोजन के एक प्रकरण अपराध क्रमांक 189/2019 श्री आर.आर. चौधरी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला नीमच के विरूद्ध दिनांक 21.01.2021 को अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में विधि विभाग में अभियोजन स्वीकृति का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। **(ग)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) म.प्र. में उपलब्ध जानकारी के आधार पर अभियोजन स्वीकृति हेतु 195 प्रकरणों में से 14 प्रकरण में अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके है।

किसानों को अमोनियम नाइट्रेट का प्रदाय
[गृह]

3. ता.प्र.सं. 9 (क्र. 140) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला छतरपुर में कहां-कहां पर विस्फोटक पदार्थ की मैगजीन चालू है? सूची उपलब्ध कराएं। प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त विस्फोटक पदार्थ की मैगजीन रखे जाने हेतु भंडारण गृह बने हुए हैं? यदि हां, तो उक्त भंडारण गृह कहां-कहां एवं कितनी क्षमता के बने हुए हैं? **(ख)** उक्त भंडारण गृह में विस्फोटक पदार्थ रखने हेतु किस किस के नाम से लाइसेंस जारी किए गए हैं? लाइसेंस आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। **(ग)** क्या विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट किसानों को शासन द्वारा प्रदान किया जाता है? यदि हां, तो छतरपुर जिले में वर्ष 2018 से प्रश्र दिनांक तक उक्त विस्फोटक पदार्थ मैगजीन अमोनियम नाइट्रेट किन-किन

किसानों को कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब दी गई है? नाम एवं मात्रावार सूची उपलब्ध कराएं।

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जिला छतरपुर अंतर्गत 40 विस्फोटक पदार्थ की मैगजीन चालू है एवं भण्डारगृह की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जिला छतरपुर अंतर्गत अमोनियम नाईट्रेट के लायसेंसों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किसानों को आलोच्य अवधि में विक्रय किये गये विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाईट्रेट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

पृथक वितरित उत्तर

सहारा इंडिया व अन्य चिटफण्ड कंपनियों पर कार्यवाही

[गृह]

4. ता.प्र.सं. 19 (क्र. 188) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक सहारा इंडिया लिमिटेड और अन्य चिटफंड कंपनियों द्वारा जनता का जमा पैसा भुगतान नहीं करने के संबंध में कितनी-कितनी शिकायतें प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है? **(ख)** प्रदेश में सहारा इंडिया कंपनी और अन्य चिटफंड कंपनियों द्वारा कितने लोगों से, कितनी धनराशि हड़पने का अनुमान है? राज्य सरकार आम लोगों को चिटफंड कंपनियों की ठगी से बचाने और उन्हें रकम वापस दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है? शासन द्वारा इन कंपनियों को मध्यप्रदेश में कब तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? **(ग)** सहारा इंडिया कंपनी और अन्य चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 793, दिनांक 17/12/2019 एवं प्रश्न क्रमांक 54, दिनांक 21/09/2020 के संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या सहारा इंडिया कंपनी प्रमुख सुब्रतो राय पर रतलाम जिले के आलोट थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हां, तो उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में क्या कार्यवाही अभी तक की गई है?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** सहारा इण्डिया कंपनी एवं अन्य चिटफण्ड कंपनियों द्वारा लोगों से धनराशि की धोखाधड़ी की है उसकी **जानकारी परिशिष्ट 'अ' में समाहित** है। शासन द्वारा चिटफण्ड कंपनियों की अनियमितता एंव राशि गबन के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने हेतु जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी जिला पुलिस अधीक्षको को दिशा निर्देश जारी किए गए है। सहारा इण्डिया कंपनी एवं अन्य चिटफण्ड कंपनियों की शिकायत के संदर्भ में राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर केम्प लगाए गए है। उक्त प्रक्रिया सतत् रूप से निरंतर जारी है। शासन द्वारा चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है एवं अब तक हजारों निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलाए गए है। चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की लगातार

मॉनिटरिंग शासन स्तर पर की जा रही है। शिकायतें मिलने पर "म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000", "दि बैनिंग ऑफ अनरैगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स एक्ट 2019" के अंर्तगत विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' 'स' 'द' 'य' एवं 'र' में समाहित** है। **(घ)** जी हाँ। आरोपी सुब्रतराय सहारा को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस टीम दिनांक 15.07.2021 को सहारा इण्डिया कंपनी के मुख्य कार्यालय लखनऊ भेजी गई थी परंतु आरोपी नहीं मिला गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

पृथक वितरित उत्तर

सरपंचों एवं सचिवों द्वारा गबन की गई राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. अता.प्र.सं.49 (क्र. 225) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत पांच वर्षों में कटनी जिले के सरपंचों एवं सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा बिना कार्य के शासकीय राशि के गबन के कितने प्रकरण प्रकाश में आये? जिले का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, गबन की राशि, गबनकर्ता सरपंच एवं सचिव का नाम सहित पूर्ण विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के गबन कर्ताओं को क्या राशि जमा करने का नोटिस दिया गया है। यदि हां, तो पत्र क्रमांक, दिनांक, गबनकर्ता का नाम, पद, गबन राशि एवं जमा राशि करने की समयावधि सहित पूर्ण विवरण दें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) से संबंधित गबन कर्ताओं द्वारा कब -कब कितनी राशि जमा की गई, कितनी राशि बकाया है? व्यक्तिवार पृथक-पृथक विवरण दें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में सरपंचों एवं सचिवों द्वारा बिना कार्य कराये शासकीय धन के गबन प्रमाणित होने पर क्या मात्र वसूली की कार्यवाही की जावेगी या उनके विरूद्ध पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी? यदि हां, तो कब तक नहीं तो कारण बताएं। अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, पृथक-पृथक विवरण दें। **(ड.)** कार्यालय जिला पंचायत कटनी के पत्र क्रमांक 2826/शिका/2021 दिनांक 13/05/2021 से श्री सहायम चक्रवर्ती सचिव ग्राम पंचायत धरवारा, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा को कारणदर्शी सूचना पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्रमांक 914 दिनांक 13/03/2021 के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया था उस पर अंतिम कार्यवाही क्या की गई? यदि नहीं, की गई तो कब की जाएगी और अब तक न करने के लिए कौन दोषी है?

पंचायत मंत्री : [**(क)** जिला पंचायत कटनी से प्राप्त सरपंच एवं सचिव संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। अन्य अधिकारियों से संबंधित जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** सरपंचों एवं सचिवों द्वारा बिना कार्य कराये शासकीय धन के गबन प्रमाणित होने पर मात्र वसूली की कार्यवाही न की जाकर संबंधितों के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40, 88, 89 एवं धारा 92 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही के अतिरिक्त प्रकरण की गंभीरता अनुसार विभिन्न प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर 02 सचिव को पदच्युत, 05 सचिव को निलंबित एवं

01 रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई है एवं शेष के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। ग्राम पंचायत परसवारा जनपद पंचायत विजयराघवढ़ के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में एफ.आई.आर. क्रमांक 0411 दिनांक 15.12.2020 को एवं ग्राम पंचायत बम्हौरी जनपद पंचायत बड़वारा के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध पुलिस थाना बरही में एफ.आई.आर. क्रमांक 0612 दिनांक 26.12.2020 को दर्ज कराई गई है। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** मा. विधायक महोदय के पत्र क्रमांक 914 दिनांक 13.03.2021 जो कि कार्यालय में दिनांक 17.03.2021 को प्राप्त हुआ, के परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2214/ज0प्र0/जि0पं0/2021 दिनांक 27.03.2021 के द्वारा परियोजना अधिकारी मनरेगा को जांच करने हेतु आदेशित किया गया था। तत्कालीन परियोजना अधिकारी मनरेगा का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अंतरित की गई है। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया सचिव एवं रोजगार सहायक दोषी पाये जाने पर संबंधित सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 2826/शिका0/2021 दिनांक 13.05.2021 जारी किया गय। जिसका जवाब संबंधित द्वारा दिनांक 08.06.2021 को प्रस्तुत किया, जिसके उपरांत प्रस्तुत प्रतिवाद का परिशीलन किया जाकर समाधान कारक नहीं पाये जाने के कारण वसूली योग्य राशि की गणना किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3713/शि0/2021 कटनी दिनांक 29.06.2021 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा को 03 दिवस की अवधि में वसूली पत्रक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, तदोपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा द्वारा पत्र क्रमांक 421/शि0/ल0पं0/2021 ढीमरखेड़ा दिनांक 20.07.2021 के द्वारा गणना कर संबंधित सचिव/रोजगार सहायक से कुल राशि रूपये 127009/- (रूपये एक लाख सत्ताईस हजार नौ रूपये) वसूल किया जाना प्रतिवेदित है। प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4141/पं0सेल0/स्था0/2021 कटनी दिनांक 22.07.2021 द्वारा विहित प्राधिकारी कलेक्टर जिला कटनी की ओर प्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री रामसहाय चक्रवर्ती को उक्तानुसार अनियमितता के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4139/पं0सेल/स्था0/2021 कटनी, दिनांक 22.07.2021 के द्वारा निलंबित किया गया है। संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने हेतु आरोप पत्र आदि जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

प्रदेश में महिला अपराधों की बढ़ोत्तरी

[गृह]

6. अता.प्र.सं.57 (क्र. 279) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में महिलाओं तथा बालिकाओं से बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार तथा हत्या की जनवरी 2018 से जून 2021 तक जिलेवार माह अनुसार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में युवतियों किशोरियों तथा बालिकाओं के अपहरण तथा भागने के प्रकरणों की माह अनुसार प्रदेश के जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा बतावें कि इस

अवधि के दौरान अपराधों की कुल संख्या क्या है? **(ग)** वर्ष 2015 से 2021 तक अप्रैल से जून माह में महिलाओं पर विभिन्न घटनाओं में कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये? सूची देवें तथा बतावें कि वर्ष 2015 से 2021 तिमाही में किस-किस धारा में प्रकरणों पर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? **(घ)** प्रश्नाधीन (क) की अवधि में महिलाओं की हत्या बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तथा अपहरणों में कुल कितने आरोपी बनाये गये तथा उनमें से कितने आज दिनांक तक गिरफ्तार नहीं हो पाये? कारण बतावें। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित अपराध में प्रकरणों में पिछले 10 वर्षों में न्यायालयीन फैसले होने की अपराध अनुसार औसत अवधि तथा प्रकरणों में सफलता का प्रतिशत भी बतावें।

गृह मंत्री : [**(क)** प्रदेश में महिलाओं तथा बालिकाओं से बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार तथा हत्या की जनवरी 2018 से जून 2021 तक जिलेवार, माह अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में युवतियों, किशोरियों तथा बालिकाओं के अपहरण तथा भागने के प्रकरणों की माह अनुसार प्रदेश के जिलेवार जानकारी तथा इस अवधि के दौरान अपराधों की कुल संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 2015 से 2021 तक अप्रैल से जून माह में महिलाओं पर विभिन्न घटनाओं के कुल दर्ज प्रकरणों तथा वर्ष 2015 से 2021 तिमाही में किस-किस धारा में प्रकरणों पर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नाधीन (क) की अवधि में महिलाओं की हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरणों में कुल 38,754 आरोपी बनाए गए तथा उनमें से कुल 3,455 आरोपी आज दिनांक तक गिरफ्तार नहीं हो पाए, कारण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में समाहित** है। **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ड.)** प्रश्नांश से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि "पिछले 10 वर्षों में न्यायालयीन फैसले होने की अपराध अनुसार औसत अवधि" से क्या आशय है अर्थात क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के दिनांक से निर्णय होने की दिनांक तक अथवा अभियोग पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक से निर्णय दिनांक की औसत अवधि अपेक्षित है। प्रश्नांश के द्वितीय भाग में "प्रकरणों में सफलता का प्रतिशत" भी चाहा गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि सफलता से आशय दोषसिद्धि से अथवा निराकरण से है। अतएव उक्त स्थिति में प्रश्नांश 'ड.' का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

समर्थन मूल्य पर बेची गई फसलों का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

7. ता.प्र.सं. 10 (क्र. 362) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2021 की रबी फसल गेहूं, सरसों, चना, मूंग कितने किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई है? ग्वालियर चंबल संभाग के किसानों की संख्या जिलेवार मात्रा सहित जानकारी दी जावे। **(ख)** क्या सरसों का समर्थन मूल्य बाजार से कम होने के कारण किसानों द्वारा नहीं बेचा गया? क्या शासन बाजार भाव अनुसार सरसों का समर्थन मूल्य बढ़ायेगा? यदि हां, तो कब तक? **(ग)** क्या उक्त संभागों में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर

बेची गई फसलों की राशि किसानों को प्राप्त नहीं हो सकी है? बकाया राशि कब तक किसानों के खाते में पहुंच जावेगी। **(घ)** उक्त संभागों में वर्ष 2020 की तुलना में कितनी बेची गई फसल कम रही, जिलावार तुलनात्मक जानकारी दी जावे।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** जी हाँ। ग्वालियर संभाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। चंबल संभाग की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी हाँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। **(ग)** ग्वालियर संभाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। बकाया राशि के भुगतान की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। चंबल संभाग की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** ग्वालियर संभाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। चंबल संभाग की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। ग्वालियर संभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है** एवं चंबल संभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। **(ग)** ग्वालियर संभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार** है। बकाया राशि का भुगतान का समय-सीमा बताना संभव नहीं है एवं चंबल संभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 5 अनुसार** है। **(घ)** ग्वालियर संभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है** एवं चंबल संभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 6 अनुसार** है।

दोषियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

8. परि.अता.प्र.सं. 85 (क्र. 409) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनपद की निधि से जनपद पंचायत की भूमि पर स्थाई निर्माण रोकने या स्थगन देने का अधिकार अनुविभागीय दण्डाधिकारी को भू-राजस्व संहिता के किस नियम/धारा के तहत दिया गया है? जनपद की निधि से जनपद पंचायत की भूमि पर स्थाई निर्माण कार्य के स्थगन को हटाने के मामले में किस विहित अधिकारी को अपील सुनने का अधिकार है? **(ख)** जनपद पंचायत नौगांव जिला छतरपुर के परिसर में जनपद पंचायत की भूमि पर जनपद निधि से हो रहे स्थाई निर्माण को रोकने/स्थगन देने के क्या कारण रहे? इस मामले में विभाग द्वारा निर्माण कार्य आरंभ कराने हेतु कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** रायसेन जिले में दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस पंचायत सचिव को कब-कब, किस-किस आरोप में निलंबित या दंडित किया गया? नाम सहित आदेश व आरोप पत्रों की प्रति दें। क्या इन पंचायत सचिवों को इसके पूर्व भी दंडित या निलंबित किया गया था? यदि हां, तो किन आरोपों में? इन्हें किन आधारों पर बहाल किया गया था? बतावें। क्या इन पर अधिरोपित शासकीय राशि/गबन की राशि की वसूली कर ली गई थी? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित निलंबित/दंडित पंचायत सचिवों के मामले में बिना आरोप पत्र में

उल्लेखित आरोपों के समाधान के व बिना गबन की राशि/अधिरोपित शासकीय राशि वसूले बहाल कर दिया गया? क्या यह बहाली नियमानुसार है? इस हेतु कौन उत्तरदायी है व इन प्रकरणों के मामले में विभाग क्या कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री : [**(क)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** शिकायतकर्तागण एवं आमजन नगर पालिका क्षेत्र नौगांव एवं अन्य द्वारा, निर्माणाधीन कार्य के संबंध में ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी नियुक्त कर नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत ई-टेंडरिंग प्रणाली का प्रयोग न करते हुये नियम विरूद्ध तरीके से ठेके पर उक्त निर्माण के विरूद्ध शिकायत, शासकीय संपत्ति भूमि पर संबंधित निकाय से एनओसी प्राप्त किये बिना किये जा रहे निर्माण को प्रारंभिक आदेश बतौर शासकीय भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षा, विभागीय ग्राउण्ड में जनपद स्तर पर होने वाले शासकीय आयोजनों एवं आमजन के आवागमन एवं वाहन पार्किंग इत्यादि की सुविधा में बाधा आदि कारण रहे। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक निलंबित सचिवों में से पूर्व में भी निलंबित या दण्डित हुए हैं, सचिवों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(घ)** निलंबित सचिवों को उनको जारी आरोप पत्रों का उत्तर व विभागीय जांच के उपरांत नियमानुसार बहाल किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क)** अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव द्वारा म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत स्थगन आदेश जारी किया गया हैए इस आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्तए सागर संभाग सागर को एवं निगरानी कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

9. परि.अता.प्र.सं. 90 (क्र. 418) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रं. 392 तारांकित दिनांक 21.09.2020 के उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 2017 से पदस्थ उप संचालक कृषि, अपने मूल पद के अलावा संयुक्त संचालक कृषि, परियोजना संचालक आत्मा के पद पर रहे हैं? क्या प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र रनगुवां के पद पर भी रहे है? यदि हां, तो कब से कब तक? **(ख)** प्रश्न में संदर्भित अधिकारी को उक्त पदों पर कार्य करते हुए कुल कितनी राशि एजेंसी की मिली? वर्षवार, कार्यालयवार बतायें। राशि किस-किस कार्य पर खर्च की गई? पुताई पर कितनी राशि खर्च की गई? क्या इस कार्य के लिए निविदा निकाली गई? यदि नहीं, तो नियम बतायें एवं पुताई के बिल बतायें। **(ग)** क्या उक्त अधिकारी ने वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा निकाली? कलेक्टर सागर से अनुमोदित ट्रेवलिंग एजेंसी से वाहन नहीं लिए? यदि नहीं, तो कलेक्टर द्वारा अधिसूचित ट्रेवलिंग एजेंसी का आदेश बतायें। क्या विभाग के अधिकारियों के वाहन लेना बताकर पैसा आहरण किया? ट्रेवलिंग एजेंसी छोड़ किराये पर लिए वाहन स्वामियों के नाम, वाहन नंबर, प्रकार बतायें। **(घ)** क्या कंटनजेंसी राशि खर्च, वित्तीय प्रावधान के अनुरूप है? क्या

जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जांच कर यह पाया गया है कि वाहन, शासन के प्रावधान अनुसार लिए गये? क्या दोषी पर कार्यवाही होगी?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र रनगुवां के पद पर नहीं रहे है। **(ख)** कार्यालयवार, वर्षवार प्राप्त आवंटन व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। किसी भी प्रकार का पुताई कार्य नहीं हुआ। शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। कलेक्टर सागर से अनुमोदित ट्रेवलिंग एजेंसी से वाहन नहीं लिया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण जांच हेतु संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(घ)** प्रकरण की सम्पूर्ण जांच हेतु संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच परिणाम अनुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार** है।

पुलिस की उदासीनता एवं लापरवाही
[गृह]

10. परि.अता.प्र.सं. 97 (क्र. 458) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कैलारस थाने क्षेत्रांतर्गत ग्राम शेखपुर में दिनांक 17.04.2021 को रात्रि राजकुमार त्यागी की दर्दनाक हत्या कर दी गयी तथा पुलिस को सूचना के उपरांत कोई भी अधिकारी घटना स्थल पर न आने से परिवारजन एवं आम नागरिक आक्रोशित हो गये? कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति के मद्देनजर प्रश्नकर्ता द्वारा घटना स्थल से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुरैना को दूरभाष से अवगत कराने के उपरांत लगभग 3 से 4 घण्टे बाद थाना प्रभारी कैलारस पहुँचे? पुलिस का घटना स्थल पर विलंब से पहुँचने के क्या कारण रहे? **(ख)** क्या तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी द्वारा गंभीर घटना पर बरती गई उदासीनता, लापरवाही से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में पहुँच गई और आक्रोशजनों ने चक्का जाम कर दिया? यदि आक्रोशित भीड़ द्वारा कोई अप्रिय घटना घटित होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? **(ग)** क्या पुलिस के विलम्ब के कारण पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाये जिसका फायदा अज्ञात हत्यारों को मिला और आज दिनांक तक वह चिन्हित नहीं किये जा सके है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है? **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में दोषी पुलिस अधिकारियों पर कर्तव्यहीनता एवं घटना के प्रति उदासीनता के विरूद्ध कोई जांच संस्थित की गयी है या की जावेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? उक्त प्रकरण की अद्यतन जानकारी देते हुए यह भी स्पष्ट करें कि हत्यारों की चिन्हित कर कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** थाना कैलारस जिला मुरैना के ग्राम शेखपुर में दिनांक 17.04.2021 की रात्रि में राजकुमार त्यागी की हत्या की घटना घटित

हुई थी, जिसकी सूचना दिनांक 18.04.2021 के सुबह प्राप्त हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी कैलारस घटना स्थल पहुँचे थे तथा थाना कैलारस का पुलिस बल लगभग प्रातः 09.30 बजे घटना स्थल पहुँचा था। मौके पर मृतक के परिजन मृतक की हत्या के कारण व्यथित होने से आक्रोशित थे पंरतु अन्य कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। निरीक्षक थाना प्रभारी कैलारस कस्बें में सड़क हादसे के एक पृथक प्रकरण में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की आशंका से शासकीय अस्पताल कैलारस में मृतकों को पोस्टमार्टम कराने हेतु उपस्थित थे, जो बाद में घटना स्थल पहुँच गये थे। पुलिस घटना स्थल पर विलम्ब से नहीं पहुँची। **(ख)** जी नहीं। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल घटना स्थल पर भेजी गई तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया गया। **(ग)** जी नहीं। अपराध की विवेचना जारी है। विवेचना में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** जी नहीं। विवेचना की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

दिनांक 10 अगस्त, 2021

प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रों पर की गई कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

11. परि.अता.प्र.सं. 17 (क्र. 220) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-1976स/2007/1/4 भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2011 एवं पत्र दिनांक 17 अगस्त 2016 के आदेश अनुसार क्षेत्रीय माननीय सांसद/माननीय विधायक के पत्रों के उत्तर देने के निर्देश हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक की अवधि में कटनी जिले के जिन-जिन विभागों में पत्र लिखे हैं, उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार, विभागवार, कार्यवाहीवार विवरण दें निर्धारित समयावधि में की गई कार्यवाही से अवगत न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? प्रशासन एवं शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रश्नांश (ख) की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्रों पर प्रश्नांकित दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार, विभागवार, कार्यवाहीवार विवरण दें क्या-क्या कार्यवाही वर्तमान में लंबित है? लंबित कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक की अवधि में कटनी जिले अंतर्गत विभाग/कार्यालय से संबंधित प्राप्त पत्रों में की गई कार्यवाही की विभागवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की गई है जिससे दोषी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** मुख्यमंत्री कार्यालय के संधारित अभिलेखानुसार प्रश्नांकित अवधि अर्थात दिनांक 01 जनवरी

2018 से 29.07.2021 तक प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी को प्रेषित पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संबंधित विभागों को प्रेषित किये गये हैं जिसकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी इन संबंधित विभागों को पत्र क्रमांक 6-50/2021/1/4 दिनांक 04/08/2021 द्वारा लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उनके विभाग को भेजे गए पत्रों पर प्रश्न के भाग (ग) में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी से प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को अवगत कराया जावे।

ई.ओ.डब्ल्यू. भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत
[सामान्य प्रशासन]

12. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 256) श्री आरिफ मसूद : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 185/19 में आवेदक एवं अनावेदकों को नाम, पद, वर्तमान पदस्थापना एवं जांच किस विषय में है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जांच में अब तक जो तथ्य/जानकारी प्राप्त हो गई है एवं जिन साक्षियों के कथन लिये जा चुके हैं एवं जिनके कथन लेना शेष रह गए हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराए। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 185/19 के अनावेदकों को शेष बची जांच के दौरान वर्तमान पदस्थापना से हटाकर कही और पदस्थ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या लोक सेवक के विरूद्ध यदि किसी जांच एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार की जांच चल रही हो या अपूर्ण हो तो लोक सेवक को पदोन्नति नहीं दी जा सकती? यदि हां, तो ई.ओ.डब्ल्यू. में पंजीबद्ध शिकायत 185/19 के अनावेदक को किस आधार पर पदोन्नति दी गई?

मुख्यमंत्री : [**(क)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में दर्ज शिकायत क्रमांक 185/2019 में आवेदक श्री अरविंद सक्सेना, निवासी 273 एयरपोर्ट रोड, पंचवटी कॉलोनी भोपाल। अनावेदक श्री बी.एस. यादव, संयुक्त संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग। आरोप-श्री बी.एस. यादव द्वारा खेल सामग्री एवं उपकरण क्रय किये जाने में आर्थिक अनियमितता करने के संबंध में है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** परीक्षणोंपरांत शिकायत जांच क्रमांक 185/19 दिनांक 12.02.2021 को नस्तीबद्ध की गई। **(घ)** प्रश्नांश "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** शिकायत के सत्यापन में श्री रविन्द्र बंसोड, सहायक ग्रेड-2, खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल एवं श्री सुनील श्रवण, सहायक ग्रेड-3, खेल और युवा कल्याण विभाग के कथन लेख किए गए। प्रकरण में किसी भी साक्षी के कथन लेना शेष नहीं है। उक्त शिकायत को प्रकोष्ठ मुख्यालय द्वारा दिनांक 06.02.2021 को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।

पात्र हितग्राहियों को लाभ न देने वालों पर कार्यवाही
[महिला एवं बाल विकास]

13. अता.प्र.सं.23 (क्र. 272) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल जिले में कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, इनमें से कितने भवनविहीन हैं, जनपदवार विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में बालक एवं

बालिकाओं की संख्या वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक की आंगनवाड़ी केंद्रवार बतावें, इनमें से किन-किन केंद्रों को कितना पोषण आहार व अन्य सामग्रियां कौन-कौन सी उपलब्ध कराई जा रही है? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में कितनी गर्भवती महिलाएं लाभांवित हो रही है, इनमें से कितनी महिलाओं को प्रसव उपरांत शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से लाभांवित किया गया, वर्ष 2016 से प्रश्नांश दिनांक तक का विवरण देवें? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार संबंधितों द्वारा उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पात्रों को शासन की योजनाओं के लाभ से लाभांवित नहीं किया गया, पात्र लाभ से वंचित हुये, इसके लिये जिम्मेदारों पर जांच उपरांत क्या कार्यवाही करेंगे, अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क) जानकारी परिशिष्ट '1' अनुसार** है। **(ख)** संचालित 1599 आंगनवाड़ी केन्द्रों में समस्त पात्र बालक एवं बालिकाओं को वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक पोषण आहार का प्रदाय स्व सहायता समूह/टेक होम राशन के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्रवार हितग्राहियों की सूची विस्तृत प्रकृति की है। अत: **जानकारी संकलित की जा रही** है। **(ग) जानकारी परिशिष्ट '2' अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न नहीं। शेष का प्रश्न ही नहीं।] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

नियुक्ति संबंधी नीति-निर्देशों का पालन
[सामान्य प्रशासन]

14. ता.प्र.सं. 18 (क्र. 309) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.सी 5-2/2018/13, दिनांक 05 जून, 2018 में कंडिका 14 द्वारा संविदा कर्मियों को विभाग में नियुक्ति हेतु 20% पदों पर आरक्षण दिये जाने एवं विभागीय भर्ती नियमों में इसके अनुरूप संशोधन किए जाने की भी अपेक्षा की गयी है? **(ख)** क्या इसी क्रम में आदेश क्र. सी 5-2/2018/13, दिनांक 05 जुलाई, 2018 द्वारा उक्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है? **(ग)** यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का शत-प्रतिशत पालन शासन के विभागों में किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक का विवरण दें। **(घ)** यदि नहीं, तो क्यों एवं क्या उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक-सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून, 2018 की कण्डिका 14 की जगह 1.4 में निर्देश है। **(ख)** जी हाँ। परिपत्र क्रमांक-सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जुलाई, 2018 की जगह समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25 जुलाई, 2018 जारी किया गया। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ग)** जी हाँ, विभागों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

पृथक वितरित उत्तर

स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन
[सामान्य प्रशासन]

15. ता.प्र.सं. 10 (क्र. 328) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध जाकर बैतूल जिले में वर्ष 2020-21 में स्थानीय स्तर पर किए गए स्थानान्तरण को निरस्त किए जाने के संबंध में राज्य मंत्रालय भोपाल ने प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है? **(ख)** वर्ष 2020-21 में बैतूल जिले में वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग ने कितने स्थानान्तरण किए या प्रभार परिवर्तन के आदेश दिए हैं, इनमें से कितने शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार किए गए हैं, कितने नीति का उल्लंघन कर किए गए हैं? **(ग)** स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन कर किए गए स्थानान्तरणों के संबंध में शासन ने किस दिनांक को किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की? यदि कार्यवाही नहीं की हो तो क्या कारण रहा है? **(घ)** शासन कब तक क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान कोई स्थानांतरण नीति जारी नहीं की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा उनके पत्र क्र. क्षे.स्था.-2/210, दिनांक 30/07/2021 के द्वारा स्थानांतरण/पदस्थी निरस्त की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख)** बैतूल वनवृत्त के अंतर्गत वन सुरक्षा एवं वानिकी कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु उपलब्ध अतिरिक्त अमले का युक्तियुक्तकरण करते हुए अस्थायी रूप से 128 कर्मचारियों के कार्य आवंटन एवं स्थानांतरण किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 अनुसार 04 अधिकारियों के स्थानांतरण किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किसी भी कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा प्रभार परिवर्तन नहीं किये गये हैं। **(ग)** वन विभाग के अंतर्गत नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पृथक वितरित उत्तर

अधिकारियों को अर्दली भत्ता
[वित्त]

16. अता.प्र.सं.28 (क्र. 336) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. कैडर के आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. अधिकारियों को किस-किस पदस्थापना के दौरान प्रतिमाह कलेक्टर रेट से अर्दली भत्ता भुगतान से संबंधित वित्त विभाग में क्या प्रावधान प्रचलित है प्रति सहित बतावें। **(ख)** म.प्र. लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल, इको टूरिज्म बोर्ड भोपाल एवं जैव विवधता संरक्षण बोर्ड भोपाल में पदस्थ किस आई.एफ.एस.

अधिकारी को गत एक वर्ष में किस दर से अर्दली भत्ते का भुगतान किया गया है। **(ग)** आई.एफ.एस. अधिकारियों की ही तरह आई.ए.एस. अधिकारी एवं आई.पी.एस. अधिकारियों को भी कलेक्टर रेट से प्रतिमाह अर्दली भत्ते के भुगतान की वित्त विभाग छूट दिए जाने से संबंधित वर्तमान में क्या कार्यवाही कर रहा है। **(घ)** वित्त विभाग कब तक छूट जारी करेगा।

वित्त मंत्री : [**(क)** वित्त विभाग द्वारा मध्यप्रदेश कैडर के आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. अधिकारियों को कलेक्टर रेट से अर्दली भत्ता भुगतान के संबंध में कोई नियम शासित नहीं किये जाते। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारियों को कलेक्टर रेट से प्रतिमाह अर्दली भत्ते के भुगतान की छूट दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है। **(घ)** उत्तरांश **(ग)** के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य ईको पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल एवं मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, भोपाल में गत एक वर्ष में पदस्थ रहे आई.एफ.एस. अधिकारियों को अर्दली भत्ते के भुगतान संबंधी विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1,2 एवं 3 अनुसार** है।

प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रों के जवाब का प्रदाय
[सामान्य प्रशासन]

17. परि.अता.प्र.सं. 35 (क्र. 494) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधायक द्वारा विभागों को लिखे गये पत्र के उत्तर देने के सन्दर्भ में पिछले पाँच वर्षों में जारी परिपत्रों की प्रति देवें तथा बतावें कि कोई विभाग प्रमुख परिपत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में उत्तर नहीं देता है तो क्या कार्यवाही की जा सकती है। क्या इस कृत्य को विधानसभा की अवमानना माना जायेगा। **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर रतलाम को जनवरी 2021 से जुन 2021 तक लिखे गये पत्रों के उत्तर दिलाये जाय तथा उत्तर न दिये जाने के कारण से अवगत कराएं। **(ग)** कोविड के ईलाज हेतु रतलाम जिले के अन्तर्गत किन-किन उद्योगों सामाजिक संस्थाओं विभिन्न संगठनों धार्मिक संस्थाओं व्यापारिक संगठनों द्वारा क्या-क्या सामग्री या नगद राशि भेट की गई सूची देवें।

मुख्यमंत्री : [**(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में जारी निर्देशों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है जिसमें निर्देशों की अवहेलना करने पर कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

18. परि.अता.प्र.सं. 43 (क्र. 526) श्री बाबू जण्डेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 एवं समय-समय पर जारी अन्य पत्रों/आदेशों

में यह स्पष्ट उल्लेख एवं निर्देश है कि विधायकों के पत्रों का समय पर निराकरण करें एवं परिशिष्ट एक पर पावती एवं परिशिष्ट-दो पर विधायकों से प्राप्त पत्रों का कार्यालयों में रजिस्टर संधारित किये जाने के निर्देश है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभाक्षेत्र श्योपुर की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विधायक जनसम्पर्क कार्यालय से जारी किये गये सैकड़ों कार्यालयीन पत्रों पर श्योपुर जिले के शासकीय खण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय/विभाग प्रमुखों द्वारा नियमानुसार निराकरण कर अवगत कराया गया है? यदि हां, तो निराकरण प्रतिवेदन प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराऐं? यदि नहीं, तो क्यों कारण बताऐं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार शेष रहे निराकरण प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे? **(घ)** क्या श्योपुर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में परिशिष्ट-दो पर विधायकों से प्राप्त पत्रों का रजिस्टर संधारित किया गया है? यदि हां, तो कार्यालयों में संधारित रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराऐं? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** पत्रों के निराकरण प्रतिवेदन की प्रति नियमानुसार भेजकर अवगत कराया जाता है। शेषांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ग)** निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। निराकरण उपरान्त प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिये जायेंगे। **(घ)** संधारित रजिस्टर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

आदेश की प्रति उपलब्ध कराये जाना
[सामान्य प्रशासन]

19. परि.अता.प्र.सं. 60 (क्र. 652) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2749 दिनांक 3/3/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर दिया था कि अधीक्षक जिला जेल के पत्र दिनांक 5/6/2012 अनुसार अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश से निरुद्ध एवं रिहा हुए है लेख किया था? यदि हां, तो क्या अधीक्षक जिला जेल द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई थी? यदि हां, तो अपर कलेक्टर के आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। **(ख)** यदि नहीं, तो क्यों अधीक्षक जिला जेल द्वारा उक्त पत्र में लेख किया था कि उक्त व्यक्ति को अपर कलेक्टर के आदेश से निरुद्ध एवं रिहा किया गया था? कारण स्पष्ट करें। **(ग)** अपर कलेक्टर के द्वारा किए गए निरुद्ध एवं रिहा किए गए आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराएं। **(घ)** क्या उक्त व्यक्ति को अपराधिक प्रकरण दर्ज कर ही जेल भेजा गया था? यदि हां, तो अपराधिक प्रकरण की प्रति उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जिला जेल छतरपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार बंदी प्रवेश रजिस्टर जीर्ण-शीर्ण हालत में होने से रिहाई आदेश एवं जेल में निरूद्ध होने की प्रति अनुपलब्ध है। **(ख)** अधीक्षक जिला जेल छतरपुर द्वारा पत्र दिनांक 05/06/2012 जारी किया गया था, जिसमें आरोपी स्वामी प्रसाद अग्रवाल पिता रामचरण अग्रवाल निवासी छतरपुर धारा 151 के अंतर्गत अपर कलेक्टर छतरपुर के

आदेशानुसार दिनांक 12/08/1975 को जिला जेल छतरपुर में दाखिल हुआ था। अपर कलेक्टर छतरपुर के रिहाई आदेश क्रमांक 31 दिनांक 18/08/1975 के पालन में दिनांक 18/08/1975 को जमानत से रिहा किया गया था। **(ग)** संबंधित दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 39/1975 जा0फौ0 धारा 151 विनिष्ट होने से राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं होने से प्रति दिया जाना संभव नहीं रह गया है। **(घ)** प्रकरण वर्ष 1975 का होने व रिकार्ड निर्सन होने के कारण इस्तगासा 151 की कार्यालयीन प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं रह गया है।

सरकारी संपत्तियों का विक्रय
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

20. अता.प्र.सं.82 (क्र. 662) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा आज दिनांक किन-किन शासकीय सम्पतियों को, किन-किन आधार पर, किस-किस मूल्य विक्रय हेतु उपयुक्त माना गया है? सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त शासकीय संपत्तियों के विक्रय से शासन को कुल कितनी राशि की आय होना संभावित है? **(ग)** शासकीय संपत्तियों के प्रबंधन के नाम पर विक्रय करने के पीछे शासन का क्या उद्देश्य है?

मुख्यमंत्री : [**(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख)** परिसम्पत्ति का विक्रय ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से किये जाने से शासन को होने वाली संभावित आय बताया जाना संभव नहीं। **(ग)** शासकीय लोक परिसम्पत्तियों के प्रबंधन से तात्पर्य युक्तियुक्त उपयोग है जिसमें निर्वतन कर शासन को राशि प्राप्त करना सम्मिलित है।

<u>परिशिष्ट - "एक"</u>

शिलान्यास/उद्घाटन में सदस्य को आमंत्रित करना
[सामान्य प्रशासन]

21. अता.प्र.सं.97 (क्र. 755) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय योजनाओं के तहत हो रहे निर्माण कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन व ऐसे आयोजनों में क्षेत्रीय विधायक सत्तापक्ष अथवा विपक्ष व अन्य जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करने के क्या नियम/शासनादेश है? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। **(ख)** जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र करैरा में पूर्व विधायक द्वारा किन-किन निर्माण कार्यों का शुभारम्भ लोकार्पण कराया गया है? कार्य क्रमवार जानकारी देवें। **(ग)** स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रश्नकर्ता सदस्य से कोई भी निर्माण कार्य एवं पूर्ण कार्यों में शिलान्यास/उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया अथवा उक्त कार्यक्रम के लिये आमंत्रित किया गया? क्या इसके लिए स्थानीय प्रशासन दोषी है? यदि हां, तो दोषी के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे? दोषी अधिकारी की भी सूची देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में क्या जिले के अधिकारियों को आदेश दिये जाएंगे की स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय विधायक को ऐसे आयोजनों में आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावे? यदि हां, तो आदेश की प्रति के साथ जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री : [**(क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र करैरा में किसी भी निर्माण कार्य का किसी भी जनप्रतिनिधि से शुभारंभ/लोकार्पण नहीं कराया गया है। **(ग)** जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र करैरा में स्थानीय प्रशासन (जनपद पंचायत/नगर परिषद) द्वारा निर्माण कार्य का शुभारंभ/लोकार्पण कार्यक्रम नहीं कराया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जिले में आयोजित शासकीय कार्यक्रमों तथा शिलान्यास, उद्घाटन आदि में क्षेत्र के माननीय विधायको को आमंत्रित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 19/22/2006/1/4 दिनांक 06/02/2006 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देश की प्रति प्रश्नांश (क) के उत्तर में दी गई है।

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

निजी चिकित्सालयों का चयन
[सामान्य प्रशासन]

22. परि.अता.प्र.सं. 75 (क्र. 783) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक के अपने पत्र क्रमांक/81/सीएम/05/06/2021 के तहत उदयपुर के निजी चिकित्सालयों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना मे शामिल करने हेतु पत्र प्रेषित किया था? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। **(ख)** प्रदेश के बाहर किन-किन निजी चिकित्सालयों को मुख्यमंत्री चिकित्सकीय स्वेच्छानुदान योजना मे राशि प्रदान की जा सकती है? इन निजी चिकित्सालयों की सूची उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार मुख्यमंत्री चिकित्सकीय स्वेच्छानुदान योजना अंतर्गत व्यक्ति को अपने शहर के समीपस्थ ही गंभीर बीमारियों के लिये मुख्यमंत्री चिकित्सकीय स्वेच्छानुदान की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये? यदि हां, तो अन्य प्रदेश की सीमाओं के समीप जिलों के मरीजों को प्रदेश के बाहर भी अपने समीपस्थ श्रेष्ठ चिकित्सालयों में ईलाज कराने की अनुमति होगी? यदि हां, तो कब तक? **(घ)** मंदसौर के गंभीर मरीजों को अपने ईलाज हेतु 250 कि.मी. दूर इंदौर के निजी चिकित्सालयों में ईलाज कराने पर ही मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि प्रदान की जाती है जबकि मंदसौर-नीमच के समीपस्थ मात्र 150 किलोमीटर (2 घंटे) पर ही श्रेष्ठम चिकित्सा सुविधा उदयपुर में उपलब्ध होकर वहां नियम अंतर्गत राशि प्रदान क्यों नहीं की जाती है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने के लिये कोई बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना के नाम से कोई योजना प्रचलित नहीं है। **(ख)** से **(घ)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड-19 से मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति
[सामान्य प्रशासन]

23. ता.प्र.सं. 25 (क्र. 847) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य सरकार ने कोविड-19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है? **(ख)** यदि हां, तो सीधी, सिंगरौली जिले सहित म.प्र. के जिलों में 31 जुलाई, 2021 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा देने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि आवेदन प्राप्त नहीं हुए तो संबंधित विभागों द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों से आवेदन प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** सीधी, सिंगरौली जिले सहित म.प्र. के जिलों में ऐसे कितने नियमित कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउट सोर्स तथा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी गई, जिनका कोविड 19 से निधन हुआ था? **(घ)** दिनांक 01 जुलाई, 2021 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं? कब तक इनका निराकरण करने का लक्ष्य दिया गया है? क्या सरकार द्वारा आंकड़ों के आधार पर इसकी मॉनीटरिंग की जा रही है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हां। **(ख)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** सीधी, सिंगरौली सहित जिलेवार प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 1593 आवेदन प्राप्त हुए। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** सभी श्रेणी के आवेदकों को कुल 441 नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। **(घ)** कुल 1152 आवेदन विचाराधीन हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने से एक माह की समयावधि में निराकरण किए जाने के निर्देश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2021 एवं 30 जुलाई 2021 को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निराकरण हेतु समीक्षा बैठक की गई। इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर समीक्षा बैठक कर आवेदनों के निराकरण की मॉनिटरिंग की जा रही है।

पृथक वितरित उत्तर

प्रोटोकाल के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]

24. अता.प्र.सं.117 (क्र. 849) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माननीय विधायकगण हेतु क्या प्रोटोकाल निर्धारित किया गया है? **(ख)** प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन क्यों किया जाता है? इस हेतु कड़े निर्देश जारी किया जावेगा? **(ग)** सीधी जिले में गत 2 वर्ष में कितने सरकारी कार्यक्रम हुए है? उसमें क्षेत्रीय विधायक को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? **(घ)** संबंधित विभाग के दोषी प्रशासकीय अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** माननीय विधायकों के पत्रों की पावती देने, उनके पत्रों पर कार्यवाही कर निर्धारित अवधि में उसका उत्तर देने, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, उन्हें सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में आमंत्रित करने, उनसे प्राप्त पत्रों के लिये पृथक पंजी संधारित करने तथा निर्देशित शिष्टाचार का पालन करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 02/07/2021 से निर्देश जारी किये गये हैं। **(ख)** सीधी जिला अन्तर्गत माननीय विधायकगण के प्रोटोकॉल में शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** सीधी जिला अन्तर्गत गत 02 वर्षों में 27 सरकारी कार्यक्रम हुए हैं, उनमें माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदयों को आमंत्रित किया गया है। विगत 02 वर्षों की अवधि में कोराना महामारी के अन्तर्गत जारी शासन के गाईड लाईन अनुसार अत्यधिक कार्यक्रम नहीं हुए हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 11 अगस्त, 2021

गेहूं एवं बारदान की खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

25. परि.अता.प्र.सं. 4 (क्र. 52) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014-15 से जून 2021 तक प्रतिवर्ष शासन स्तर पर कितना-कितना गेहूं कितने कृषकों से किस दर से कुल कितनी लागत का खरीदा गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) में खरीदे गये गेहूं में से कितना-कितना गेहूं किस विभाग/संस्थान को दिया गया तथा कितना गेहूं मण्डी में पानी या अन्य कारण से खराब हो गया? **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में प्रतिवर्ष गेहूं हेतु जूट,प्लास्टिक के कितने-कितने बारदान किस-किस व्यापारी/निर्माता से किस दर से, किस दिनांक को खरीद गये? वर्षवार कुल खरीदे गये जुट तथा प्लास्टिक के बारदान की संख्या तथा लागत बतावें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित मात्रा में से कितनी मात्रा का उपयोग हुआ तथा कितने शेष रहे तथा कितने खराब हो गये? जो शेष रहे तथा खराब हो गये उनका क्या किया गया?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2014-15 से जून, 2020-21 तक की अवधि में समर्थन मूल्य पर कृषकों से उपार्जित गेहूं एवं भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** वर्षवार उपार्जित गेहूं में से केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को 261.89 लाख मे.टन तथा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को 1.99 लाख मे.टन परिदान किया गया है। वर्षवार विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 की लॉकडाउन के कारण उपार्जन कार्य माह जून, 2021 तक उपार्जन करने, उपार्जन अनुमान से अधिक उपार्जन होने तथा निसर्ग तूफान के कारण हुई असामयिक वर्षा के कारण 51421 मे.टन गेहूं प्रभावित

हुआ है। जिसकी जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 2014 से 2016-17 तक जूट एवं पीपी बारदाने डीजीएसएनडी के माध्यम से तथा वर्ष 2017-18 से जून, 2021 तक जूट बारदाने जूट कमिश्नर के माध्यम से एवं एक भर्ती बारदाना एमपी ई-टेण्डर पर खुली निविदा के माध्यम से निजी प्रदाय कर्ताओं से क्रय किए गए हैं। वर्ष 2014-15 से जून, 2021 तक वर्षवार, निमार्तावार क्रय किए नए एवं एक भर्ती उपयोग किए गए जूट के तथा पीपी बारदाने लागत सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। **(घ)** बारदानों के उपयोग एवं शेष का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार** है। प्रतिवर्ष रबी उपार्जन उपरांत शेष बारदानों का उपयोग आगामी खरीफ यथा धान एवं मोटे अनाज का उपार्जन किया गया है।

पात्रता पर्ची का वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

26. अता.प्र.सं.5 (क्र. 71) श्री रामपाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में कितने पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण नहीं किया गया तथा कितने परिवारों के सदस्यों के नाम काटकर राशन क्यों कम कर दिया गया है उनको कब तक पर्ची दी जायेगी? **(ख)** रायसेन जिले में कितने पात्र परिवारों को राशन वितरण क्यों बंद कर दिया है तथा राशन पर्ची में संशोधन तथा पात्र परिवार को राशन पर्ची देने हेतु किस स्तर पर कौन-कौन अधिकारी की क्या-क्या जवाबदारी है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में माननीय मंत्री जी, विभाग के अधिकारियों तथा कलेक्टर रायसेन को 01 जवनरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई। **(घ)** प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा की गई कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया, यदि अवगत नहीं कराया तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी है।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** रायसेन जिले में जुलाई 2021 की स्थिति में कुल 28197 नवीन पात्र परिवारों को पात्रता पर्चियां जारी कर संपूर्ण पात्रता पर्चियों का वितरण स्थानीय निकायों के माध्यम से कराया जा चुका है। पोर्टल पर जारी पात्रता पर्ची में से किसी भी पात्र परिवार को पात्रता पर्ची का वितरण शेष नहीं है। जिले में किसी भी पात्र परिवार के पात्र सदस्यों के नाम काटे जाकर राशन कम नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जिले में किसी भी पात्र परिवार का राशन वितरण बंद नहीं किया गया है। राशन पर्ची में संशोधन तथा पात्र परिवार को राशन पर्ची देने हेतु एम राशन मित्र पोर्टल पर समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होती है। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी के द्वारा आवेदक की समग्र आई.डी. पर पात्रता के आधार पर पात्रता संबंधी दस्तावेजों सहित आवेदन को ऑनलाईन किया जाता है। तदोपरान्त स्थानीय निकाय (जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद) द्वारा आवेदन का परीक्षण कर पात्रता श्रेणी का सत्यापन

किया जाता है, इसके उपरान्त खाद्य विभाग के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा पोर्टल पर आवेदन एवं उसके साथ अपलोड किये गये पात्रता संबंधी दस्तावेजो का परीक्षण कर आवेदन को ऑनलाईन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। इसके पश्चात पात्र होने पर शासन स्तर से एन.आई.सी भोपाल के माध्यम से नवीन पात्रता पर्ची ऑनलाईन जनरेट होती है जिसे स्थानीय निकायों के माध्यम से आवेदक को प्रदाय किया जाता है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** के संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र दिनांक 27.01.2021, 15.07.2021 एवं 22.07.2021 को कार्यालय में प्राप्त हुये। पत्र में उल्लेखित आवेदकों में से पात्र आवेदकों की परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. को उनकी पात्रता श्रेणी में सत्यापित किया गया है। **(घ)** प्रश्नकर्ता विधायक महोदय के पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का निराकरण किया जाकर दिनांक 27.01.2021, 15.07.2021 एवं दिनांक 28.07.2021 को अवगत कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नगर निगम जबलपुर क्षेत्रान्तर्गत पात्रता पर्ची का प्रदाय
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

27. ता.प्र.सं. 13 (क्र. 109) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम जबलपुर क्षेत्रान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने बी.पी.एल. कार्डधारी उपभोक्ता हैं? कितने पात्र हितग्राहियों को बी.पी.एल. कार्ड बनाकर प्रदाय किये गये हैं तथा कितने पात्र हितग्राहियों को प्रदान नहीं किये गये हैं एवं क्यों? वर्ष 2019 - 20 से 2021 - 22 जून 21 तक की वार्डवार व माहवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में कितने बी.पी.एल. कार्डधारक हितग्राहियों को राशन पात्रता पर्ची प्रदाय की गईं हैं एवं कितने कार्डधारक हितग्राही पात्रता पर्ची से वंचित हैं एवं क्यों? कितने हितग्राहियों की पात्रता पर्ची को राशन वितरण करने वाली सूची में जोड़ा गया है एवं कितने हितग्राहियों की पात्रता पर्ची को नहीं जोड़ा गया है? वार्डवार पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में कितने बी.पी.एल. कार्डधारी उपभोक्ताओं को आधार लिंक एवं समग्र आई.डी. से जोड़ा गया है तथा कितने उपभोक्ताओं को नहीं जोड़ा गया है एवं क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) में कितने पात्रता पर्ची धारक उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया हैं एवं क्यों? इसकी जांच कब-कब किसने की है? वार्डवार व माहवार उपभोक्ताओं की जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** नगर निगम जबलपुर क्षेत्रान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1,07,085 बी.पी.एल कार्डधारी उपभोक्ता हैं। उपरोक्त सभी हितग्राहियों को बी.पी.एल. कार्ड बनाकर प्रदाय किये गये है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 2245 दिनांक 15.01.2021 के परिपालन में बी.पी.एल राशन कार्ड के स्थान पर स्थानीय निकाय द्वारा एम-राशन मित्र पोर्टल पर जनरेट होने वाली पात्रता पर्ची को ही ई-राशन कार्ड की मान्यता दी गई है, स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राहियों को पात्रता पर्ची (ई-राशन कार्ड) जारी की जा रही है।

शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सभी 1,07,085 बी.पी.एल कार्डधारक हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की चुकी है तथा उन्हें एईपीडीएस पोर्टल पर प्रदर्शित पात्रता अनुसार पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (क) में 1,07,085 बी.पी.एल कार्डधारी उपभोक्ताओं को आधार लिंक एवं समग्र आई.डी. से जोड़ा गया है। शेष जानकारी निरंक है। **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पात्रता पर्ची धारक उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उचित मुल्य दुकान पर जाने पर पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित मात्रा अनुसार खाद्यान्न का वितरण किया गया है। शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

कटनी जिलांतर्गत कृषि उपज का उपार्जन/भंडारण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

28. ता.प्र.सं. 11 (क्र. 145) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-425,दिनांक-23/09/2020 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर के आलोक में कटनी-जिले मे विगत तीन वर्षों में खाद्यान्न के उपार्जन और भंडारण में अनियमितताओं की कौन-कौन सी जानकारी शासन को किस प्रकार ज्ञात हुई और प्रश्न दिनांक तक की गयी कार्यवाही से अवगत करायें। **(ख)** क्या वर्ष 2019-20 से अब तक कटनी जिले से पीडीएस वितरण हेतु भेजा गया और भंडारित खाद्यान्न अमानक पाया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब और कितनी मात्रा में कहाँ-कहाँ एवं कौन-कौन सा खाद्यान्न किस आधार एवं किन जाँचों में अमानक पाया गया? **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) अमानक खाद्यान्न के प्रकरणों में कोई जांच और कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक की गयी जांच/कार्यवाही सहित बताएं, कि इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन जिम्मेदार पाया गया और क्या जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जा चुकी है? यदि हाँ, तो विवरण बतायें। यदि नहीं, तो कारण बतायें। **(घ)** कटनी जिले मे कौन-कौन से खाद्यान्न और कृषि उपजों की खेती की जाती है? विगत-03 वर्षों में कितनी-कितनी और कौन-कौन सी कृषि उपज का उत्पादन हुआ और क्या इन उपजों के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है? **(ड.)** प्रश्नांश (घ) यदि हाँ, तो विवरण बतायें। यदि नहीं, तो किन-किन कृषि उपज के भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं और शासन एवं विभाग स्तर पर इसके लिए क्या कार्यवाही की गयी एवं क्या योजना है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-425, दिनांक-23/09/2020 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर के आलोक में कटनी जिले मे विगत तीन वर्षों में खाद्यान्न के उपार्जन और भंडारण में अनियमितता संबंधी जानकारी समाचार पत्रों एवं जांच उपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संज्ञान में आई। उपार्जन में पाई गई अनियमितताएं एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार** है। भण्डारण के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर जांच हेतु 04 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया। जांच दल द्वारा पाई गई

अनियमितताओं के आधार पर 06 गोदामों यथा- सांवरिया वेयरहाउस, अन्नपूर्णा एग्रोटेक, गोपाला वेयरहाउस, माँ ईश्वरा वेयरहाउस, माँ वेयरहाउस एवं कृष्णा वेयरहाउस को एक वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड किया गया। पर्यवेक्षण दायित्वों का निर्वहन गंभीरतापूर्वक नहीं करने के कारण श्री आर.के. शुक्ला, शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, कटनी को निलंबित किया गया तथा विभागीय जांच संस्थित की गई, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। **(ख)** भारत शासन के निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण में कटनी जिले में भंडारित वर्ष 2019-20 के 1914 मे.टन चावल अमानक स्तर का पाया गया था, जिसे मिलर को वापस कर मानक गुणवत्ता का चावल प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त कटनी जिले से माह जुलाई 2020 में छतरपुर-39.50; माह अगस्त 2020 में उज्जैन-28.75 एवं शिवपुरी-761 मे.टन चावल अमानक स्तर का प्रेषित किया जाना पाया गया। राज्य की मिलिंग नीति में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अमानक चावल संबंधित मिलर्स को वापस कर मानक गुणवत्ता का चावल प्राप्त किया गया, इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में कटनी जिले से वर्ष 2017-18 का 130 मे.टन चावल पीडीएस में वितरण हेतु जिला अशोकनगर भेजा गया। भेजे गए गुणवत्ताविहीन चावल को अपग्रेडेशन का प्रयास किया गया किन्तु अपग्रेडेशन के पश्चात् भी चावल की गुणवत्ता पीडीएस में वितरण योग्य नहीं पाई गई। **(ग)** श्री आर.के. शुक्ला, शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, कटनी को निलंबित किया गया तथा विभागीय जांच संस्थित की गई, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जिला कार्यालय, कटनी में पदस्थ तत्कालीन जिला प्रबंधक एवं 03 कर्मियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। प्राप्त प्रति उत्तरों पर गुणदोष के आधार पर जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार प्रशासकीय कार्यवाही की जायेगी। **(घ)** कटनी जिले में विगत तीन वर्षों खाद्यान्न एवं अन्य कृषि फसलों एवं उनके उत्पादन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार** है। कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जाने वाले स्कंध के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जित फसलों के भंडारण हेतु उपलब्ध क्षमता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खाद्यान्न पर्ची जारी करने वालों पर कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

29. परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 267) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला शहडोल एवं रीवा में वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान कितनी खाद्यान्न पर्चियां निकाली गई का विवरण पंचायतवार, जनपदवार एवं जिलेवार देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार जारी खाद्यान्न पर्चियों में से कितनी खाद्यान्न पर्चियां आपदा के कारण अस्थाई रूप से जारी की गई का विवरण पृथक से प्रश्नांश "क" की अवधि अनुसार देवें। इनमें से कितने हितग्राही के किन तारीखों का माहों में खाद्यान्न दिया एवं कितने शेष

हैं? बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन हितग्राहियों को अस्थाई रूप से खाद्यान्न पर्चियां जारी की गई थीं। क्या हितग्राही खाद्यान्न पर्चियों के पात्र हितग्राही हैं, इन हितग्राहियों को स्थाई रूप से खाद्यान्न पर्चियां जारी कराये जाने हेतु किसी शासन के संचालित योजनाओं में जोड़कर स्थाई पर्ची जारी कराये जाने बाबत् निर्देश जारी करेगें? अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार पात्र हितग्राहियों की खाद्यान पात्रता पर्चियां नहीं जारी की गई पात्र हितग्राही खाद्यान्न से वंचित हुये एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार अस्थाई जारी खाद्यान्न पर्चियों के पात्र हितग्राहियों का नाम शासन की संचालित योजनाओं में जोड़कर स्थाई रूप से खाद्यान्न पर्चियां जारी न करने जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? साथ ही स्थाई खाद्य पर्ची जारी किये जाने बाबत् निर्देश जारी करेंगे तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों? **खाद्य मंत्री :** [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक जिला शहडोल में 48,623 एवं जिला रीवा में 9,841 खाद्यान्न पर्चियां जारी की गई है। जनपदवार एवं पंचायतवार जानकारी की **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** जिला शहडोल में उक्त अवधि में कुल 615 खाद्य पर्चियां आपदा के कारण अस्थाई रूप से जारी की गई है विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। इनमें 228 अस्थाई परिवारों के हितग्राहियों को माह मई एवं जून 2021 में माह मई एवं जून 2021 का नियमित खाद्यान्न तथा मई एवं जून 2021 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न दिया गया है तथा 380 अस्थाई परिवारों की पर्चियां माह जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी हुई है जिनमें से 94 परिवारों को नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का एकमुश्त खाद्यान्न वितरण माह जुलाई 2021 में किया गया है। शेष 293 अस्थाई परिवार खाद्यान्न वितरण हेतु शेष हैं, जिन्हें जुलाई 2021 में खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। जिला रीवा में उक्त अवधि में कुल 3793 खादय पर्चियां आपदा के कारण अस्थाई रूप से जारी की गई है। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। इनमें 163 अस्थाई परिवारों के हितग्राहियों को माह मई एवं जून 2021 में माह मई एवं जून 2021 का नियमित खादयान्न तथा मई एवं जून 2021 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खादयान्न दिया गया है तथा 3595 अस्थाई परिवारों की पर्चियां माह जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी हुई है, जिनमें से 1764 परिवारों को नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का एकमुश्त खादयान्न वितरण जुलाई 2021 में किया गया है, शेष 1866 अस्थाई परिवार खादयान्न वितरण हेतु शेष है, जिन्हें जुलाई 2021 में खादयान्न वितरण किया जा रहा है। **(ग)** अस्थाई पात्रता पर्चीधारी परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं आधार नंबर उपलब्ध कराने पर स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। इस संबंध में जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(घ)** राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत पात्र परिवारों को सत्यापन उपरांत पात्रता पर्चियां जारी हो रही है एवं नवीन पात्र परिवार का सत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है। अस्थाई पात्रता पर्चीधारी परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके है, जिसके अनुसार कार्यवाही प्रचलित है।

खाद्यान्न वितरण में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

30. अता.प्र.सं.31 (क्र. 352) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जुलाई, 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कहां-कहां शासकीय उचित मूल्य की दुकानें किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है सूची दें? **(ख)** 1 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक उक्त दुकानों को कितना-कितना खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल कब-कब, किस-किस योजना में आवंटित किया गया तथा परिवहनकर्ता द्वारा किन-किन दिनांकों में किस-किस दुकान पर क्या-क्या सामाग्री कितनी-कितनी मात्रा में पहुंचाई? **(ग)** उक्त दुकान संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं को किस-किस माह में क्या-क्या सामग्री किस-किस दर से प्रदान की गई क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नि:शुल्क राशन वितरित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों कारण बतायें। **(घ)** किस-किस दुकान संचालक द्वारा खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल विक्रय की राशि जमा नहीं की है तथा क्यों कारण बताये तथा इसके लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें?

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** 01 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक दुकानों को आवंटित खाद्यान्न, केरोसीन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** एवं परिवहनकर्ता द्वारा दुकानों में सामग्री पहुंचाने की दिनांक एवं मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(ग)** दुकान संचालकों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल एवं नमक 01 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं अंत्योदय परिवारों को शक्कर 20 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदाय की गई है। ऑयल कम्पनियों से प्रतिमाह प्राप्त केरोसीन दरों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर उपभोक्ताओं को केरोसीन प्रदाय किया गया है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** दुकान संचालकों द्वारा खाद्यान एवं केरोसीन विक्रय की राशि जमा नहीं करने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। सहकारी संस्थाओं द्वारा लिमिट न होने की स्थिति में राशि जमा नहीं करायी गई। राशि वसूली के संबंध में उपायुक्त सहकारिता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायसेन द्वारा कार्यवाही की गई है। इस संबंध में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' में अनुसार** हैं।

बायो डीजल के अवैध पंप का संचालन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

31. परि.अता.प्र.सं. 32 (क्र. 524) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में अवैध बायो-डीजल पंप संचालित है? यदि हाँ, तो बिना अनुमति के बायो-डीजल पंप कैसे संचालित है? **(ख)** क्या बायो-डीजल के नाम पर अन्य मिलावटी पदार्थ

बेचा जा रहा है। क्या सरकार के पास बायो-डीजल के नाम पर अन्य मिलावटी पदार्थ की जांच हेतु कोई प्रयोगशाला है? क्या इसकी बिक्री से पर्यावरण के साथ-साथ सरकार के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है? **(ग)** यदि हां, तो अवैध एवं मिलावटी बायो-डीजल बेचने वालो के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? इस पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया जावेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। प्रदेश में अवैध बायोडीजल पंप संचालन के तथ्य कुछ जिलों में प्रकाश में आये हैं। बिना अनुमति के बायो-डीजल पंप संचालित करने वालों के विरुद्ध प्रदेश में कार्यवाही की गई है। **(ख)** माह जुलाई, 2021 की स्थिति में प्रदेश के नीमच जिले में मिलावटी बायोडीजल की आशंका के आधार पर एक प्रकरण निर्मित किया गया है। जी नहीं। बायोडीजल की बिक्री से नहीं, अपितु मिलावटी ईंधन से पर्यावरण का नुकसान होता है एवं राजस्व की हानि संभावित है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। अवैध बायोडीजल की बिक्री करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 7 में समाहित** है।

<u>परिशिष्ट - "तीन"</u>

विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

32. ता.प्र.सं. 22 (क्र. 579) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण इलाके में कितनी-कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं? **(ख)** उपरोक्त में से कितनी ऐसी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनमें अनियमितता होने की शिकायतें मिली हैं? इनमें से कितनी शिकायतों की जांच की गई है अथवा जांच लंबित है? **(ग)** ग्रामीण इलाकों में संचालित कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें ऐसी हैं जहां गरीब परिवारों को राशन लेने के लिए 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक चलकर आना पड़ता है? **(घ)** क्या सरकार उचित मूल्य की दुकानों से गरीब परिवार के आवास की अधिकतम दूरी निर्धारित करने पर विचार करेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 10 तथा ग्रामीण इलाके में 82 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उचित मूल्य दुकानों में से 07 उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता होने की शिकायत मिली है। इनमें से 4 की जांच की गई है एवं 3 शिकायतें जांच हेतु लंबित है। **(ग)** प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कोई भी उचित मूल्य दुकान ऐसी नहीं है जहां हितग्राहियों को राशन लेने के लिए 05 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर चलकर आना पड़ता हो। **(घ)** वर्तमान में प्रत्येक पंचायत में एक दुकान खुलने संबंधी प्रावधान के अनुक्रम में प्रदेश में दुकानविहीन पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें

खोली जा रही हैं। दुकानों से परिवार की अधिकतम दूरी के मान से दुकानें खोलने के संबंध में, दुकानों की आर्थिक Viability के परिप्रेक्ष्य में अभी कोई भी निर्णय विचाराधीन नहीं है।

राशन पर्ची का सत्यापन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

33. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 630) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिला अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्री प्राप्ति हेतु पूर्व में प्रदाय ऐसी राशन पर्ची कितनी हैं जो सत्यापन के अभाव के चलते बंद हैं? विकासखण्डवार नगर पालिका व नगर पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01.02.2021 को विदिशा शहर में जन आंदोलन के माध्यम से नगर पालिका सी.एम.ओ. एवं नायब तहसीलदार को खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के आवेदन सौंपे थे? उन पर राशन पर्ची बनाये जाने की कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01.02.2021 को ही जन आंदोलन के माध्यम से प्रशासन के अधिकारियों को म.प्र. सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से प्रदाय किये जाने वाले नमक (वन्या नमक) का पैकिट जो की पानी में भी नहीं घुल रहा था, प्रशासन को सौंपा था, जिसे प्रशासन द्वारा सेम्पल जांच के लिए भेजा गया था जिसकी रिर्पोट अभी तक नहीं आने की कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन विदिशा पत्र क्र. 5605 दिनांक 22.05.2021 के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में गेहूं चना, मसूर की सरकारी खरीदी के आंकड़े एवं पिछले 3 वर्षों की जानकारी चाही थी? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध कराई गई? नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ, जन आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 24 आवेदन प्राप्त हुये थे। जिनमें से 06 को स्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है 11 आवेदनों में पूर्व से पात्रता पर्ची जारी थी उनमें छूटे हुये सदस्यों के नाम जोड़कर संशोधित पात्रता पर्ची जारी की गई है। शेष 7 आवेदनों में अपूर्ण जानकारी होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी है। **(ग)** दिनांक 01.02.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान वार्ड क्र.9 विदिशा से विधिवत सेम्पल जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को भेजा गया है। जिसका प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा सकेगी। **(घ)** जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन विदिशा पत्र क्रमॉक 5605 दिनांक 22.05.2021 के माध्यम से पिछले 03 वर्षों में गेहूं चना, मसूर की सरकारी आंकडे एवं पिछले 03 वर्षों की जानकारी चाही गई थी, जो पत्र क्रमांक मप्रवेलाका/विदिशा/भण्डारण/2021-22/211 दिनांक 21.07.2021 के द्वारा माननीय विधायक को उपलब्ध कराई गई है।

जिला छतरपुर में किसानों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

34. ता.प्र.सं. 24 (क्र. 656) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 3549, दिनांक 24/7/2019 में उत्तर दिया था कि मूल दस्तावेज एवं नस्ती का परीक्षण करने हेतु कलेक्टर को लिखा गया लेख किया था? **(ख)** क्या सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त प्रश्नों के बिंदुओं पर दस्तावेज एवं नस्ती का परीक्षण हेतु कलेक्टर को लिखा गया था? **(ग)** यदि हां, तो पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं, यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। **(घ)** क्या कार्यालय कलेक्टर खाद्य जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 205/वि.स/खाद्य/2020, दिनांक 3/3/2020 के पत्र में तामिली प्रक्रिया का पूर्ण रुप से पालन किया गया लेख किया था? **(ड.)** यदि हां, तो क्या उक्त दस्तावेजों में चस्पांगी के आदेश की प्रति सलंग्न थी। यदि हां, तो प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो क्यों लेख किया था? कारण स्पष्ट करें। **(च)** जिला छतरपुर में वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन किसानों का गेहूं जप्त, खरीद केंद्र प्रभारी एवं किसानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं? संपूर्ण दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएं। **(छ)** क्या उपार्जन नीति वर्ष 2021-22 मे खरीद केंद्र प्रभारी एवं किसानों का गेहूं जप्त एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के नियम हैं? **(ज)** यदि हां, तो नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। **(झ)** यदि नहीं, तो क्या शासन गेहूं जप्त एवं अपराधी प्रकरण दर्ज कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(झ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। **(ख)** जी हां। **(ग)** पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। **(घ)** जी हां। पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। उक्त में अनावेदक गोविंद प्रसाद गुप्ता को पत्र क्रमांक 387/प्र.वा./2012 दिनांक 30-11-2012 जारी किया गया था, जिसमें यह टीप अंकित होने का उल्लेख है कि "अनावेदक गोविंद प्रसाद गुप्ता द्वारा स्वयं सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया, तामिली कुनंदा की रिपोर्ट संलग्न है, जो तामिली प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किये जाने के संबंध में लेख किया गया है।" पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है। **(ड.)** उक्त दस्तावेजों में चस्पांगी आदेश भेजे जाने की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। उक्त पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) छतरपुर के पत्र क्रमांक 929/अविअ/2019 दिनांक 12.12.2019 के आधार पर लिखा गया है। पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार** है। **(च)** जिला छतरपुर में वर्ष 2021 में जिन-जिन किसानों का गेहूं जप्त किया गया, खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं किसानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये उनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ई" अनुसार** है। **(छ)** जी नहीं। **(ज)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(झ)** आपराधिक षडयंत्र कर गेहूं विक्रय करने, घुना गेहूं विक्रय करने पर सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इस कारण किसी अधिकारी पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बढ़ती मंहगाई पर रोक
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

35. परि.अता.प्र.सं. 60 (क्र. 664) श्री विनय सक्सेना : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 3 वर्ष में प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के मूल्यों में कब-कब कितनी-कितनी राशि की वृद्धि हुई है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लखित उत्पादों के विक्रय में सरकार द्वारा कौन-कौन से तथा कितनी-कितनी राशि के कर अधिरोपित किये गये हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में विगत 3 वर्षों में राज्य शासन द्वारा कब-कब कितना-कितना कर बढ़ाया/घटाया गया? **(घ)** बढ़ती महंगाई के कारण जनता को राहत देने हेतु शासन क्या-क्या कदम उठाएगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय मूल्य का निर्धारण संबंधित पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा डीजल एवं पेट्रोल का विक्रय मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता है। अत: डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के मूल्यों में कब-कब, कितनी-कितनी राशि की वृद्धि हुई है यह जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पेट्रोल पर राज्य में 33 प्रतिशत वेट, रूपए चार एवं पैसे पचास प्रति लीटर अतिरिक्त कर एवं टर्न ओवर पर 1 प्रतिशत सेस दर प्रचलित है। इसी प्रकार डीजल पर 23 प्रतिशत वेट, रूपय तीन प्रति लीटर अतिरिक्त कर एवं टर्न ओवर पर 1 प्रतिशत सेस दर प्रचलित है। घरेलू रसोई गैस पर 5 प्रतिशत जीएसटी देय है। जिसमें 2.5 प्रतिशत एसजीएसटी तथा 2.5 प्रतिशत सीजीएसटी है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक की स्थिति से विगत तीन वर्षों में पेट्रोल एवं डीजल पर कर की दरों में कमी/वृद्धि संबंधी जानकारी इस प्रकार है:- पेट्रोल:- दिनांक 05-10-2018 से पेट्रोल पर रूपए 4 प्रति लीटर अतिरिक्त कर को घटाकर रूपय 1 पैसे 50 प्रति लीटर किया गया। दिनांक 06-07-2019 से पेट्रोल पर रूपए 1 पैसे 50 प्रति लीटर अतिरिक्त कर को बढ़ाकर रूपए 3 पैसे 50 प्रति लीटर किया गया। दिनांक 21-09-2019 से पेट्रोल पर वेट की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया गया। दिनांक 13-06-2020 से पेट्रोल पर रूपए 3 पैसे 50 प्रति लीटर अतिरिक्त कर को बढ़ाकर रूपए 4 पैसे 50 प्रति लीटर किया गया। डीजल:- दिनांक 05-10-2018 से डीजल पर वेट की दर 22 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई। दिनांक 06-07-2019 से डीजल पर रूपये 2 प्रति लीटर अतिरिक्त कर लगाया गया। दिनांक 21-09-2019 से डीजल पर वेट की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत की गई। दिनांक 13-06-2020 से डीजल पर रूपए 2 प्रति लीटर अतिरिक्त कर को बढ़ाकर रूपए 3 प्रति लीटर किया गया। रसोई गैस:- रसोई गैस जीएसटी के दायरे में है। घरेलू रसोई गैस पर जीएसटी की कर दर 5 प्रतिशत है। जीएसटी लागू होने के बाद कर की दर में कमी/वृद्धि नहीं की गई। **(घ)** राज्य शासन द्वारा प्रदेश की वित्तीय आवश्कताओं की पूर्ति व आवश्यक संसाधन जुटाने तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु आवश्यक राजस्व संग्रहण की दृष्टि से कर की दरों का निर्धारण किया जाता है। पेट्रोल एवं डीजल पर कर की दर में कमी/वृद्धि के संबंध में नीतिगत निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जाता है। रसोई गैस

जीएसटी के दायरे में है। जीएसटी की कर की दरों में परिवर्तन के संबंध में जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्णय लिया जाता है।

मनावर विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्कूल
[स्कूल शिक्षा]

36. अता.प्र.सं.131 (क्र. 953) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केजी से पीजी के अंतर्गत कितने प्राईवेट स्कूल रजिस्टर्ड/संचालित/स्थापित हैं। अध्यापकों की संख्या एवं स्कूलों के नाम सहित पृथक-पृथक ब्यौरा दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के किन-किन स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम या अन्य अधिनियमों के तहत निःशुल्क शिक्षा के लिए कितने प्रतिशत सीट गरीब एवं आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है? आरक्षित सीटों पर दाखिला प्राप्त किए समस्त बच्चों के नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम सहित वर्गवार ब्यौरा स्कूलवार, कक्षावार पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के आरक्षित सीटों को नहीं भरने पर किन-किन नियमों के तहत स्कूलों के खिलाफ किस सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही करने का नियम प्रचलित है? जनवरी 2017 से प्रश्न-दिनांक तक की गई उक्त कार्यवाहियों का ब्यौरा दें। **(घ)** जनवरी 2017 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक मनावर विधानसभा के शासकीय स्कूलों को स्पोर्ट्स सामग्री, लैब, लायब्रेरी के लिए कितनी राशि किन-किन संस्थाओं/विभागों/मदों द्वारा प्राप्त हुई? कितनी राशि कहां-कहां खर्च हुई? वर्षवार, स्कूल/वार पृथक-पृथक समस्त ब्यौरा दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** मनावर विधानसभा अंतर्गत कक्षा केजी से 12वीं तक 60 प्राइवेट स्कूल संचालित हैं। अध्यापकों की संख्या स्कूलों के नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ-अनुसार। (ख)** शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत सीट गरीब एवं आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीटों पर दाखिला प्राप्त समस्त बच्चों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार आरक्षित सीटों पर प्रदेश स्तर से केंद्रीयकृत ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश प्रदान किया जाता है। अशासकीय स्कूलों मे प्रवेश हेतु छात्र, स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करते है। ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से उन्हें उनकी प्राथमिकता के अनुसार स्कूल आवंटित किए जाते है। कुछ स्कूलों में छात्र आवेदन नहीं करते है, वहां सीटे रिक्त रह जाती है। संस्था द्वारा नियमों का पालन न करने पर शिक्षा का अधिकार नियम-2011 के नियम-11 (7) के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जिले में जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(घ)** जनवरी 2017 से वित्त वर्ष 2021-22 तक विधानसभा के शासकीय स्कूलों को स्पोटर्स सामग्री के लिये निम्नांकित सत्रों मे स्पोटर्स

ग्रान्ट की राशि शालाओं के एसएमसी खातों में जारी हुई हैः- (1) सत्र 2018-19 रूपये 1000/- प्रति प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला (2) सत्र 2019-20 रूपये 5000/- प्रति प्राथमिक एवं रूपये 10,000/-प्रति पूर्व माध्यमिक शाला (3) सत्र 2020-21 रूपये 5000/- प्रति प्राथमिक एवं रूपये 10,000/- प्रति पूर्व माध्यमिक शाला। 2017 से वित्त वर्ष 2021 तक शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में लायब्रेरी हेतु कोई पृथक से कोई राशि जारी नहीं की गई है। जनवरी, 2017 से वित्त वर्ष 2021-22 तक मनावर विधानसभा के शासकीय स्कूलों को स्पोटर्स सामग्री,लेब सामग्री,लायब्रेरी के लिए आरएमएसए से जारी की गई राशी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

दिनांक 12 अगस्त, 2021

निजी भूमियों बाबत् वन विभाग को अधिकार
[वन]

37. अता.प्र.सं.21 (क्र. 333) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भू-स्वामी हक में दर्ज निजी भूमि को भा.व.अ. 1927 की धारा 4 में अधिसूचित करने, धारा 5 से 19 तक की लम्बित जांच के बाद भी वर्किंग प्लान, पी.एफ. एरिया रजिस्टर, पी.एफ. वन कक्ष मानचित्र में शामिल करने संरक्षित वन प्रतिवेदित करने, निजी भूमि पर कब्जा करने का अधिकार वन विभाग को भा.व.अ. 1927, भू-राजस्व संहिता 1959, भू-अर्जन अधिनियम 1894 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की किस-किस धारा में दिया जाकर धारा में क्या-क्या उल्लेख किया गया है। **(ख)** वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल ने पत्र क्रमांक अधि./719 दिनांक 20 जुलाई, 2009 में निजी भूमि बाबत् क्या-क्या आदेश, निर्देश दिए इसके तहत कितने वनमण्डलों के कितने वनखण्डों एवं वर्किंग प्लान में कितनी निजी भूमि शामिल किए जाने की जानकारी संकलित की गई इनमें से कितनी निजी भूमि पर वन विभाग का वर्तमान में कब्जा है, कितनी निजी भूमि किसानों के कब्जे में है। **(ग)** वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान में शामिल निजी भूमियों को पृथक करने बाबत् मुख्य सचिव ने आदेश क्रमांक 774/एफ 25-08/2015/10-3 दिनांक 1 जून, 2015 में क्या निर्देश दिए इसके अनुसार कितनी निजी भूमि प्रश्नांकित दिनांक तक पृथक की गई वनमण्डलवार बतावें। **(घ)** वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान से निजी भूमि कब तक पृथक की जावेगी?

वन मंत्री : [**(क)** भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 (1) में आरक्षित वन घोषित करने के आशय से बनाये गये वनखण्डों की सीमा के भीतर स्थित होने के कारण निजी भूमि विभागीय अभिलेखों, कार्य आयोजना एवं मानचित्र में दर्ज है। वनखण्ड की सीमा में शामिल निजी भूमियों पर अधिकारों का विनिश्चयन करने तथा आवश्यकतानुसार वनखण्ड से बाहर करने अथवा शासन पक्ष में अधिग्रहण करने की विधिक व्यवस्था भारतीय वन अधिनियम,

1927 में दी गई है। निजी भूमि पर वन विभाग द्वारा अनाधिकृत कब्जा नहीं किया गया है, अपितु वनखण्ड निर्माण के समय ऐसी भूमियां वनखण्ड की सीमा में शामिल हो गई हैं, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वन मुख्यालय भोपाल के प्रश्नाधीन पत्र से दिये गये निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में** है। प्रश्नांश की शेष संधारित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 में** है। वनखण्ड की सीमा में शामिल निजी भूमि अधिकारों के विनिश्चयन तक भूमि-स्वामी के स्वत: स्वामित्व में है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नाधीन मुख्य सचिव के पत्र में दिये गये निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 में** है। निर्देशों के अनुपालन में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 तक की अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत पृथक की गई निजी भूमि की जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** उत्तरांश ''ग'' अनुसार अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही संभव है।] **(ग)** प्रश्नाधीन मुख्य सचिव के पत्र में दिये गये निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**-3 **में है**। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 तक की अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत निजी भूमि पृथक नहीं की गई है।

आकृति इको सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट भोपाल की स्वीकृति
[नगरीय विकास एवं आवास]

38. अता.प्र.सं.74 (क्र. 966) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल में स्थित आकृति इको सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण करने हेतु प्रोजेक्ट को बनाने हेतु क्या-क्या प्रावधान किये गए थे? प्रारंभिक प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करावे। **(ख)** बाद में प्रस्तुत प्रोजेक्ट में और क्या-क्या बदलाव किए गए? **(ग)** क्या इस प्रोजेक्ट के लिए नहर की जमीन के लिए निर्धारित निश्चित दूरी जो विभाग द्वारा तय की गयी है का पालन किया गया है? **(घ)** आज दिनांक तक किये गये बदलाव पश्चात प्रस्तुत प्रस्ताव एवं स्वीकृति जानकारी उपलब्ध करावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 698 से 701/एलपी-20/29/2005 दिनांक 10/03/2005 द्वारा आकृति इको सिटी फेस-1 में भूखण्डीय विकास हेतु अनुज्ञा जारी की गई थी, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 468 से 471/एलपी-143/29/2008 दिनांक 06/10/2008 द्वारा आकृति इको सिटी फेस-2 में भूखण्डीय विकास हेतु अनुज्ञा जारी की गई थी, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 426/एलपी-051/29/2012 दिनांक 13/07/2012 द्वारा आकृति इको सिटी फेस-3 में भूखण्डीय विकास हेतु अनुज्ञा जारी की गई थी, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। किये गये प्रावधान संलग्न अभिन्यास में परिलक्षित होते है। **(ख)** आकृति इको सिटी फेस-1 के मानचित्र में पत्र क्रमांक 457/एलपी-20/29/2009 दिनांक 28/02/2009 द्वारा संशोधन कराया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। आकृति इको सिटी फेस-2 के मानचित्र में पत्र क्रमांक बीएलएलपी-407/एलपी-143-29 (3)/2016 दिनांक

04/10/2016 द्वारा संशोधन कराया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ से ई अनुसार** है।

डी.पी.आर. में दिये गये आकड़ों का परीक्षण
[लोक निर्माण]

39. अता.प्र.सं.142 (क्र. 1139) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2403 दिनांक 02/03/2021 के खण्ड (क) के संदर्भ में बतायें कि डी.पी.आर. में यातायात गणना तथा भविष्य में यातायात की तुलना में वास्तविक यातायात 5 से 15 गुना अधिक है ऐसी स्थिति में क्या किया जायेगा तथा बतावें की 58 बी.ओ.टी. सड़क की डी.पी.आर. किस-किस कंसल्टेंट फर्म द्वारा तैयार कि गई है तथा उन्हें इसके लिये कितना-कितना भुगतान किया गया बतावें। **(ख)** उपरोक्त संदर्भित प्रश्न के खण्ड (घ) के संदर्भ में बतावें कि डी.पी.आर. में दिये गये आकड़ों का परीक्षण एवं मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी शासन की क्यों नहीं है? करोड़ों की फीस लेने वाले कंसल्टेंट की जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या कंसल्टेंट और कंशेसनर की मिलीभगत कर राष्ट्रीय सम्पत्ति का उपयोग कर लाखों जनता से वर्षों तक लूट करते रहेंगे और क्या शासन मूक दर्शक बना रहेगा। **(ग)** 57 बी.ओ.टी. सड़क पर टोल प्रारंभ होने से 15 जुलाई 2021 तक वसूले गये कुल टोल राशि की सूची प्रस्तुत करें तथा कंसल्टेंट की फिजीकली रिपोर्ट में संलग्न इंकम स्टेटमेंट, आप्रेशन केश फ्लो प्रोजेक्शन तथा बेलेन्शीट स्टेटमेंट यातायात की गणना तथा भविष्य में यातायात (Projected Traffic Volume and Toll Teerates) का चार्ट प्रस्तुत करें। **(घ)** बी.ओ.टी. सड़क के लिये डी.पी.आर. बनाने वाले कंसल्टेंट की रिपोर्ट में दिये गये अनुमानित आंकड़ों के प्रति जवाबदेही के लिये कोई नियम तथा बाध्यता है या नहीं है? यदि है तो उसकी प्रति देवें यदि नहीं, है तो राज्य धन की सुरक्षा कैसे होगी?

लोक निर्माण मंत्री : [**(क)** जी नहीं। शेष **जानकारी संकलित की जा रही** है। **(ख)** बीओटी अंतर्गत फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंसल्टेंट के द्वारा बनाई जाती है। अनुबंधानुसार फिजिबिलिटी कंसल्टेंट आंकड़ों की परी शुद्धता के लिए उत्तर दाई है। फिजिबिलिटी कंसल्टेंट मार्ग पर वास्तविक आंकड़े तैयार कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है तदोपरांत शासन से मार्ग की स्वीकृति प्राप्त कर न्यूनतम ग्रांट/अधिकतम प्रीमियम के आधार पर निविदा आमंत्रण कर कंसेशनायर चयन किया जाता है। अत: मिली भगत का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। **(ग) वृहद स्वरूप की जानकारी है, संकलित की जा रही** है। **(घ)** बीओटी सड़कों में डीपीआर नहीं बनाई जाती है।] **(क) जी नहीं, विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है।